

लोक-सभा वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha



सत्यमेव जयते

(खण्ड ५२ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न *संख्या १०१७, १०१८ और १०२० से १०३५ . ३११७—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१६, १०३६ से १०४३ . ३१४२—४५

अतारांकित प्रश्न संख्या २०५६ से २११५ और २११७ से २१३७ . ३१४६—७६

अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राजस्थान में बाली दुर्ग में विस्फोट . ३१७६—८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३१८०—८१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अस्सीवां प्रतिवेदन . ३१८१

सदस्य द्वारा वक्तव्य में शुद्धि . ३१८१

अनुदानों की मांगें—

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . ३१८२—३२०३

श्री राधेलाल व्यास . ३१८२—८४

श्री अरविन्द घोषाल . ३१८४—८५

श्री अ० चं० गुह . ३१८५

श्री महंती . ३१८६

डा० सामन्त सिंहार . ३१८६—८७

डा० मेलकोटे . ३१८७

श्री ले० अचौ सिंह . ३१८७—८६

श्री प० रा० पट्टाभिरामन् . ३१८६—८०

श्री प्रकाशवीर शास्त्री . ३१८०—८२

श्री अब्दुल सलाम . ३१८२—८३

श्री हिमायून कविर . ३१८३—३२०३

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय . ३२०४

श्री मे० क० कुमारन . ३२०४—०५

श्री त्यागी . ३२०५—०६

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, २२ मार्च, १९६१

१ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चाय बागानों के लिये उर्वरक

+

†*१०१७. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय बागानों को आवश्यक मात्रा में उर्वरक प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही है ;

(ख) १९६० में उर्वरकों के संभरण में कितनी कमी रही ; और

(ग) क्या इस बीच स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ?

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८५]

†श्री रामेश्वर टांटिया : विवरण में बताया गया है कि चाय बागानों को आवश्यक एमोनियम सल्फेट का ७८ प्रतिशत संभरण किया गया है जबकि एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट १५० प्रतिशत तक किया गया है। क्या सरकार चाय उद्योग के लिये, जो हमारा विदेशी मुद्रा अर्जन का सब से बड़ा साधन है, सही प्रकार के उर्वरकों का संभरण करने का प्रयत्न करेगी ?

†डा० पं० शा० देशमुख : एमोनियम नाइट्रेट सल्फेट भी सही प्रकार का उर्वरक है। उसका दक्षिण में अधिक प्रयोग होता है। हम अपनी क्षमता के अनुसार अच्छी से अच्छी चीज का संभरण करने का प्रयत्न करते हैं।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि १९६० में उर्वरकों के कम संभरण के कारण चाय की फसल को नुकसान पहुंचा है ?

†मूल अंग्रेजी में

३११७

†डा० पं० शा० देशमुख : १९६०-६१ में हम दक्षिण भारत को उनकी मांग का ७० प्रतिशत दे सके थे और जहां तक पूर्वोत्तर भारत का सम्बन्ध है हमने शत प्रतिशत मांग पूरी की थी।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि १९६० में पूर्वोत्तर भारत में चाय उद्योग के लिये कुल आवश्यकता ७१,००० टन थी जब कि संभरण केवल ५१,००० टन किया गया था और १९६१ की आवश्यकता में $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत और कमी की गई थी ?

†डा० पं० शा० देशमुख : जैसा मैंने बताया, हमारे पास पर्याप्त मात्रा नहीं है इसके बारे में तनिक भी सन्देह नहीं है। हम ने अन्य लोगों की अपेक्षा चाय बागानों को अधिक अग्रिमता दी है।

†श्री अब्दुल सलाम : क्या सरकार इस सुझाव को स्वीकार करेगी कि चाय बागान संघ उर्वरकों का आयात कर सके और उसके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा वर्तमान निर्यात से अधिक करके प्राप्त की जा सके ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल) : यह नीति सम्बन्धी मामला है। यदि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय इस प्रकार के लेन देन का अनुमोदन कर सकें तो कोई नुकसान नहीं है। चाय से हम सब से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जन करते हैं। इसलिये यह सुझाव देना कि हम चाय भेजेंगे और अधिक उर्वरक लेंगे कोई हल नहीं है।

†श्री बर्मन : क्या मंत्रालय को यह जानकारी है कि एमोनियम सल्फेट अधिकांश में चाय बागानों को ही दिया जाता है जब कि देश के कुछ भागों में प्रतिनिधियों के भरसक प्रयत्नों के बावजूद बिल्कुल भी उर्वरक नहीं मिल रहे हैं ?

†श्री स० का० पाटिल : मैं नहीं समझता कि अन्य कृषि क्षेत्रों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। यदि यह कहा जाय कि उन्हें कम मिलता है तो मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि दुर्भाग्यवश उर्वरकों का आयात करना होता है। इस लिये विदेशी मुद्रा की सीमिततायें हमारे सामने आती हैं। परन्तु इस वर्ष हम अपने कृषि क्षेत्रों की भी ६० प्रतिशत मांग पूरी करने का प्रयत्न कर रहे हैं और संभवतः एक या दो वर्षों में शत प्रतिशत मांग पूरी करने का। इस लिये यह कठिनाई नहीं उत्पन्न होगी।

कई माननीय सदस्य—उठे

†अध्यक्ष महोदय : मैं उर्वरकों पर सामान्य चर्चा की अनुमति देने नहीं जा रहा हूं। यह प्रश्न चाय तक सीमित है। श्री तंगामणि।

†श्री तंगामणि : मैं जानना चाहता हूं कि दक्षिण के बागानों की मांग के कितने प्रतिशत की पूर्ति देशीय उत्पादन द्वारा की गई है और कितने प्रतिशत की आयात किये गये उर्वरकों से ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जिसकी बहुत अधिक मांग है, की कितनी मांग की गई थी और कितना संभरण किया गया है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : मैं इस प्रश्न की पूर्व-सूचना चाहूंगा।

†श्री प्र० चं० बरुआ : विवरण से ज्ञात होता है कि १९६१-६२ में नाइट्रोजन की वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रस्ताव है। मैं जानना चाहता हूं कि इस आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जायेगी ?

†श्री स० का० पाटिल : इस वर्ष हम अधिक उर्वरक आयात कर रहे हैं। जहां तक व्यापारिक फसलों की आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, उन्हें हम शत प्रतिशत दे सकते हैं। वह हमारे लिये विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिये भी अच्छा है।

†श्री क० स० रामस्वामी : क्या सरकार उर्वरकों का संभरण मिश्रणों के रूप में करने के लिये कदम उठायेगी ?

†डा० पं० शा० देशमुख : कभी कभी राज्य सरकारें मिश्रणों का उपबन्ध करती हैं और कभी कभी कुछ गैर-सरकारी सार्थक वैसा करते हैं।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही उठे—

†अध्यक्ष महोदय : क्या उड़ीसा में भी चाय पैदा होती है ? अगला प्रश्न।

भू-संरक्षण

+

†१०१८. { श्री रामकृष्ण गुप्त
श्री हेम राज :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १४ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भू-संरक्षण विशेषज्ञों के दल की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण, जिसमें श्री डान ए० विलियम्स द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८६]

†श्री रामकृष्ण गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि भू-सर्वेक्षण कार्यों में केन्द्र की विभिन्न शाखाओं और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के लिये जैसा कि प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है, क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†डा० पं० शा० देशमुख : हम उनके समन्वय का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस में हमें काफी सफलता मिली है।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि भूमि और जल सम्बन्धी कार्यक्रम प्रविधिक होने चाहिये न कि राजनैतिक। मैं जानना चाहता हूं कि “राजनैतिक” शब्द का क्या तात्पर्य है ?

†अध्यक्ष महोदय : “प्रविधिक” से भिन्न प्रत्येक चीज “राजनैतिक” है।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : “राजनैतिक” शब्द का महत्व क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†डा० पं० शा० देशमुख : मुझे नहीं पता कि वह शब्द कहां आया है। मैं उसे ढूंढने में असफल रहा हूँ।

†श्री तंगामणि : इन १५ सिफारिशों में से अधिकांश राज्य सरकारों के पास उन के विचार जानने के लिये भेज दी गई हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी राज्य सरकारों ने उत्तर भेजे हैं और किस प्रकार की कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहूंगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†*१०२०. { श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री तंगामणि :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या योजना के अन्त तक इस लक्ष्य के पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि नहीं, तो कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मद्रास राज्य में कितने केन्द्र खोल गये ?

†स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) ३,०००।

(ख) और (ग). इस महीने के अन्त तक लगभग २,६०० केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है। कर्मचारियों की कमी के कारण कुछ केन्द्रों में पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं।

(घ) ६६.

†श्री कोडियान : इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का समस्त व्यय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है अथवा उसका कुछ अंश सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा भी दिया जाता है ?

†श्री करमरकर : योजना अवधि के लिए अनावर्तक व्यय के एक अंश का और आवर्तक व्यय के एक अंश का भुगतान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शेष व्यय राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं।

†श्री कोडियान : क्या इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवार नियोजन के संबंध में भी सलाह दी जाती है ?

†श्री करमरकर : हां, श्रीमान्, हमारी समस्त चिकित्सा संस्थाओं से परिवार नियोजन के सम्बंध में सलाह देने की आशा की जाती है। हम परिवार नियोजन कार्य का तीसरी पंचवर्षीय योजना में समस्त केन्द्रों—वास्तव में देश की समस्त चिकित्सा संस्थाओं में—विस्तार करने की आशा करते हैं।

†श्री तंगामणि : विवरण से ज्ञात होता है कि मद्रास में ६६ केन्द्र खोले गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने केन्द्रों में उचित चिकित्सा कर्मचारी हैं और क्या उनकी कमी है? क्या सरकार प्रत्येक सामुदायिक विकास एकक में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार कर रही है?

†श्री करमरकर : हाँ श्रीमान्, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम प्रत्येक सामुदायिक विकास केन्द्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आशा कर रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, मद्रास के ११७ स्वास्थ्य केन्द्रों में से केवल १४ ऐसे हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं।

†श्री रंगा : उन्हें केवल परिवार नियोजन संबंधी कार्य करना है अथवा सामान्य कार्य भी जिसके लिए ग्रामीण औषधालय खोले जाते हैं? उनके पास साजसामग्री क्या है?

†श्री करमरकर : साजसामग्री स्वास्थ्य के लिए है और स्वास्थ्य में परिवार नियोजन सम्मिलित है।

†श्री रंगा : श्री कण्ठा श्री कण्ठा, चापकण्ठा चापकण्ठा। मैं सूचना चाहता हूँ यह शास्त्रीय व्यापार नहीं।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने समस्त प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया है।

†श्री रंगा : मैंने ध्यान दिया है और इसीलिए यह प्रश्न पूछ रहा हूँ।

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि यह मुख्यतः स्वास्थ्य केन्द्र हैं। वैसे परिवार नियोजन के संबंध में भी सलाह देने का उपबन्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि वह इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रत्येक केन्द्र में वह सुविधा उपलब्ध हो सके। यदि एक प्राथमिक है तो दूसरी माध्यमिक। संभवतः माननीय सदस्य ने सुना नहीं है। यदि वह कोई नई बात पूछना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†श्री रंगा : उन्हें वह सूचना अपने पास ही रखे रहने दीजिए।

†श्री करमरकर : मैं अध्यक्ष महोदय से पूर्णतः सहमत हूँ।

†श्री त्यागी : चूंकि स्वास्थ्य हस्तान्तरित विषय है इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार यह कार्य अपने हाथ में ले सकती है अथवा राज्य सरकारें भी केन्द्र की कुछ जिम्मेदारियों का भार उठा रहीं हैं?

†श्री करमरकर : माननीय सदस्य इस प्रकार बात कर रहे हैं मानों वह मान्टफोर्ड सुधार के दिनों में रह रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा अधिकांश में राज्य-विषय हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार, जैसा कि माननीय सदस्य को जानना चाहिए, समन्वय अभिकरण है। हम उनका वित्तपोषण करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और उनके प्रयत्नों का समन्वय करते हैं। इसलिए संविधान के अधीनस्थ उस पर हमारा भी समान अधिकार है।

†श्री त्यागी : उसका वित्तपोषण कैसे किया जाता है? वह एक हस्तान्तरित विषय है। क्या वे उसका वित्तपोषण करते हैं या नहीं?

†श्री करमरकर : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य ने संविधान को भुलाया नहीं है। संविधान में तीन सूचियाँ हैं। पूर्णतः केन्द्रीय सूची, सहवर्ती सूची और राज्य सूची।

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : क्या अब हम इस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं ? (अन्तर्बाधायें)

†एक माननीय सदस्य : स्वास्थ्य मंत्री की यहां कोई आवश्यकता नहीं है।

†श्री बजरज सिंह : उनको यहां नहीं होना चाहिए (अन्तर्बाधायें)

†श्री त्यागी : मैं यह जनाना चाहता था कि राज्य भी उसमें कुछ अंशदान कर रहे हैं अथवा नहीं ? प्रश्न यह है कि समस्त भार का वहन केन्द्र द्वारा किया जा रहा है अथवा राज्य भी कुछ अंश देते हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह प्रश्न नहीं पूछा था। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के व्यय का कितना भाग राज्य देते हैं तथा कितना केन्द्र द्वारा दिया जाता है ?

†श्री करमरकर : जहां तक मुझे ज्ञात है, यदि कोई गलती हो तो सुधार किया जा सकता है, हम क्वार्टरों के लिए सामुदायिक विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच में लगभग ७०,००० रुपए का पिण्डराशि अनुदान देते हैं। हम अनावर्तक व्यय के कुछ भाग का भुगतान भी करते हैं और लगभग ५० प्रतिशत आवर्तक व्यय का भी परन्तु इसमें सुधार की गुंजाइश है। राज्य भी अंशदान करते हैं और जब किसी स्थायी स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाती है तो यह उनके प्रशासन का सामान्य दैनिक अंग बन जाता है।

†श्री रंगा : यह उत्तर पहले ही दिया जा सकता था, आप तो कविता सी करते हैं।

†श्रीमती रेणुका राय : क्या यह सच नहीं है कि देश के बहुत से भागों में दाइयों, नर्सों और डाक्टरों की कमी होन पर भी कुछ भागों में उनकी अधिकता है ? स्वास्थ्य मंत्रालय उन राज्य सरकारों की सहायता के लिए, जिनके यहां इन कर्मचारियों की कमी है, क्या कर रही है जिससे उन्हें अधिकता वाले क्षेत्रों से ये कर्मचारी मिल सकें ?

†श्री करमरकर : पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिसमें डाक्टर आवश्यकता से अधिक हैं और उड़ीसा तथा कई अन्य राज्य ऐसे हैं जिनमें डाक्टरों की कमी है। यदि राज्य सरकारों को अधिकता वाले राज्यों से डाक्टर लेने के लिए कहा जाता है तो पता नहीं क्यों वे वैसा करने के लिए अनिच्छा प्रकट करती हैं और हम उन्हें उसक लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।

†श्रीमती रेणुका राय : मद्रास राज्य में दाइयों और नर्सों की अधिकता है जबकि उत्तरी क्षेत्रों में पर्याप्त स्त्रियां नहीं मिलती हैं। क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिससे फालतू लोगों का अन्य राज्यों द्वारा लाभ उठाया जा सके ?

†श्री करमरकर : हमने कमी वाले राज्यों की अधिकता वाले राज्यों से कमीपूर्ति को हमेशा प्रोत्साहन दिया है। उदाहरण के लिए केरल की नर्स देश के प्रत्येक भाग में पाई जाती हैं।

†श्री बसुमतारी : इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चयन का आधार क्या है ? क्या पिछड़ापन भी एक मानदण्ड है ?

†अध्यक्ष महोदय : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निश्चय किन बातों के आधार पर किया जाता है ? यह माननीय मंत्री का कार्य है अथवा राज्य का ? माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं।

†श्री करमरकर : चूंकि प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों की अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी सहायता की जाती है इसलिए केन्द्रीय सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर कुछ मानदंड निश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए डाक्टर के लिए एम० बी० बी० एस० होना आवश्यक है।

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्थान के चयन के बारे में पूछा था।

†श्री करमरकर : स्थान का चयन पूर्णतः राज्यों पर है; प्रशासन पूर्णतः उनके हाथ में है।

लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी]

†*१०२१. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी के लिए जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध की गयी हैं, राज्य सरकारें उसका पूरा लाभ नहीं उठा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण सुविधाओं का अवश्य पूरा लाभ नहीं उठाया जाता है परन्तु दीर्घकालीन प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रायः पूर्ण लाभ उठाया जा रहा है।

(ख) सुविधायें बढ़ाने के प्रश्न पर लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों के चतुर्थ सम्मेलन में विचार किया गया था। एक विवरण, जिसमें सम्मेलन की संबंधित सिफारिशें दी गई हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८७] वे सिफारिशें क्रियान्वयन हेतु संबंधित राज्य सरकारों/प्राधिकारियों को निर्दिष्ट की गई हैं।

श्री अजित सिंह सरहदी : चूंकि लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सम्मेलन ने यह स्वीकार किया है कि राज्यों का रुख बहुत उत्साहवर्धक नहीं है इसलिये क्या केन्द्रीय संस्था को राज्य सेवा के कर्मचारियों के अतिरिक्त नए चिकित्सा स्नातकों के लिये खोल देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†श्री करमरकर : नहीं, श्रीमान्। यह मूलतः राज्यों के कर्मचारियों की सेवा के लिये है और इसलिये इन प्रशिक्षण केन्द्रों को जिनके लिये पहले खुला रख गया है उनके अतिरिक्त अन्य लोगों के लिये खोल देने का अभी कोई विचार नहीं है। हम राज्यों को अधिकाधिक समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और राज्य उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। उसमें कुछ समय लगेगा परन्तु हमें पर्याप्त कर्मचारी अवश्य मिल जायेंगे।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या इन संस्थाओं में सेवा के कर्मचारी भेजने के लिये प्रत्येक राज्य के लिये कोई कोटा निश्चित है ?

†श्री करमरकर : जैसा मैंने बताया अभी राज्य सरकारों ने उच्च स्तर पर अधिक व्यक्ति नहीं भेजे हैं, नीचे के स्तर पर अवश्य भेजे हैं।

उत्तर प्रदेश में विद्युत् परियोजनायें

+

†*१०२२. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की कितनी और किन विद्युत् परियोजनाओं को शामिल किया गया है ;

(ख) क्या यमुना जलविद्युत् परियोजना और माताटीला परियोजना को भी शामिल किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८८]

†श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश की बिजली की कमी की तीसरी योजना में सम्मिलित बिजली परियोजनाओं द्वारा काफी पूर्ति हो जाने की आशा है । मैं जानना चाहता हूँ कि रेंड बांध को छोड़ कर क्या इनमें से अन्य किसी परियोजना के पूर्ण हो जाने की संभावना है और क्या उन्हें योजना के प्रमुख भाग में सम्मिलित किया गया है ?

†श्री हाथी : जहां तक प्रमुख और साधारण भाग का सम्बन्ध है उनमें कोई अन्तर नहीं है । कुछ योजनायें तीसरी योजना में पूर्ण हो जायेंगी और दूसरी योजना के अन्त में कुल ३७८ एम० डब्लू० बिजली पैदा होगी ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री की जानकारी में यह बात आई है कि रेंड बांध से पैदा की जाने वाली ४० प्रतिशत से अधिक बिजली का उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि ट्रांसमिशन के साधन उपलब्ध नहीं हैं और यदि हां, तो क्या केन्द्र इस सम्बन्ध में राज्य की सहायता करने का विचार कर रहा है और यदि हां, तो किस प्रकार से ?

†श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि रेंड से बिजली पैदा हो रही है । ट्रांसमिशन के साधनों की कमी के कारण कठिनाई अधिक नहीं है और बिजली के ट्रांसमिशन के लिये सुविधायें दी जायेंगी ।

†श्री रघुबीर सहाय : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास खण्डों में अनेक स्थानों पर जहां सिंचाई के प्रयोजन के लिये नलकूप बनाए गये थे, बिजली का संभरण नहीं किया गया है । उस कठिनाई को दूर करने और उन नलकूपों को बिजली का संभरण करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

†श्री हाथी : यह प्रश्न वास्तव में नलकूपों से संबंधित नहीं है परन्तु फिर भी मैं यह बता देना चाहता हूँ कि कठिनाई का कारण बिजली की कमी अथवा लो ट्रांसमिशन लाइनों की कमी हो सकता है । मैं ठीक नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास इन चीजों के आंकड़े नहीं हैं । मैं इस मामले में जांच करूंगा ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अंसार हरवानी : क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में समस्त विद्युत् परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब हुआ है और निर्धारित कार्यक्रम का अनुसरण नहीं किया जा सका है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि वहां अनेक विद्युत् परियोजनायें थीं। केवल माता-टीला के संबंध में विलम्ब हुआ था और उसका कारण यह था कि उसे योजना के प्रमुख भाग में सम्मिलित नहीं किया गया था और विदेशी मुद्रा नहीं उपलब्ध थी। अब हमने विदेशी मुद्रा उपलब्ध कर दी है और कार्य प्रगति करेगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : अब माताटीला को सेकेंड फाईव ईयर प्लान के कोर में इसलिये शामिल नहीं किया गया क्योंकि यह एक पिछड़ा हुआ इलाका था और यहां पर बिजली की अधिक आवश्यकता महसूस नहीं की गई। फीरेन एक्सचेंज दूसरे कामों के लिये मिल गया लेकिन केवल इस काम के लिये वह नहीं मिल सका। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में माता टीला पूरी कैपेसिटी तक यह पावर प्रोजेक्ट बन जायगा और क्या इसके पूरी तौर से कामयाब होने की सम्भावना है ?

†श्री हाथी : अब समस्त आवश्यक विदेशी मुद्रा दे दी गई है और ८० लाख की मांग की गई थी तथा उपबन्ध कर दिया गया है। वह परियोजना तीसरी योजना अवधि में पूर्ण हो जाएगी।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि यमुना हाइडल की स्कीम कब तक पूर्ण होगी और उसकी इस वक्त क्या स्थिति है ?

†श्री हाथी : यमुना जलविद्युत् योजना की दो प्रावस्थायें हैं। प्रथम प्रावस्था में ५६ एम० डब्लू० बिजली उपलब्ध होने की आशा है और वह तीसरी योजना में पूर्ण होगी।

श्री सिंहासन सिंह : रिहैन्ड डैम कब से बिजली देना प्रारम्भ करेगा? इससे पैदा होने वाली बिजली का अधिक हिस्सा अल्यूमीनियम फैक्टरी को जा रहा है मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के लिये बिजली देने का क्या इंतजाम हो रहा है जब कि यह रिहैन्ड डैम उन्हीं के लिये बनाया गया था? क्या यह सही है कि रिहैन्ड डैम की बिजली देने के पूर्व उत्तर प्रदेश के जितने बिजली के केन्द्र हैं उन सब का ग्रिड बना कर के एक भाव से सब को बिजली दी जायगी?

†श्री हाथी : राज्य के अन्दर विद्युत् का वितरण राज्य बिजली बोर्ड का कार्य है। परन्तु जहां तक रेंड बांध की समाप्ति का सम्बन्ध है, वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा और आगामी कुछ महीनों में ही बिजली का संभरण करने लगेगा।

†श्री राधे लाल व्यास : क्या रेंड बांध और माताटीला बांध से पैदा होने वाली बिजली के वितरण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच कोई समझौता हो गया है और यदि हां, तो क्या फैसला हुआ है ?

†श्री हाथी : रेंड बांध के सम्बन्ध में कुछ दिन पूर्व एक प्रश्न आया था और मैंने उत्तर दिया था कि मामले पर क्षेत्रीय परिषद् की पिछली बैठक में विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री मिल कर यह प्रश्न तय करें।

†श्री प्र० के० देव : हमें ज्ञात हुआ है कि रेंड बांध से जो बिजली पैदा होगी उसके अधिकांश भाग का प्रयोग एल्युमिनियम संयंत्र के लिये किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि गांवों में बिजली लगाने तथा अन्य प्रयोजनों के लिये कितने प्रतिशत विद्युत् शक्ति उपलब्ध होगी ?

†श्री हाथी : मैं समझता हूँ कि २५०,००० किलोवाट में से ५५,००० किलोवाट की खपत एल्युमिनियम कारखाने में होगी और शेष अन्य प्रयोजनों के लिये उपलब्ध होगी।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संयंत्र को पूरा करने के लिये केंद्र से कोई वित्तीय सहायता मांगी है और यदि हां, तो केंद्र इस संयंत्र को पूरा करने के लिये कितनी राशि देने का विचार कर रहा है ?

†श्री हाथी : विद्युत् परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के प्रश्न का निर्णय अलग अलग परियोजनाओं के आधार पर नहीं किया जाता है। जब समस्त योजना पर विचार किया जाता है तो पहले यह निर्णय किया जाता है कि राज्य अपने साधनों से कितना धन एकत्रित करेंगे और केंद्र से कितनी सहायता दी जायगी इसलिये इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है कि जब परियोजनाओं के निर्माण का कार्यक्रम निश्चित हो जाए तो उनका उचित वित्त पोषण किया जाए।

श्री रघुनाथ सिंह : माननीय मंत्री ने कहा है कि पचास परसेंट पावर एल्युमिनियम प्लांट को दी जायगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि बाकी पचास परसेंट में से कितनी रेलवे को दी जायगी और कितनी सर्व-साधारण को प्राप्त होगी।

श्री हाथी : मैंने ५० प्रतिशत नहीं कहा था। मैंने कहा था २५०,००० किलोवाट में से ५५,००० किलोवाट की खपत एल्युमिनियम संयंत्र में होगी।

श्री रघुनाथ सिंह : रेलवे को कितनी दे रहे हैं और सर्व-साधारण को कितनी प्राप्त होगी ?

†श्री हाथी : सब आंकड़े रखना कठिन है परन्तु मैं समझता हूँ कि रेलवे को २५,००० किलोवाट का संभरण किया जा रहा है।

एयर इंडिया इंटरनेशनल के लिये बोइंग-७०७ विमान

†*१०२३. { श्री मुरारका :
श्री नथवानी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

कय परिवहन तथा संचार मंत्री १ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया इंटरनेशनल के लिये और बोइंग-७०७ विमान खरीदने के बारे में इस बीच कोई निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने विमान खरीदने का विचार है, उनकी कीमत क्या है और वे किस तिथि को मिल जायेंगे ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई विदेशी सहायता प्राप्त की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**असैनिक उड्डयन उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) से (ग). एयर इंडिया इन्टरनेशनल ने सरकार के अनुमोदन से दो और बोइंग-७०७ विमान खरीदने का निर्णय किया है जो इस शर्त के अधीनस्थ है कि ऋणों के रूप में विदेशी सहायता उपलब्ध हो जाए। ऋणों आदि का ब्यौरा इस महीने में तैयार हो जाने की आशा है। उनके मिलने की संभावित तारीख मार्च / अप्रैल, १९६२ है। इन दो बोइंग विमानों की खरीद में लगभग ८०० लाख रुपये व्यय होंगे।

†**श्री मुरारका :** क्या सरकार ने समस्त तीसरी योजना की आवश्यकताओं का निर्धारण किया है और यदि हां तो इस प्रयोजन के लिए कितना धन आवण्टित किया गया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** एयर इंडिया इन्टरनेशनल की तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि की आवश्यकताओं के लिये लगभग १५ कोड़ रुपये से १६ करोड़ रुपये आवण्टित किए गए हैं।

†**श्री मुरारका :** क्या बोइंग-७०७ विमानों की खरीद का निर्णय करने के पूर्व सरकार ने अन्य समान विमानों की जांच की थी और यदि हां तो किन विमानों की और उनका मूल्य कितना था ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इन आवश्यकताओं की भली प्रकार जांच की गई थी। उदाहरण के लिए कामेट ४, कैटेबिले और अन्य विमानों की जांच की गई थी और प्रविधिक कर्मचारियों का यह मत था कि वर्तमान परिस्थितियों में बोइंग-७०७ विमान सब से अच्छा रहेगा।

†**श्रीमती रेणुका राय :** माननीय उपमन्त्री ने कहा कि ये बोइंग विमान विदेशी ऋणों से खरीदे जायेंगे। ये विदेशी ऋण हमें कहां से और कब तक मिलेंगे ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इन बोइंग विमानों के अप्रैल, १९६२ तक मिल जाने की आशा है। ऋणों के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका में बातचीत की जा रही है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** इन बोइंग विमानों की खरीद के सम्बन्ध में एयर इंडिया इन्टरनेशनल भारतीय प्रतिनिधियों को कितना कमीशन दे रहा है।

†**श्री मुहीउद्दीन :** मैं ठीक नहीं कह सकता परन्तु मेरा विचार है कि एयर इंडिया इन्टरनेशनल ने कोई कमीशन नहीं दिया है। हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रतिनिधि को कमीशन नहीं दिया गया है। यह एयर इंडिया इन्टरनेशनल और निर्माताओं के बीच तयक्ष सौदा है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** माननीय परिवहन तथा संचार मंत्री ने एक पिछले अवसर पर मेरे एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि वह इस मामले में जांच करेंगे। उन्होंने यह आश्वासन दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कहते हैं कि कोई कमीशन नहीं दिया गया है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** वह सूचना मैंने दी थी और माननीय परिवहन तथा संचार मंत्री ने कहा था कि "मैं आपको इस सूचना के लिये धन्यवाद देता हूं, मैं इसकी जांच करूंगा।"

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्) :** जांच के बाद हमें पता चला है कि हम प्रत्यक्ष निगम के साथ सौदा कर रहे हैं।

†श्री साधन गुप्त : पहले तीन बोइंग विमान ११ कोड़ पये में खरीदे गये थे। मैं जानना चाहता हूँ, कि पिछले दो न करोड़ रुपये में क्यों खरीदे जा रहे हैं अर्थात् पहले तीन विमानों से औसतन ३३ लाख पये से ३४ लाख रुपए तक अधिक मूल्य पर ?

†श्री मुहीउद्दीन : मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं। पहले तीन विमानों के लिए व्यादेश चार साल पहले दिये गये थे और तब से मूल्यों में कुछ वृद्धि हो गई है।

†श्री मुरारका : माननीय मंत्री ने मेरे अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मेरी अपेक्षित सूचना नहीं दी थी। मैं जानना चाहता था कि कामेट ४ का मूल्य बोइंग ७०७ विमान की तुलना में कैसा है ?

†श्री मुहीउद्दीन : मुझे कामेट ४ विमान का मूल्य ज्ञात नहीं है। परन्तु इस सम्बन्ध में मूल्य ही एकमात्र महत्वपूर्ण तत्व नहीं था।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या सरकार को अमरीका की बोइंग कम्पनी द्वारा भारतीय तिनिधियों को भुगतान किये जा रहे कमीशन की जानकारी है ?

†श्री मुहीउद्दीन : मुझे उसकी जानकारी नहीं है।

†श्री रंगा : क्या इसके सम्बन्ध में जांच कराई जायेगी ?

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या सरकार इसके सम्बन्ध में जांच करायेगी ?

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

दक्षिण भारत को जीरा की बुकिंग का बन्द किया जाना

†*१०२४. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में दादर रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत के लिए जीरे की बुकिंग बन्द कर दी गयी है, इसके परिणामस्वरूप जीरे की कीमतों में कमी होने के कारण उन्ना के कृषकों और जीरा-व्यापारियों को भारी हानि उठानी पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

†श्री मो० ब० ठाकुर : दादर स्टेशन से १९५७ से जीरे का कुल कितना बुकिंग हुआ है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : दादर जीरे का बुकिंग नहीं होता है वरन् सौराष्ट्र के राजकोट डिवीजन में उन्ना से होता है जिसका मार्ग दादर हो कर है। जांचों से पता चला है कि १९६० में सारी मांगें पूरी की गयी थीं। स आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि अप्रैल, १९६१ से २५ वैनलों का लदान होगा और हमने इस मांग की पूर्ति का प्रबन्ध कर दिया है।

†श्री मो० ब० ठाकुर : क्या मैं जान सकता हूँ कि जो अभ्यावेदन किए गए थे वे किस प्रकार के थे ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सै० वें० रामस्वामी : मैं ने अभी तो बताया था कि यह अभ्यावेदन किया गया था कि अधिक लदान होने के कारण तिदिन २५ बैगनों की आवश्यकता होगी। हम आवश्यक प्रबन्ध कर रहे हैं।

†श्री पु० र० पटेल : क्या सरकार को गुजरात, विशेषकर उत्तरी गुजरात, के व्यापारियों से बुकिंग बन्द होने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं और यदि उसकी अनुमति सरकार ने नहीं दी थी तो उस स्टेशन मास्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिसने बुकिंग करने से इन्कार किया था ?

†श्री सै० वें० रामस्वामी : मैं बता चुका हूँ कि १९६० की समस्त मांग पूरी की गई थी। जहां तक १९६१ का सम्बन्ध है अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और हम प्रबन्ध कर रहे हैं। अभी तक शिकायतें कोई नहीं आई हैं।

हीराकुद नियन्त्रण बोर्ड

†*१०२५. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुद बांध नियंत्रण कार्य के केन्द्र से उड़ीसा सरकार को हस्तान्तरित किये जाने के पश्चात्, हीराकुद नियंत्रण बोर्ड भंग कर दिया गया है ;

(ख) क्या नियंत्रण बोर्ड ने अपने गठन के समय से लेकर अब तक कुछ धनराशि को बट्टे खाते डाल दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न मदों के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि बट्टे खाते डाली गयी है ?

†सिचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी) : (क) नहीं, श्रीमान्। हीराकुद बांध परियोजना के उड़ीसा सरकार द्वारा हस्तगत किये जाने पर राज्य सरकार ने नियंत्रण बोर्ड का १ अप्रैल, १९६० से पुनर्गठन किया है।

(ख) और (ग). नियंत्रण बोर्ड की सिफारिशों पर २,५८,३९६.३६ रुपये की राशि इसके प्रादुर्भाव अर्थात् १-११-५२ से बट्टे खाते में डाल दी गई है। इसके अतिरिक्त नियंत्रण बोर्ड ने हीराकुद बांध परियोजना के चीफ इंजीनियर द्वारा १७,३९४.२७ रुपये की राशि के बट्टे खाते में डाले जाने का अनुमोदन भी किया है। इस समय विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत बट्टे खाते में डाली गई राशियां अलग से उपलब्ध नहीं हैं। यह सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर उपलब्ध कर दी जायेगी।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : नियंत्रण बोर्ड के सचिव हीराकुद बांध परियोजना के चीफ इंजीनियर हैं। क्या ये समस्त राशियां नियंत्रण बोर्ड के सचिव जो स्वयं चीफ इंजीनियर हैं, की सिफारिश पर बट्टे खाते में डाली गई हैं ?

†श्री हाथी : जब कोई राशि बट्टे खाते में डालनी होती है तो उस पर समस्त बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है और बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् ही ये राशियां बट्टे खाते में डाली गई थीं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि जो राशियां बढ़े खाते में डाली गई हैं वे चीफ इंजीनियर और अनावश्यक कर्मचारियों द्वारा किए गए व्ययों में सम्बन्धित हैं और यदि हां तो क्या इस मामले में जांच की जायेगी ?

†**श्री हाथी** : जैसा मैं ने बताया यह २ लाख और कुछ की कुलराशि १-११-१९५२ से १९६१ तक की है । समस्त सूचना एकत्रित करने में कुछ समय लगेगा और जैसा कि मैं ने उत्तर में कहा है हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं और उसके प्राप्त होते ही मैं सभा को दे दूंगा ।

†**श्री सुपकार** : क्या नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन के पश्चात् उसमें केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का भी कोई प्रतिनिधि है ?

†**श्री हाथी** : १ अप्रैल, १९६० से नवनिर्मित बोर्ड में एक प्रतिनिधि सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का है और एक प्रतिनिधि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का भी है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि नियंत्रण बोर्ड के प्रादुर्भाव के समय से यात्रा भत्ते और अन्य चीजों तथा बैठकों पर अभी तक कुल कितनी राशि व्यय की गयी है ?

†**श्री हाथी** : यह सूचना भी एकत्रित करनी होगी । अर्थात् मुझे १९५२ से १९६१ तक के आंकड़े जमा करने होंगे और समस्त १० ए० बिलों की जांच करानी होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब बोर्ड बनाया गया है तो उसे भुगतान करना ही होगा । अगला प्रश्न ।

इर्विन अस्पताल नई दिल्ली के कर्मचारी

†*१०२६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इर्विन अस्पताल नई दिल्ली से सम्बद्ध औषधालयों द्वारा जितने रोगियों को विशेषज्ञों के पास भेजा जाता है, उनकी संख्या को देखते हुए इस अस्पताल में डाक्टरों आदि की संख्या पर्याप्त नहीं है ;

(ख) क्या उन रोगियों को, जिन्हें विशेषज्ञों के पास भेजा जाता है, इस अस्पताल में अपनी बाकी आने तक घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस अस्पताल के चिकित्सा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है ताकि रोगियों को इतने लम्बे समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** (क) और (ख). नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैं इतना और जोड़ देना चाहता हूं कि इर्विन अस्पताल के साथ केवल कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय संबद्ध हैं और मैं समझता हूं कि उन के लिये मंजूर किये गये विशेषज्ञ कर्मचारी पर्याप्त संतोषजनक हैं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : अस्पताल में दूसरी पंच वर्षीय योजना में कर्मचारियों और उपकरण की वृद्धि पर कितना धन व्यय किया गया है?

†श्री करमरकर : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इन दिनों उनमें किस प्रकार के विशेषज्ञ हैं और क्या माननीय मंत्री को विशेषज्ञ कर्मचारियों, जैसे एक्स रे और अन्य चीजों की अदक्षता के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

†श्री करमरकर : हमें कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । हाल में मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के चालू होने से कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई है और इस लिये स्थिति ठीक हो गई है । यह ठीक है कि बाहर रह कर इलाज कराने वाले रोगियों को अर्जेंट केसों की जांच किये जाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इस प्रकार के दैनिक केसों में कुछ समय तो लगता ही है, परन्तु यह तो लगेगा ही ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्रालय रोगियों और उन के लिये आवश्यक डाक्टरों की संख्या में कोई अनुपात रखता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके सम्बन्ध में कोई मोटा अनुमान है और यदि हां तो क्या वह अनुपात सामान्य रोगियों और विशेष चिकित्सा वाले रोगियों दोनों के सम्बन्ध में रखा जाता है ?

†श्री करमरकर : हम आवश्यक डाक्टरों की संख्या के सम्बन्ध में सामान्य अनुमान रखते हैं । परन्तु, जैसाकि माननीय मित्र जानते हैं, इविन अस्पताल में केवल दिल्ली के ही रोगी नहीं आते हैं वरन् दिल्ली के आसपास के ३०० मील क्षेत्र के रोगी भी आते हैं, विशेषकर कैंसर के मामले में । इसलिये आने वाले रोगियों की संख्या उस से कुछ अधिक है जो अन्यथा होती है । हम उस अस्पताल में डाक्टर और उपकरण बढ़ाने का यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि न केवल इविन अस्पताल में बल्कि विलिंगडन अस्पताल में, सफदरजंग अस्पताल में तथा दिल्ली और नई दिल्ली के जितने और भी बड़े अस्पताल हैं, उनमें यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि वर्ष में रोगियों की संख्या क्या है और डाक्टरों के कार्य करने के कितने घंटे हैं और इन दोनों का अनुपात लगा कर के क्या स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि एक डाक्टर एक रोगी पर एक मिनट भी ध्यान दे पाता है या नहीं दे पाता है ?

श्री करमरकर : मैं ने अभी अर्ज किया है कि यह ठीक बात है कि डाक्टरों की संख्या को देखते हुए रोगियों की संख्या कुछ अधिक है, भीड़ थोड़ी अधिक है । लेकिन फिर भी रुकावट वाली कोई बात नहीं है । हमें यह देखना होता है कि काफी सैटिसफैक्टरी कंडिशन वहां हैं या नहीं हैं । विलिंगडन अस्पताल है, सफदरजंग अस्पताल है, आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इविन अस्पताल है और इन सभी को अगर हम देखें तो यह कहा जा सकता है कि दिल्ली के जितने मरीज हैं और बाहर से जितने मरीज दिल्ली आते हैं, उन सभी के लिये यह व्यवस्था पर्याप्त तो नहीं है लेकिन फिर भी काफी समाधानकारक है ।

†श्री तंगामणि : मैं जानना चाहता हूं कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कितने कर्मचारी इविन अस्पताल से संबद्ध औषधालयों में उपचार प्राप्त कर रहे हैं और उन में कौन कौन से उद्योग आ जाते हैं ?

†श्री करमरकर : मैं इस के सम्बन्ध में पूर्व सूचना चाहूंगा ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : मूल इन इविन अस्पताल से संबद्ध विभिन्न औषधालयों के बारे में था और मुख्य उत्तर में बताया गया है कि वहां के डाक्टर विभिन्न औषधालयों द्वारा भेजे गये रोगियों को देखने में असमर्थ हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि प्रश्न में विशेषज्ञों के बारे में पूछा गया है ।

†**श्री तंगामणि** : और औषधालयों के बारे में भी । मंत्री जी ने यह भी बताया था कि वह कर्मचारी राज्य बीमा योजना में सम्मिलित श्रमिकों के लिए औषधालयों की सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हैं । इस लिये मैं यह जानना चाहता था कि योजना में कितने श्रमिक आ जाते हैं?

†**श्री करमरकर** : उन्हें एक दो शब्द और जोड़ देने चाहिये थे अर्थात् यह कि "श्रमिक अवधि में कितने रोगी आये?" परन्तु उन्होंने यह पूछा था कि क्या उपलब्ध सुविधायें कार्य संभालने के लिये पर्याप्त हैं? मैंने कहा कि वे उसे संभालने में असमर्थ हैं । जहां तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना का सम्बन्ध है, वह संतोषजनक है; जहां तक सामान्य जनता का सम्बन्ध है व्यवस्था तनी संतोषजनक नहीं है । परन्तु अब यदि माननीय मित्र कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वह पृथक् सूचना दे सकते हैं और मैं उसका उत्तर दूंगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस अस्पताल के अगले वर्ष या फिर कभी विस्तार और कर्मचारियों तथा उपकरण के बढ़ाये जाने की कोई योजना है और यदि हां तो क्या माननीय मंत्री के समक्ष कोई योजना है ?

†**श्री करमरकर** : हाल में हमने ३०० पलंग या २५० पलंग—मैं सही संख्या भूल गया हूं—बढ़ाना मंजूर किया था । इन अतिरिक्त पलंगों के लिये अतिरिक्त कर्मचारी होंगे ।

†**श्रीमती इला पाल चौधरी** : माननीय मंत्री ने कहा कि कर्मचारी कम हैं । क्या रोगियों की प्रतीक्षा के समय सहायता करने के लिये कोई कर्मचारी है? कभी कभी नर्सिंग कर्मचारियों को ऐसे रोगियों की सहायता करनी पड़ती है जिन्हें घण्टों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । क्या नर्सिंग कर्मचारी बढ़ाये गये हैं ?

†**श्री करमरकर** : कौन प्रतीक्षा करता है ? मैं समझ नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : रोगी प्रतीक्षा करते हैं और वह जानना चाहती हैं कि क्या नर्सिंग कर्मचारी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्रीमती इला पाल चौधरी** : जी हां, नर्सिंग कर्मचारी भी बढ़ाये जाने चाहियें ।

†**श्री करमरकर** : रोगियों के प्रतीक्षा करते समय नर्सिंग कर्मचारी ? मैं समझ नहीं सका । जो रोगी जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी उसका काम हो जाता है । जो रोगी देर से आते हैं उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है । यह पहले घण्टे में आने वाले रोगियों की संख्या पर निर्भर है । हम उनके आराम का भरसक प्रबन्ध करते हैं । हमने कुछ समाचार पत्र रखा दिये हैं और प्रतीक्षालय का विस्तार कर रहे हैं । इस में जल्द बाजी नहीं हो सकती है । जो रोगी आते हैं उनकी एक समर्थ अधिकारी द्वारा जांच की जानी होती है ।

†**श्रीमती इला पाल चौधरी** : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । प्रश्न यह है कि जब रोगियों को घण्टों प्रतीक्षा करनी पड़ती है तो उनकी तुरन्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये कोई व्यक्ति अवश्य होना चाहिये । कभी कभी नर्सिंग कर्मचारी भी उपलब्ध नहीं होते हैं ।

†**मूल अंग्रेजी में** ।

†श्री करमरकर : माननीय मित्र को प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। जब कोई ऐसा केस आता है जिसमें तुरन्त ध्यान देने की जरूरत होती है तो उसकी तुरन्त जांच की जाती है और क्षण भर की भी देर नहीं की जाती है। जो लोग प्रतीक्षा कर सकते हैं उन के लिये नल तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था है। इर्विन अस्पताल में प्रतीक्षा करने के स्थान का विस्तार किया गया है। जब मैं ने पूछा तो मुझे बताया गया कि वे प्रतिदिन लगभग २५०० रोगियों की परीक्षा करने में समर्थ हैं।

यह सवाल प्रायः उठता रहता है और मैंने उत्सुकता के कारण लन्दन के एक बहुत अच्छे अस्पताल में कुछ पूछाछ की थी। मैंने पूछा कि रोगियों को कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उन्हें इस प्रश्न पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने बताया कि जो रोगी जितनी देर से आता है उसे उतनी ही देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कभी कभी उन्हें पांच घण्टे तक भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। दिल्ली के अस्पताल में किसी भी रोगी को एक या दो घण्टे से अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। यदि वह ७ बजे आता है तो उसकी परीक्षा तुरन्त हो जाती है।

†श्री विभूति मिश्र : माननीय मंत्री जी दिल्ली में रहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कष्ट करके वह कभी इर्विन अस्पताल सरपराइज विजिट के लिये गये हैं और क्या यह जानने की कोशिश की है कि रोगियों को क्या कष्ट होते हैं ?

श्री करमरकर : काफी बार किया है और काफी बार करूंगा।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कभी किया है ?

श्री करमरकर : काफी बार किया है। जब कभी भी जाता हूँ तो एनाऊंस करके नहीं जाता हूँ। जब मैं अपने काम भी जाता हूँ तो वह भी एक तरह से सरपराइज विजिट ही होती है। सरपराइज विजिट सेंसर करने के लिये नहीं बल्कि यह देखने के लिये कि वहां किन किन सुविधाओं की कमी है और उन को कैसे सुलभ किया जा सकता है। इस तरह के काम मेरा जो मंत्रालय है वह भी हमेशा करता रहता है।

हालदिया में पत्तन का विकास

+

†श्री रामेश्वर टांडिया :
 श्री प्र० गं० देव :
 †*१०२७ { श्री रामकृष्ण गुप्त :
 श्री अर्जुनसिंह भबोरिया :
 श्री अरविन्द घोषाल :
 डा० विजय आनन्द :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंच वर्षीय योजना में न पत्तन का विकास करने के लिये हालदिया को चुन लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, श्रीमान्।

†मूल अंग्रेजी में

क) परियोजना के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में ७ करोड़ रुपये का उपबन्ध सम्मिलित किया गया है ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : इस पत्तन की कार्यक्षमता कितनी होगी और क्या उसमें बड़े जहाज भी आ सकेंगे ?

†श्री राज बहादुर : वह होने वाले यातायात पर निर्भर होगा । वर्तमान अध्ययनों से अनुमान है कि वह ५२ लाख टन माल का कार्य संभाल सकेगा ।

†श्री अरविन्द घोषाल : खड़गपुर से हाल्दिया की रेलवे लाइन कब तक पूरी हो जायेगी ?

†श्री राज बहादुर : रेलवे लाइन पत्तन परियोजना की स्वीकृति और क्रियान्वयन पर निर्भर है । मैं समझता हूँ कि उसका कार्य अनुमोदन किये जाने के पश्चात् पत्तन परियोजना के क्रियान्वयन के साथ साथ ही शुरू किया जायेगा ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पत्तन के निर्माण-कार्य के पूर्व किया जाना चाहिये ?

†श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्यों को पुनः याद दिला देना चाहता हूँ कि इस समय दो विशेषज्ञ काम कर रहे हैं—एक नई परियोजना के जलप्रवाह विज्ञान संबंधी पहलू का और दूसरा जहाजों के डुबाव संबंधी पहलू का । इसके अतिरिक्त कलकत्ता पत्तन आयुक्त के प्रविधिक कर्मचारियों ने एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है और उस पर भी विशेषज्ञ श्री पौंसथुमा द्वारा विचार किया जा रहा है । यह प्रश्न प्रतिवेदन की जांच हो जाने पर पूछा जा सकता है ।

†श्री स० चं० सामन्त : माननीय मंत्री ने कहा कि तीसरी योजना में ७ करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि रेलवे लाइन के निर्माण के लिये धन कहां से आयेगा क्योंकि बहुत कम राशि आवंटित की गई है ?

†श्री राज बहादुर : वह रेलवे आवंटन से आयेगा ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†*१०२८. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था का उद्घाटन हो गया है और वहां पर अध्ययन शुरू हो गया है ;

(ख) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में कौन से पाठ्यक्रम चालू किये गये हैं ;

(ग) इस संस्था की क्षमता कितनी है ; और

(घ) इस संस्था की स्थापना पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

†स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।
[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८६]

†श्री प्र० चं० बरुआ : विवरण से ज्ञात होता है कि ३१-१२-१९६० तक ३,६५,५३,५६५ रुपये व्यय किये गये हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है और यदि हां तो कितनी और किस देश से तथा इस संस्था पर आवर्तक व्यय कितना होगा ?

†श्री करमरकर : विदेशी सहायता की राशि निम्न प्रकार है : न्यूजीलैंड सरकार ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ११ लाख १० हजार का अनुदान दिया है। राँकफेलर फाउन्डेशन ने उपकरण, स्टोर आदि की खरीद के लिये ८० लाख डालर का अनुदान दिया है। प्रविधिक सहायता मिशन ने पी० एल० ४८० के अन्तर्गत संस्था के भवन के निर्माण के लिये २७० लाख रुपये की राशि उपलब्ध की है जो अभी तक खर्च नहीं हुई है। राँकफेलर फाउन्डेशन ने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ और वजीफे देने के लिये वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ के लिये क्रमशः ३०,००० और ५४,००० डालरों के अनुदान दिये हैं। प्रविधिक सहायता मिशन ने १५,००० डालर के स्टोर और उपकरण देना स्वीकार किया है।

†श्री प्र० चं० बरुआ : संस्था के वार्षिक आवर्तक व्यय के बारे में क्या स्थिति है ?

†श्री करमरकर : मैं पूर्वसूचना चाहूँगा, वह बजट उपबन्ध में है।

†श्री प्र० चं० बरुआ : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या संस्था में पाठ्यक्रम चालू होने पर विकिरण चिकित्सा और नाभिकीय उपचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षा दी जायेगी ?

†श्री करमरकर : हाँ, श्रीमान्।

†श्री सूपकार : संस्था का पूर्ण विकास होने तक उस पर अनावर्तक कुल पूंजी व्यय कितना होगा ?

†श्री करमरकर : मैंने तीसरी योजना के लिये आंकड़े दिये हैं। अगले वर्ष के लिये बजट आवंटन १२६.५२ लाख रुपये है—राजस्व ६७.१२ लाख रुपये और पूंजी ११२.४ लाख रुपये। तीसरी योजना के लिये संस्था के लिये अस्थायी आवंटन—जिसके संबंध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है क्योंकि योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं मिला है—५५० लाख रुपये है। पूंजी व्यय ३२४.५२ लाख रुपये होगा जिसका एक बड़ा भाग एक ६५० पलंगों के अस्पताल के निर्माण और नये विकास कार्यों पर व्यय किया जायेगा। यह अभी अस्थायी उपबन्ध है।

†श्री सूपकार : क्या वह तीसरी योजना के अन्त तक पूरा हो जायेगा ?

†श्री करमरकर : मेरा विचार है कि हो जायेगा।

†श्री त्यागी : संस्था पर जो ४ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं उनमें से भवनों के निर्माण पर कितना हुआ है और उपकरणों पर कितना हुआ है ? उसका अनुपात क्या है ?

†श्री करमरकर : मैं सही आंकड़ों के संबंध में पूर्व सूचना चाहूँगा। संस्था पर उसके प्रादुर्भाव के समय से कुल ३.६५ करोड़ रुपये व्यय हुये हैं। १९५३-५४ से दूसरी योजना के अन्त तक के ७ वर्षों में फैला हुआ अनावर्तक तथा आवर्तक व्यय मूलतः ४६८.४३ लाख रुपये और १०७.६१ लाख रुपये था। परन्तु इस ३.६५ लाख रुपये की राशि का विस्तृत ब्यौरा मैं पूर्वसूचना दिये जाने पर ही बता सकता हूँ।

†श्री त्यागी : जहाँ तक मैं जानता हूँ भवन प्राक्कलन मंजूर किये जा चुके हैं। माननीय मंत्री अन्दाजन यह बता सकते हैं कि भवनों पर कितना व्यय हुआ।

†श्री करमरकर : मैं पूर्ण जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को देना चाहूँगा।

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता-दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग

†*१०२६. श्री सुबिमन घोष : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या कलकत्ता-दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है ;
- (ख) कार्य कब शुरू किया जायेगा और कब पूरा होगा ;
- (ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी भूमि की आवश्यकता पड़ेगी ; और
- (घ) उससे कितनी कृषि योग्य भूमि प्रभावित होगी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

अगस्त, १९५६ में भारत सरकार ने प्रस्थापित कलकत्ता-दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग के विस्तृत सर्वेक्षण के लिये लगभग १.५३ लाख रुपयों का अनुदान मंजूर किया था । ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार ने अभी तक कलकत्ता से बरद्वान तक का सर्वेक्षण कर लिया है और शेष सेक्शन में शीघ्र ही सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया जायेगा । परियोजना के लिये कुल कितनी भूमि की आवश्यकता होगी और उसका कितनी कृषि योग्य जमीन पर प्रभाव पड़ेगा, इस संबंध में जानकारी विस्तृत सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ही दी जा सकती है ।

शुरू में केवल कलकत्ता-बरद्वान सेक्शन पर कार्य प्रारम्भ करने का विचार है । परन्तु अपेक्षित धन प्राप्त करने में कठिनाई होने के कारण इस सेक्शन के बारे में भी अभी तक परियोजना को अन्तिम रूप से तय नहीं किया जा सका है । मामला अभी विचाराधीन है ।

†श्री सुबिमन घोष : विवरण में यह लिखा है कि विस्तृत सर्वेक्षण पूरा हो जाने से पहले इस परियोजना के लिये आवश्यक भूमि के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती । क्या इस संबंध में कुछ अनुमान लगाया गया है कि कलकत्ता से बरद्वान तक के लिये कितनी कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता होगी ?

†श्री राज बहादुर : अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कलकत्ता से बरद्वान तक के लिये कुल लगभग २२५० एकड़ भूमि की जरूरत होगी जिसमें से २००० एकड़ भूमि कृषि योग्य होगी । परन्तु यह केवल अनुमान मात्र है ।

†श्री सुबिमन घोष : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि दुर्गापुर का कलकत्ता से रेलवे द्वारा और जी० टी० रोड द्वारा पहले से ही सम्पर्क स्थापित है और नौवहन नहर द्वारा भी दोनों का सम्पर्क स्थापित किया जायेगा, तो यह नयी एक्सप्रेस मार्ग किस लिये बनाया जा रहा है, जबकि इससे बहुत बड़ी कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जायेगी ।

†श्री राज बहादुर : मुझे यह ज्ञान नहीं था कि कलकत्ता से बरद्वान तक की सड़क पर तनी अधिक भीड़ भाड़ के संबंध में भी उतना मतभेद है । प्रतिदिन यातायात बढ़ता जा रहा है और कभी

†मूल अंग्रेजी में

कभी यातायात ठप्प भी हो जाता है। अतः इस बात की बड़ी आवश्यकता थी कि इस मार्ग पर एक व्यापार तथा बड़ी लाइन होनी चाहिये।

†श्री रंगा : मंत्रालय द्वारा एक नहर का विकास भी तो किया जा रहा है। यदि उस दिशा में प्रगति को रही है तो क्या उससे भीड़ भाड़ कम हो जायेगी?

†श्री राज बहादुर : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता। फिर भी मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि यह नहर किन्हीं प्रकार के यातायात के लिये बनवायी जा रही है। नहर द्वारा केवल सीमित यातायात ही किया जा सकेगा और निरन्तर बढ़ते हुये यातायात को उस नहर द्वारा पूरा नहीं किया जा सकेगा।

†श्रीमती इलापाल चौधरी : कृषि योग्य २००० एकड़ भूमि के अधिग्रहण से जो व्यक्ति विस्थापित हो जायेंगे, क्या उन्हें वर्तमान दरों पर प्रतिकर अदा किया जायेगा?

†श्री राज बहादुर : सरकारी उपक्रमों के लिये आवश्यक भूमि के अधिग्रहण पर प्रतिकर के संबंध में सुनिश्चित नियम है।

चिकित्सा कार्यों के लिए रेडियो आइसोटोप

+

†*१०३० [श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हमारे देश में चिकित्सा विज्ञान ने रोगों का निदान और उपचार करने में रेडियो आइसोटोप का अब तक कहां तक उपयोग किया है;

(ख) इस बारे में अब तक क्या और कितनी सफलता मिली है;

(ग) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में चिकित्सा कार्यों के लिए रेडियो आइसोटोप की कितनी आवश्यकता पड़ेगी;

(घ) यदि हां, तो यह अनुमान लगभग कितना है; और

(ङ) यह आवश्यकता कहां तक पूरी हो जायेगी?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) देश के कुछ एक अस्पतालों में अनुसन्धान, रोगों के निदान और उपचार के लिये रेडियो आइसोटोपो का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) गलग्रन्थि^१ रोगों तथा कैंसर के निदान तथा इलाज के कार्य में रेडियो आइसोटोप उपयोगी सिद्ध हुए हैं। रोगाणु अनुसन्धान क्षेत्र में वे पर्याप्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं और रक्त सम्बन्धी कई रोगों के उपचार में भी पर्याप्त अच्छे परिणाम निकले हैं।

(ग) और (घ). चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता द्वारा कुछ निर्धारण किये गये हैं। अनुमान है कि तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में लगभग ५००० रुपये प्रतिवर्ष का खर्च आयेगा।

(ङ) यह मांग आंशिक रूप से आणविक शक्ति विभाग ट्राम्बे द्वारा वहन की जायेगी और आंशिक रूप से आयात के द्वारा वहन की जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

^१Thyroid

†श्री श्रीनारायण दास : क्या आण्विक शक्ति आयोग ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण मांग को पूरा कर सकेगा ?

†श्री करमरकर : उसने आश्वासन दिया है कि वह इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक यत्न करेगा। परन्तु पूरी मांग को पूरा कर सकने के सम्बन्ध में आश्वासन दिये जाने के सम्बन्ध में मैं इस समय कुछ नहीं बता सकता।

†श्री श्रीनारायण दास : अन्य उपचारों की तुलना में इसके उपचार की तुलनात्मक लागत के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया गया है।

†श्री करमरकर : यह एक ऐसा उपचार है, जो कि इससे पहले नहीं थी। अतः तुलनात्मक लागत का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

†श्री सूपकर : इसके आयात पर प्रतिवर्ष कितना रुपया खर्च किया जाता है ?

†श्री करमरकर : इसका विकास अभी गत वर्ष ही किया गया था जबकि आण्विक शक्ति विभाग ने ऐसे आइसोटोप संभरित किये गये थे, गलग्रन्थि के रोगों के इलाज में ये आइसोटोप काम आयेंगे। इनके अतिरिक्त कोबाल्ट ६० आदि कुछ अन्य वस्तुएँ भी हैं। उनका भी आयात किया जा रहा है। आइसोटोपों के आयात पर प्रतिवर्ष ५००० रुपये खर्च किये जा रहे हैं।

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् की विद्युत उप-समिति

†*१०३१. श्री रामी रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन की सम्भावनाओं, क्षेत्रीय 'ग्रिड' आदि बातों की जांच करने के लिए दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद ने एक 'विद्युत उप-समिति' नियुक्त की है,

(ख) यदि हां, तो उस समिति को किन विषयों की जांच करने और उनके बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है;

(ग) क्या समिति ने क्षेत्रीय परिषद् को कोई रिपोर्ट पेश की है;

(घ) समिति द्वारा क्या प्रस्थापनायें की गयी हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हाँ।

(ख) केरल, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर के राज्यों के विद्युत संसाधनों के समन्वित विकास की समस्याओं के बारे में उपयुक्त प्रादेशिक प्राधिकारियों को परामर्श देने के लिये एक समिति स्थापित की गयी है।

(ग) प्रविधिक समिति की बैठकों की कार्यवाही क्षेत्रीय परिषद के पास भेज दी गयी है।

(घ) प्रस्थापनाओं का सम्बन्ध दक्षिणी क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड की स्थापना के बारे में

(ड) क्षेत्रीय ग्रिड के बारे में अन्तर्राज्यीय सम्पर्कों तथा आवश्यक प्रविधिक अध्ययनों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

†श्री रामी रेड्डी : क्या मैसूर को भी उन समिति में प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

†श्री हाथी : जी, हां : मैसूर भी एक सदस्य हैं।

†श्री रामी रेड्डी : इस योजना को कब तक तय कर लिया जायेगा?

†श्री हाथी : प्रस्थापनायें तय कर ली गयी हैं और क्षेत्रीय परिषद को भेज दी गयी हैं।

डमडम हवाई अड्डे पर रडार उपकरण

†१०३२. श्री आसुर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डमडम हवाई अड्डा, कलकत्ता पर लगाये जाने वाला रडार उपकरण पिछले कई महीनों से डमडम हवाई अड्डे पर बिना देखभाल के पड़ा है और उसे जंग लग गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी, नहीं, डमडम हवाई अड्डे पर लगाये जाने वाले रडार को अच्छी प्रकार से संभाल कर रखा हुआ है और उसके खराब होने का भय नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री आसुर : क्या यह सच है कि अभी तक डमडम में कोई भी रडार उपकरण नहीं लगाया गया है? यदि हां, तो इसे लगाने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है?

†श्री मुहीउद्दीन : इस समय डमडम में एक रडार उपकरण कार्य कर रहा है। यह नया रडार वेस्टर उपकरण के रूप में लाया गया है और आशा है कि यह शीघ्र ही लगा दिया जायेगा।

†श्री आसुर : इसे लगाने में देर क्यों की जा रही है?

†श्री मुहीउद्दीन : कारण यह है कि यह विशेष उपकरण है और इसके लिये विशेष प्रकार के विद्युत उपकरणों और विशेष प्रकार की तारों की जरूरत है। परन्तु वे उपकरण विशेष तथा तारें यहाँ उपलब्ध नहीं थीं और उन्हें विदेशों से मंगवाना पड़ा है।

†श्री आसुर : उपकरण पर कितनी लागत आयी है?

†श्री मुहीउद्दीन : लगभग ६ लाख रुपयों की लागत आयी है। परन्तु मैं निश्चित रूप से बता नहीं सकता।

†श्री स० चं० सामन्त : यह नया उपकरण लगा देने के बाद पुराने उपकरण का उपयोग कैसे किया जायेगा?

†श्री मुहीउद्दीन : नया उपकरण लगा देने के बाद भी पुराना उपकरण काम करता रहेगा। यदि जरूरत हुई तो उसे किसी और हवाई अड्डे पर लगा दिया जायेगा।

कांगो में सहायता कार्य

†*१०३३. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कांगो में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहायता कार्य में भारत ने अब तक क्या योगदान किया है; और

(ख) उसका स्वरूप और व्यौरा क्या है?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). भारत सरकार ने कांगों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कल्याण कार्य में कोई सीधी सहायता नहीं की है, परन्तु २० अगस्त, १९६० को भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के तत्वावधान में ६ मास की अवधि के लिये दो डाक्टर और एक नर्स कांगों भेजी गयी थीं, यह दल १३ फरवरी, १९६१ को नई दिल्ली वापस आ गया था। भारत सरकार ने उस दल पर आये हुए वास्तविक खर्च के रूप में रेडक्रास सोसाइटी को ३३,२०३.५० रुपयों का अनुदान दिया है। सोसाइटी ने भी कल्याण सम्बन्धी वस्तुओं के लिये कांगों की रेड क्रॉस सोसाइटी को ५,००० रुपयों की सहायता की है। मैं इस प्रश्न का उत्तर इसलिये दे रहा हूँ कि उसका सम्बन्ध विश्व स्वास्थ्य संघ के द्वारा प्राप्त सहायता से है।

†श्रीमती मैमूना सुल्तान : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस सम्बन्ध में वैधानिक विवाद है कि कांगों में कौनसी सरकार वैधानिक रूप से स्थापित है, क्या भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को यह सुझाव दिया है कि हम किस सरकार को सहायता कार्य प्रदान करेंगे ?

†श्री करमरकर : यदि माननीय सदस्या यह प्रश्न प्रधान मंत्री से पूछें तो अच्छा होगा।

†श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्यों?

†श्री करमरकर : वे वैधानिक रूप से स्थापित सरकार के सम्बन्ध में पूछ रही हैं, और यह मेरे बस से बाहर है।

दिल्ली दूध योजना

†*१०३४. श्री प्र० मु० तारिक : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूध योजना के डिपुओं में काम करने वाले प्रबन्धकों तथा सहायक प्रबन्धकों को उनकी नियुक्ति से पहले कोई प्रशिक्षण दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रशिक्षण का स्वरूप और अवधि क्या है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). डिपो मैनेजरों/डिपो सहायकों के स्थानों के लिये चुने गये अभ्यर्थियों को पहले केन्द्रीय डेरी में ही एक या दो दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ उन्हें विक्रय के तरीके, विभिन्न रिकार्ड रखने के तरीके, जनता से सम्बन्ध

रखने के तरीकों के सम्बन्ध में समझाया जाता है । उसके बाद उन्हें वर्तमान दुग्ध डिपुओं पर दो या तीन दिन के लिये अनुभवी डिपो मैनेजर्स के अज्ञीन भेज दिया जाता है ताकि उन्हें वास्तविक कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त हो सके ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मैनेजर्स के अलावा जितने लोग डिपो पर काम करते हैं और जिन से लोगों का काम रहता है उनको भी कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि लोगों के साथ किस तरह से बिजनेस को चलावें ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : डिपो में दो आदमी काम करते हैं, एक डिपो मैनेजर और एक उसका असिस्टेंट । ये दोनों ट्रेड होते हैं । इनके अलावा एक वाचमेन पार्ट टाइम काम करता है जिसको इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनको यह ट्रेनिंग मुलाजिमत में लेने से पहले दी जाती है या मुलाजिमत के दौरान में दी जाती है ? और अगर दी जाती है तो कितनी मुदत के लिए दी जाती है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : उनको लेने पर दो दिन तो डेरी में ट्रेनिंग दी जाती है और तीन दिन वह अंडर ट्राइल रहते हैं यानी जो आदमी पहले से काम कर रहे होते हैं उनके साथ रह कर काम करते हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : कुछ पोलिटिकल सफरर इस स्कीम में काम कर के अपनी रोजी कमाना चाहते थे । सरकार ने उनको अब तक कोई काम इसमें नहीं दिया है । मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या वजह है ।

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : वह प्रश्न अभी विचाराधीन है, हम अभी उस पर आखिरी फैसला नहीं कर पाए हैं ।

हिमाचल प्रदेश की सड़कें

***१०३५. श्री पद्म देव :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितनी तहसीलें ऐसी हैं जिन के मुख्य कार्यालयों तक अभी तक मोटर-सड़क नहीं बनी हैं और वे तहसील किन-किन जिलों में हैं ।

(ख) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल के अन्त तक यह लक्ष्य पूरा होना था ; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) आठ । इन के नाम इस प्रकार हैं :

(१) महासू जिले में चोपाल तहसील

(२) किन्नोर जिले में चीनी, नीचर और पू तहसील

(३) पंडी जिले में चचिऔट तहसील

(४) चम्बा जिले में भरमौर, चूड़ा (तीसा) और पंगी (किल्लर) तहसील ।

(ख) और (ग). जी नहीं, चम्बा जिले की सिर्फ चूड़ा तहसील के हेडक्वार्टर को मोटर की सड़क से मिलाने का सुझाव था। इस सड़क पर काम लगभग पूरा हो रहा है।

श्री पद्म देव : क्या माननीय मंत्री जी बतला सकेंगे कि रोड़ा और चौपाल की मोटरेबिल रोड के लिए जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में योजना थी वह क्यों अभी तक मुकम्मिल नहीं हो सकी है ?

श्री राज बहादुर : मैं इसके बारे में उत्तर दे चुका हूँ। वह गालिबन सैंकिट फाइव डायर प्लान में नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गांवों में बिजली लगाना

*१०१९ { श्री भक्त वशंत :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिये योजना आयोग और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो निम्न की गई समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) उस समिति ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ; और

(घ) उसका कार्य कब तक पूरा हो जान की आशा है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). कोई औपचारिक समिति नियुक्त नहीं की गई है। किन्तु तीसरी योजना के सम्पूर्ण वास्तविक निर्धारण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बिजली ले जाने के प्रश्न की व्यावहारिकता पर २३ फरवरी, १९६१ को अर्थमंत्रालय की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था ; यह बैठक सिन्धु तथा बिजली मंत्रालय ने बुलाई थी और इसमें इस मंत्रालय, योजना आयोग और अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मामला अभी विचाराधीन है।

यंत्रीकृत फार्म

†*१०३६. { श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :
श्री चांडक :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी सहायता से १० यंत्रीकृत फार्मों की स्थापना करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) इस बारे में सरकार के समक्ष जो प्रस्थापना है, उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि कम से कम एक ऐसा फार्म मध्य प्रदेश में भी स्थापित किया जाये ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) देश में अधिक यंत्रीकृत फार्मों की स्थापना के लिये उपक्रम स्थलों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त बड़े आकार के पंजीकृत फार्मों सम्बन्धी समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की है । समिति ने यह सिफारिश की है कि राजस्थान में लगभग ३०,००० एकड़ के क्षेत्र का एक और फार्म स्थापित किया जाये ।

समिति की रिपोर्ट की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में रख दी गयी हैं ।

(ग) जी, हां । तीन स्थानों के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं । राज्य सरकार द्वारा बाद में दो सुझाव वापस ले लिये गये थे । तीसरे सुझाव पर अभी समिति द्वारा विचार नहीं किया गया है ।

ब्रह्मपुत्र में नौका सेवा के लिए नौकाओं की खरीद

†*१०१७. श्री अमजद अली : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ब्रह्मपुत्र में नौका सेवा के लिये नौकाओं की खरीद के बारे में १० सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) “मानस” और “पंचरत्न” नामक दो नौकायें गोलपाड़ा घाट कब पहुंची थीं ;

(ख) अब तक इन नौकाओं का क्या उपयोग किया गया है ; और

(ग) इनको कब से काम में लाना शुरू किया जायेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ११ सितम्बर १९६० को ।

(ख) आवश्यक चालकों के उपलब्ध न होने के कारण अभी तक नौकायें चलाना संभव नहीं हो सका है ।

(ग) अब चालकों का प्रबन्ध कर लिया गया है और आशा है कि १ अप्रैल, १९६१ से नौकाओं का चलना प्रारम्भ हो जायेगा ।

मसालों के विकास सम्बन्धी पण्य समिति

†*१०३८. { श्री रामकृष्ण गुप्त ।
श्री पांगरकर ।
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १४ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मसालों के विकास सम्बन्धी पण्य समिति की नियुक्ति की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० वेशमुख) : भारत सरकार के एक संकल्प के अधीन मसालों तथा काजू के सम्बन्ध में जो एक केन्द्रीय पण्य समिति स्थापित करने का विचार है। इस सम्बन्ध में मत यह जानने के लिये प्रारूप संकल्प राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा सम्बद्ध विभागों के पास भेज दिया गया है।

तार और दूर-संचार उपकरणों की कमी

†*१०३६. श्री प्र० चं० बसन्ना : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में अभी हाल में अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन और दूर-संचार सलाहकार समिति का जो दूसरा पूर्णाधिवेशन हुआ था, क्या उसमें तारों और दूर-संचार उपकरणों की कमी के बारे में भारत की विशेष समस्याओं पर चर्चा की गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो समस्या को हल करने के लिए यदि किन्हीं मार्गोपायों की खोज की गयी थी, तो वे क्या थे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलों में यात्रियों की भीड़-भाड़

**†*१०४०. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री जगदीश अवस्त्री :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की रेलों में यात्रियों की असाधारण भीड़ होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या को हल करने के लिये कोई योजना बनायी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां अधिक कार्य के दिनों में।

(ख) और (ग). कलकत्ता क्षेत्र के उपनगरीय सेक्शनों में बिजली से गाड़ी चलाने के संबंध में प्रबन्ध किये जा रहे हैं। इस संबंध में भी यत्न किया जा रहा है कि अधिक कार्य के दिनों में उपलब्ध संसाधनों के अधीन रहते हुये गाड़ियों की वारम्बारिता तथा उनके भार (लोड) को बढ़ा दिया जाये।

कुरनूल-गुती राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७

†*१०४१. श्री रामी रेड्डी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुरनूल-गुती राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ के ३२ वें से ६० वें मील तक डामर (ब्लैक टाप) की सतह को चौड़ा करने की एक योजना पर विचार कर रही है ;

- (ख) इस योजना पर कितनी लागत आयेगी ;
- (ग) इस योजना को कब अनुमोदन तथा मंजूरी मिलने की संभावना है ;
- (घ) इस कार्य को कब शुरू करने का विचार है ; और
- (ङ) इसको कब पूरा करने का विचार है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ के करनूल गूती सेक्शन के ३२ से ६० वे मोल तक ब्लैक टाप सतह को चौड़ा करने के संबंध में ५ दिसम्बर, १९६० को ३,६२,००० रुपये का प्राक्कलन मंजूर कर दिया गया था ।

- (घ) आशा है कि शीघ्र ही का' की कार्यान्विति प्रारम्भ हो जायेगी ।
- (ङ) मार्च, १९६३ के अन्त तक ।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल, नई दिल्ली

†*१०४२. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल, नई दिल्ली में दाखिल होकर इलाज कराने वाले रोगियों और प्रसव के मामलों की संख्या उस अस्पताल में उपलब्ध पलंगों की संख्या से बहुत अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो रोगियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठा जा रहे हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां ।

(ख) १९५८ में ४०२ पलंग थे, उन्हें बढ़ा कर १९६० के अन्त तक ५०५ कर दिया गया । एक प्रसूतियूनिट प्रारम्भ किया गया है जोकि रोगियों के घों में ही प्रसूति कार्य में सहायता करता है । १९६० में इस यूनिट द्वारा २१२ प्रसव मामलों में सहायता की ।

पश्चिम जर्मनी से कृषि उपकरण

†*१०४३. श्री प्र० खं० बब्रा : क्या साद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी ने भारत के "पैकेज प्रोग्राम" में सहायता देने के लिये भारत को सुधरे हुये कृषि उपकरणों का संभरण करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो कितना संभरण करने की पेशकश की है ; और

(ग) किन शर्तों पर ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० वेशमुख) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलिज

२०५६. श्री पांगरकर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-६० और १९६०-६१ में महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को राकफेलर फाउन्डेशन द्वारा कितना अनुदान दिया गया है ; और

(ख) किन किन परियोजनाओं के लिये अनुदान दिये गये थे ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). १९५६-६० तथा १९६०-६१ में राकफेलर फाउन्डेशन द्वारा महाराष्ट्र के किसी भी मेडिकल कॉलिज को कोई अनुदान नहीं दिया गया था परन्तु उक्त वर्षों में सेठ जी० एस० मेडिकल कॉलेज और के० ई० एम० अस्पताल को निम्नलिखित प्रकार की सहायता दी गयी थी :—

१९५६-६०

डा० के० डी० देसाई को शरीर रचना शास्त्र के संबंध में छात्रवृत्ति । डा० एस० सी० देसाई को चर्म चिकित्सा, कवक विज्ञान और रोगानिदान शास्त्र के क्षेत्रों के लिए एक यात्रा अनुदान दिया गया था ।

१९६०-६१

डा० टी० जी० कुलकर्णी को शल्य चिकित्सा के क्षेत्र के लिये एक छात्रवृत्ति । डा० एस० बी० जोगलेकर को चिकित्सा संबंधी शिक्षा के लिये एक यात्रा अनुदान दिया गया है ।

महाराष्ट्र में परिवार नियोजन

†२०५७. श्री पांगरकर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९६०-६१ के लिये महाराष्ट्र सरकार को परिवार नियोजन के लिये आवंटित राशि का पूरा उपयोग कर लिया गया है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : महाराष्ट्र सरकार द्वारा परिवार नियोजन के लिये आवंटित कुल ६,३८,००० रुपयों की राशि में से दिसम्बर, १९६० तक ४,७३,७८३ रुपये खर्च किये जा चुके थे । आशा है कि शेष राशि १९६०-६१ के समाप्त होने तक इस्तेमाल कर ली जायेगी ।

रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था कर्मचारी

†२०५८. श्री कुम्भार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ को विभिन्न रेलों के विभागीय टी स्टालों, अल्पाहार गृहों, और भोजन व्यवस्था रेल डिब्बों में काम करने वाले कर्मचारियों की वर्गवार कितनी संख्या थी ; और

(ख) उनमें से प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों के कितने लोग थे ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।
[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६०]

†मूल अंग्रेजी में

अरकोनम्-इरोड रेल सम्पर्क

†२०५६. श्री नजंप्पा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में अरकोनम् तथा इरोड के बीच दुहरी रेलवे लाइन बिछाने के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सै० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). फरवरी, १९६१ के अन्त तक ४० मील तक दुहरी लाइन बिछा दी गई थी और यातायात के लिये खोल दी गयी थी। आशा है कि ३१-३-१९६१ तक १२ मील और अधिक लाइन दुहरी कर दी जायेगी और यातायात के लिये खोल दी जायेगी। इसके बाद जून, १९६१ तक १० मील लम्बी लाइन और दुहरी हो जायेगी।

१९६०-६१ और १९६१-६२ में अरकोणम्-इरोड सेक्शन पर क्रमशः ३५ और ५० मील लम्बी लाइन को दुहरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

आसाम में विभागातिरिक्त शाखा डाक घर तथा बचत बैंक सम्बन्धी सुविधायें

†२०६०. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में आसाम राज्य में कितने विभागातिरिक्त शाखा डाकघरों को सब डाकघरों के रूप में बदल दिया गया है ; और

(ख) इस राज्य में कितने डाकघरों में बचत बैंक संबंधी सुविधा अभी तक दी गयी हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६१]

(ख) ३६७।

राष्ट्रीय राजपथ-संख्या ६

†२०६१. श्री रामी रेड्डी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६) हैदराबाद-विजयवाड़ा सड़क को २० से ३७ मील तक चौड़ा करने का प्रस्ताव है ;

(ख) योजना पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) क्या प्रविधिक अनुमोदन दे दिया गया है ;

(घ) क्या योजना को कार्यान्वित करने के बारे में कोई क्रमपूर्ण कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। तीसरी योजना में सीमित धन होन के कारण राष्ट्रीय राजपथों को चौड़ा करने के काम को कम प्राथमिकता देनी पड़ी है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डाक और तार विभाग की इमारतें

†२०६२. श्री धर्मलिंगम : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब राज्यों में नई डाकघर की इमारतों के निर्माण के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) मद्रास राज्य के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है और अब तक कितनी इमारतें बनाई गई हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) ४७८ लाख रुपये।

(ख) (१) २६.५ लाख रुपये

(२) ८ पूर्ण हो चुकी हैं; १३ का निर्माण-कार्य चल रहा है।

उड़ीसा के बारपाली और पटनागढ़ नगरों में बिजली लगाना

†२०६३. श्री कुम्भार : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा के जिला बोलनगीर के परगना सदर मुकाम, पटनागढ़ नगर तथा संबलपुर जिले के औद्योगिक नगर बासाली के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव था ;

(ख) क्या उड़ीसा के संसद-सदस्यों ने राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के सिंचाई और विद्युत मंत्रालयों की अनौपचारिक सलाहकार समिति में १९५८ में प्रस्ताव किया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्दर इन दो नगरों में बिजली लगाई जाये;

(ग) यदि हां तो इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) उसका व्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी

उत्तर रेलवे पर रेलवे सुरक्षा बल

२ ६४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च १९६१ को उत्तर रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में रेलवे सुरक्षा बल की पृथक्-पृथक् शक्ति कितनी थी;

(ख) उनमें से प्रत्येक डिवीजन में अनुसूचित जातियों के कितने लोग थे; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रत्येक डिवीजन में १९६०-६१ में उपरोक्त रक्षा बल पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६२]

भाखड़ा जलाशय में मिट्टी का जमाव

†२०६५. श्री बी० चं० शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १ दिसम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा जलाशय में मिट्टी का जमाव रोकने के लिए और हिमाचल प्रदेश प्रशासन और पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त बोर्ड अन्तिम रूप से बनाने और उसकी अधिसूचना निकालने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : जैसा कि १ दिसम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर में बताया गया है अन्तर्राज्यिक (पंजाब-हिमाचल प्रदेश) भूमि संरक्षण समन्वय बोर्ड पहले ही स्थापित तथा पुनर्गठित किया जा चुका है। १३-३-६१ को पुनर्गठित बोर्ड की एक बैठक शिमला में हुई थी और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किये गये थे। बोर्ड के सदस्यों के नामों को अधिसूचित करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है

खाद्यान्नों का रक्षित स्टॉक

†१२०६६. श्री बी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या इस वर्ष देश में खाद्यान्नों का कोई रक्षित स्टॉक किया गया है;
- (ख) कितना अनाज इस प्रकार संग्रह किया गया है; और
- (ग) वह कहाँ रखा गया है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० यामस) : (क) से (ग). १ जनवरी १९६० को केन्द्रीय सरकार के पास अनाज का स्टॉक ७.९३ लाख मीट्रिक टन था जो बढ़कर ५ मार्च १९६१ को २१.५३ लाख मीट्रिक टन हो गया। इस के अतिरिक्त राज्य सरकारों के पास भी ५ मार्च १९६१ को लगभग ८ लाख मीट्रिक टन अनाज का स्टॉक था।

केन्द्रीय सरकार के अनाज का स्टॉक देश भर में उपयुक्त स्थानों पर रखा जाता है।

हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के छोटे काम

†२०६७. श्री बी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के छोटे कामों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई थी;

(ख) इस अवधि के अन्दर इस काम के लिये कितनी राशि का उपबंध किया गया था तथा कितनी राशि मंजूर की गई थी; और

†मूल अंग्रेजी में

†Buffer Stock.

(ग) डिवीजन-वार काम कहां कहां पर किये जा रहे हैं और उन की प्रगति क्या है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी

कैंसर के इलाज के हस्पताल

†२०६८. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या देश में कैंसर की बीमारी बढ़ रही है;

(ख) इसके इलाज के राज्यवार कितने हस्पताल हैं और उनमें कितने बिस्तर हैं; और

(ग) क्या राजस्थान में ऐसा कोई हस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) (क) क्योंकि कैंसर रोग से पीड़ित लोगों की संख्या जानने के लिये देश व्यापी आधार पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया इसलिये यह कहना सम्भव नहीं है कि आया इस का प्रभाव बढ़ गया है।

(ख) और (ग). उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६३] भारत सरकार ने जयपुर में सवाये मान सिंह हस्पताल में २५ बिस्तरों का कैंसर वर्ड खोलने के लिये राजस्थान सरकार को १,५,०००० रुपये की राशि सहाय्य-अनुदान के रूप में दी है

मध्य रेलवे के कानपुर-झांसी सेक्शन पर रेलवे स्टेशन पर धावा

†२०६९. { श्री अ० मु० तारिक :
श्री अभ्याकणु :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नये वर्ष के दिन रात्रि के समय झांसी-कानपुर लाइन पर एक छोटे रेलवे स्टेशन पर तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों पर कुछ उपद्रवियों ने धावा कर दिया;

(ख) यदि हां तो इस का व्योरा क्या है; और

(ग) कर्मचारियों के जीवन, उनकी सम्पत्ति तथा उन स्टेशनों की सरकारी सम्पत्ति की रक्षा के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) और (ख). जी हां १-१-६१ को बहुत प्रातःकाल ५-६ सशस्त्र डाकुओं ने जिन के पास हाथ से चलाये जाने वाले शस्त्र और एक देशी पिस्तौल था मध्य रेलवे के कानपुर-झांसी सेक्शन के पारौना रेलवे स्टेशन पर धावा कर दिया। शस्त्रों का डर दिखा कर उन्होंने टिकट ट्यूब से २० रुपये की रेलवे नकदी लूटी और स्टेशन

कर्मचारियों की निजी सम्पत्ति अर्थात् हाथ की घड़ी, कम्बल, कोट और उनकी नक़दी भी लूट ली। इस के बाद उन्होंने टिकट घर को बाहर से कुंडी लगा दी और वे क्लर्क इंचार्ज के अकेले परिवार क्वार्टर की ओर गये। वहां वे आंगन की दीवार से नीचे उतरे और अन्दर जाकर उन्होंने अन्दर का दरवाजा तोड़ दिया। एक बक्स में रखे हुए १०० रुपये तथा अन्य छोटी मोटी चीजें उठा ले गये। क्लर्क की मां ने शोर मचाया जिस पर उन्होंने उसके होंठ को थोड़ा प्रहार करके घायल कर दिया। पुलिस ने मुआमला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

(ग) प्रस्तावित क्षेत्रों की अकस्मात् गश्त राज्य पुलिस कर रही है जिसके अपराधियों का मुकाबला करने के लिये कई स्थानों पर ग्राम रक्षा समितियां भी बना दी हैं।

पंजाब में सड़कों

†२०७०. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १४ दिसम्बर १९६० के अतारक्षित प्रश्न संख्या १८२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत बनाई जा रही निम्न ३ सड़कों की पूर्णता में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(१) नारनौल-निजामपुर

(२) रिवाड़ी-महेन्द्रगढ़ और

(३) लोहार-दादरी; और

(ख) इनके कब पूर्ण होने की सम्भावना है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इन तीन सड़कों पर अर्थवर्क पूरा हो चुका है। पुलों और पुलियों के निर्माण और सतह के लिये सामान एकत्र करने का काम प्रगति पर है।

(ख) पहली दो परियोजनाओं की ३१ दिसम्बर १९६२ तक तथा तीसरी परियोजनाओं की १९६१ के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

शिमला-कालका राजमार्ग

†२०७१. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिमला और कालका को मिलाने वाले राजमार्ग पर चट्टानों के टूटने को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : कालका-शिमला राजमार्ग पर चट्टानों के टूटने के सामान्य कारण हैं (१) सड़क के ऊपर पहाड़ी पर नाली व्यवस्था में रुकावट और (२) वनों के काटे जाने तथा अनियंत्रित घास के चरे जाने के कारण हुआ भूमि कटाव। यथाशीघ्र नाली व्यवस्था की रुकावट को हटाने तथा उस की निगरानी रखने के लिये कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग वनों के कटाव को रोकने तथा पहाड़ों की चट्टानों को मजबूत बनाने के लिये घास और झाड़ियां उगाने का काम करता है।

राष्ट्रीय आहार सलाहकार समिति

†२०७२. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या स्वास्थ्य मंत्री १४ दिसम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय आहार सलाहकार समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री कमरकर) : निम्न ३ कार्यकारी दल राष्ट्रीय आहार सलाहकार समिति की मुख्य सिफारिशों पर अग्रेतर विचार करने के लिये स्थापित किये गये हैं और वे अग्रेतर परीक्षण कर रहे हैं;

- (१) उत्पादन और उपयोग सम्बन्धी कार्यकारी दल
- (२) आहार सम्बन्धी प्रशिक्षण, शिक्षा और विस्तार सेवाओं सम्बन्धी कार्यकारी दल ।
- (३) राष्ट्रीय आहार नीति की कार्यान्विति और आहार कार्यक्रमों सम्बन्धी कार्यकारी दल

आशा की जाती है कि इन कार्यकारी दलों के प्रतिवेदन मार्च १९६१ के अन्त तक उपलब्ध हो जायेंगे उसके पश्चात् इन प्रतिवेदनों पर राष्ट्रीय आहार सलाहकार समिति की एक बैठक में अग्रेतर चर्चा की जायेगी । सरकार यथासमय इन सिफारिशों पर विचार करेगी ।

दिल्ली-भटिण्डा लाइन पर रुकावट

†२०७३. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० की मौनसून ऋतु में दिल्ली-भटिण्डा लाइन पर यातायात में रुकावट पड़ गई थी; और

(ख) यदि हां, तो यह स्थिति कितने दिन तक रही ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली और भटिण्डा के बीच सीवी गाड़ियां २६-८-६० से २३-९-६० तक बन्द कर दी गई थीं । इस लाइन के विभिन्न संक्शनों पर यातायात की रुकावट की अवधि इस प्रकार है :—

(१) नरेन्द्रपुरा-बुढ़लाडा संक्शन

२६-८-६० से १८-९-६० तक

(२) बुढ़लाडा-प्रबेटा संक्शन

३०-८-६० से १४-९-६० तक

(३) प्रबेटा-जाखल संक्शन

२८-८-६० से १४-९-६० तक

(४) दिल्ली-जौंद संक्शन

२६-८-६० से २३-९-६० तक ।

रेलवे ठेकेदारों को अधिक भुगतान

†२०७४. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या रेलवे मंत्री २३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६८३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम रेलवे के गोघरा-रतलाम संक्शन को दोहरा करने के लिये लगाये गये ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान के सम्बंध में जांच के बारे में कितनी प्रगति अब तक की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सै० वें० रामस्वामी): एक मामले में विभागीय कार्रवाई की जा रही है जिस के लिये विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है । दूसरे मामले में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने जांच पूरी कर ली है और वह शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन देने वाली है ।

मत्स्यपालन उद्योग

†२०७५. श्री कोडियान : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में सहकारी आधार पर मत्स्यपालन उद्योग संगठित करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है ; और

(ख) इस काम के लिये कितनी राशि खर्च की जाएगी ?

†कृषि उपमंत्री (श्री सै० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). मत्स्यपालन सहकारी संस्थाओं का संगठन करना राज्य सरकारों का काम है और वे इस क्षेत्र में पहले ही काफ़ी काम कर चुके हैं । तीसरी मत्स्यपालन सहकारिता संबंधी योजनाओं के लिये राज्य सरकारों की तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में १३५ लाख रुपये की राशि का उल्लेख किया गया है ।

भूमि का कटाव

२०७६. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के निकटवर्ती किस-किस क्षेत्र में वर्ष १९६०-६१ में मिट्टी के कटाव के रोकने संबंधी कार्य किया गया और इस कार्य पर कितना धन व्यय हुआ ; और

(ख) क्या यह सच है कि भूमि कटाव की गति इतनी तीव्र है कि भाखड़ा बांध की ३० वर्ष से अधिक मियाद नहीं हो सकती और यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के निकटवर्ती क्षेत्र जहां अब तक १९६०-६१ में मिट्टी के कटाव के रोकने सम्बन्धी कार्य किया गया और उस पर जो खर्चा हुआ, निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	स्थान	अन्तर्गत क्षेत्र (एकड़ों में)	खर्च की गई रकम (रुपये लाखों में)
१.	सर खड उप-जलगृह में पानोल, बिलासपुर, फारेस्ट डिवीजन ।	१,२८७	१.४७
२.	सोलन फारेस्ट डिवीजन में गम्भार खड प्रदर्शन प्लाट ।	४४३	०.८७
३.	नोगली खड के ऊपर की ओर रामपुर प्रदर्शन प्लाट से अपर और लोअर बुशहर फारेस्ट डिवीजन में सतलुज नदी के बाएं किनारे पर बरोनी खड तक ।	३५७	०.८५
४.	बिलासपुर फारेस्ट डिवीजन में श्री नैना देवी प्रदर्शन प्लाट ।	२,२१०	१.९४

(ख) विश्वासजनक दित्ते की अनुपस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि बांध कब तक रह सकेगा परन्तु यदि बांध के जलगृह में वर्तमान ढंग से मिट्टी का कटाव जारी रहा तो यह इतने समय तक न रह सकेगा जितने तक अनुमान लगाया गया है ।

भाखड़ा नंगल जल गृह का कुल क्षेत्र २२,००० वर्ग मील है, जिस में से लगभग २,००० वर्ग मील सिप्ती में, ११२४ वर्ग मील पंजाब में और ४३२० वर्ग मील हिमाचल प्रदेश में, बाकी तिब्बत में है । जलगृह का क्षेत्र जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है उसकी सुरक्षा का कार्य केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विवाराधीन है और दोनों राज्यों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिये अब तक भूमि संरक्षण के निम्न उपाय किये गये हैं :—

(१) दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३१.१७ लाख रुपये की कुल रकम इन दोनों राज्यों को भूमि संरक्षण उपायों (जिन में प्रदर्शन भी शामिल हैं) के लिये दिये गये । हिमाचल प्रदेश में ८५२५ एकड़ भूमि पर कार्य करने के लिये १३ लाख रुपये और पंजाब में १४६५० एकड़ भूमि पर कार्य करने के लिये १८.१७ लाख रुपये का अलाटमेंट था । दिसम्बर, १९६० तक दोनों राज्यों से जो रिपोर्ट मिली है इन टारगेट (लक्ष्यों) के मुकाबले में हिमाचल प्रदेश में ८१०१ एकड़ और पंजाब में १५,३२० एकड़ की सिद्धि हुई ।

(२) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में हिमाचल प्रदेश के लिये १५४.०८ लाख रुपये की व्यवस्था की गई । इस में भूमि सर्वेक्षण, प्रदर्शन और खेती-

बाड़ी की भूमि पर रसने वाले तालाबों का निर्माण और भूमि संरक्षण उपाय भी शामिल हैं। इन सब का अभिप्राय भाखड़ा बांध के जलगृह क्षेत्र को लाभ पहुंचाना है।

- (३) नदी घाटी परियोजनाओं के जलगृह के सम्बन्ध में अब तक भूमि संरक्षण के काम में जो नाकाफी कदम उठाये गये हैं उनका ख्याल करते हुए भारत सरकार ने तीसरी योजना में भूमि संरक्षण के लिये एक केन्द्रीय पुरस्कृत उपाय के तौर पर देश की मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं (जिन में भाखड़ा नंगल भी शामिल है) ११ करोड़ रुपये का एक विशेष उपबन्ध किया है। इस रकम में से हिमाचल प्रदेश का हिस्सा १२८ लाख और पंजाब का १५२ लाख रुपये है। यह रकम में भाखड़ा नंगल और व्यास परियोजनाओं के जलगृह क्षेत्रों में ही खर्च होनी है।
- (४) पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने भाखड़ा जलगृह में इन उपायों को ठीक ढंग से और शीघ्र लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की अध्यक्षता में एक अन्तर्राज्य (पंजाब और हिमाचल प्रदेश) भूमि संरक्षण समन्वय बोर्ड की स्थापना की है। सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय भी ऊपर लिखे पैरा (३) में लिखित ११ करोड़ रुपये के विशेष अलाटमेंट को उचित ढंग से खर्च करने के लिए अपने मंत्रालय में एक तकनीकी सैल (इकाई) बनाने पर विचार कर रही है।
- (५) पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारें भी अपनी भूमि संरक्षण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये विशेष संगठनों की स्थापना कर रही है।

सन्धोल (हिमाचल प्रदेश) में सिंचाई की सुविधायं

२०७७. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले की तहसील सरकाघाट में संधोल एक उपजाऊ विस्तृत क्षेत्र बिना पानी के पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र की जनता ने अनेक बार सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये अभ्यावेदन भेजे हैं और सरकार को योगदान का विश्वास दिलाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कर रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री सें० वें० कृष्णप्पा) : (क) मण्डी जिले के सन्धोल क्षेत्र में जरखेज जमीन है परन्तु यह जल-स्तर से ८०० फुट से भी अधिक ऊंचाई पर है।

(ख) जी हां

(ग) इस क्षेत्र में सिंचाई का जल मुहैया करने के लिये जो अन्वेषण किये गये हैं उन से पता लगा है कि नीचे नदी से खेतों तक जल उठाने में बड़ा खर्चा होगा इसलिये सिंचाई परियोजनाओं पर अमल करना लाभदायक नहीं होगा।

मनमाद स्टेशन पर ऊपरी पुल

†२०७८. श्री पांगरकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या मनमाद रेलवे स्टेशन पर ऊपर का पुल पूरा किया जा चुका है ; और
- (ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना व्यय किया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) : ७,५८,३५१ रुपये की अनुमानित लागत से मनमाद में एक ऊपर का सड़क के एक पुल का निर्माण प्रगति पर है, जिस में रेलवे का अंश ५,११,७३५ रुपये सड़क प्राधिकार का अंश २,४६,६१६ रुपये है । इस काम में रेलवे के भाग अर्थात् पुल के ३१ मार्च १९६१ तक पूरा हो जाने की आशा है । सड़क का काम राज्य सरकार के हाथ में है, किन्तु इतनी जल्दी यह बताना संभव नहीं है कि वे कब तक इसे पूरा कर सकेंगे ।

मनमाद रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण

†२०७९. श्री पांगरकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या तीसरी योजना के पहले वर्ष में मनमाद रेलवे स्टेशन को फिर से बसाने का प्रस्ताव है ; और
- (ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) तीसरी योजना में धन की कमी के कारण तथा इगतपुरी-भुसावल सैक्शन में किली लगाने के प्रस्तावों पर विचार करने पर, यह फैसला किया गया है कि इस समय मनमाद रेलवे स्टेशन को पूर्णतः फिर से नया बनाया जाए ।

तथापि डाउन या १ प्लेटफार्म को बढ़ाने और प्रतीक्षालयों में पलश की टट्टियों की व्यवस्था करने के काम पूरे किये जा चुके हैं । पार्सल दफ्तर के ठिये ढके हुए ट्रिप शेड्स दूसरे श्रेण के प्रतीक्षालय, डाउन साइन में नये बुकिंग घर और सर्कुलेटिंग क्षेत्र, नये बुकिंग घर को मिलाने के लिये ऊपर के पैदल चलने वाले पुल का विस्तार और अप प्लेटफार्म के विस्तार के काम प्रगति पर हैं ।

विलिंगडन हस्पताल नई दिल्ली में कर्मचारियों की कमी

†२०८०. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि विलिंगडन हस्पताल, नई दिल्ली में स्टाफ की कमी है;
- (ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है; और
- (ग) अकि स्टाफ भर्ती करने के लिये क्या कार्रवाई की जाने का विचार है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). विलिंगडन हस्पताल में डाक्टर और उनके सहायक कर्मचारी पर्याप्त संख्या में हैं ।

तथापि कुछ मंजूर पद खाली हैं और उन्हें यू० पी० एस० सी० रोजगार दफ्तर के द्वारा भरने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। भर्ती पर प्रतिबन्ध होने के कारण प्रशासनिक एवं अनुचिवीय श्रेणियों के अतिरिक्त पदों की मंजूरी नहीं दी जा रही है।

बम्बई-दिल्ली राजपथ

†२०८१. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई-दिल्ली राजपथ पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) क्या यह सच है कि सड़क में जो माल लगाया गया है वह बहुत पतला है और बहुत से स्थानों पर सड़क वर्षा से टूट गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). बम्बई-दिल्ली के साथ, राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८ बरास्ता बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर तथा राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३ (बम्बई से आगरा बरास्ता इन्दौर-ग्वालियर) और राष्ट्रीय राजपथ संख्या २ (आगरा से दिल्ली बरास्ता मथुरा) के द्वारा मिला हुआ है। इन दोनों मार्गों पर, केवल राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८ के कुछ स्थानों को छोड़ कर जहां तक इस समय नदी के किनारे के साथ की वर्तमान सड़कों और बाढ़ के पानी के नीचे आ जाने वाले पुलों के स्थान पर ऊंचे पुल बना जा रहे हैं, सब सड़कें तारकोल से पक्की बनाई गई हैं। महाराष्ट्र राज्य में घोडबन्दर और मानर के बीच राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८ पर एक सीधी सड़क बनाने का काम धन की कमी के कारण तीसरी योजना में स्थगित कर दिया गया है। इस निर्माण कार्य के स्थगन किये जाने का वर्तमान यातायात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि बम्बई और मानर के बीच बरास्ता थाना, भिवांदी और वाडा दूसरी सड़क, पहले से विद्यमान है, जिस पर अच्छी तरह पुल बने हुए हैं और जो तारकोल से पक्की बनी हुई है।

(ग) जी, नहीं। सड़कों के नये सैक्शनों के निर्माण में लगने वाले माल और वर्तमान सैक्शनों के सुधार के लिये काम में आने वाला माल सामान्य स्टैंडर्ड के अनुसार है। राष्ट्रीय राजपथ संख्या ८ पर गुजरात राज्य में नाडियाड से नवसारी तक की सड़क को १९५६ की बाढ़ों और असाधारण वर्षाओं के कारण हानि हुई थी। हानि हुई अधिकांश सड़क की मरम्मत की जा चुकी है।

रायल मेल सर्विस हेडक्वार्टर्स, सिलचर

†२०८२. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के अतारंकित प्रश्न संख्या १४०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रायल मेल सर्विस का मुख्य कार्यालय सिलचर से गोहाटी ले जाने के बारे में क्या निर्णय हुआ ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) : यथास्थिति रखने का निश्चय किया गया है।

अस्पतालों में क्षय रोगियों के लिये पलंग

†२०८३. श्री रघुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में क्षय रोगियों की संख्या के अनुपात में, १४००० के लिए एक पलंग है जब कि उत्तर प्रदेश में ४२,००० रोगियों के लिए एक पलंग होता है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, यह जानकारी करीब करीब ठीक है ।

(ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और अधिक पलंग लगाना राज्य सरकार का काम है ।

गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली

†२०८४. { श्री अ० मु० तारिक :
श्री अय्याकण्णु :
श्री प्र० च० बरुआ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास मंत्रालय को बंद करने के सरकारी निर्णय के कारण, जिससे गंगाराम अस्पताल को सालाना १ लाख रुपये का अनुदान मिलता है, उस अस्पताल के बंद होने की आशंका है;

(ख) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस अस्पताल को अनुदान देने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस संस्था को किस प्रकार की सहायता देने का सरकार का विचार है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार को ऐसी किसी आकस्मिकता की जानकारी नहीं है । इस अस्पताल को पुनर्वास मंत्रालय से सालाना एक लाख रुपये का अनुदान मिलता रहा है । यह ठीक है कि अब उस अस्पताल को दूसरे कई अस्पतालों की तरह पुनर्वास मंत्रालय से कोई अनुदान नहीं मिलेगा क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा और संस्कृति सम्बन्धी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने की योजना दूसरी योजना अवधि के आखिर में समाप्त हो जायेगी और उस तारीख के बाद किसी भी संस्था को उसके अधीन कोई सहायता नहीं दी जायेगी ।

गंगाराम अस्पताल को दिल्ली नगर निगम से भी सहायक अनुदान मिलता रहा है । १९५९-६० में निगम ने १०,००० रुपये का अनुदान दिया था । चालू वर्ष के लिए ६५,००० रुपये के सहायक अनुदान की मांग पर दिल्ली नगर निगम विचार कर रहा है ।

(ख) गंगाराम अस्पताल के अधिकारियों से अभी तक ऐसी कोई प्रार्थना नहीं आयी है । केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चालू-वित्त-वर्ष में अस्पताल को २५,००० रुपये का अनुदान दिया है ।

(ग) जब भारत सरकार के पास प्रार्थना पहुंचेगी तब इस प्रश्न की जांच पड़ताल की जायेगी । दिल्ली में स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देने के नियम और सिद्धान्त दिल्ली प्रशासन द्वारा बनाये जा रहे हैं ।

हीराकुड परियोजना नहर क्षेत्र में रिहायशी इमारतें

†२०८५. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हीराकुड परियोजना के नहरी क्षेत्रों में बनायी गयी अनेक स्थायी रिहायशी इमारतों के उचित उपयोग के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) क्या इन इमारतों के उचित उपयोग के लिए इन्हें राजस्व विभाग को सौंप देने का सरकार का विचार है; और

(ग) क्या इन इमारतों का उपयोग अभी अनिवार्य प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). हीराकुड बांध परियोजना के नहरी क्षेत्रों में बनाई गयी स्थायी रिहायशी इमारतें मुख्यतः नहरी क्षेत्रों का नाम चलाने के लिए जरूरी हैं। इन इमारतों का उपयोग कार्यचालन और संधारण कर्मचारी कर रहे हैं। नहरी क्षेत्रों का कार्यचालन और संधारण हीराकुड के मुख्य इंजीनीयर तथा हीराकुड विकास के उपआयुक्त जो राज्य के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है, के अधिकार में है। राज्य का कृषि विभाग भी हीराकुड क्षेत्र में सिंचाई के विकास से संबंधित है। ये विभाग इन इमारतों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में चीनी की 'रिकवरी'

†२०८६. श्री विभूति मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में चीनी की 'रिकवरी' (गन्ने और उससे तैयार चीनी की मात्रा का अनुपात) बढ़ाने के लिए किसी उपयुक्त योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई योजना अभी हाल में बनायी गयी है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ साल पहले आस्ट्रेलिया में चीनी की 'रिकवरी' बहुत कम थी और अब वह बढ़ गई है; और

(घ) यदि हां, तो वहां क्या उपाय किये गये थे और वे भारत में कहां तक लागू हो सकते हैं ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). चूंकि चीनी की रिकवरी मुख्यतः गन्ने की किस्म पर निर्भर होती है, गन्ने की खेती के विकास और उसे सघन बनाने की कई योजनाएं पहली और दूसरी चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इन राज्यों में चालू हैं। इन्हें तीसरी योजना अवधि में भी जारी रखने का विचार है। राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की गयी योजनाओं में सिंचाई, खाद, अच्छे बीज और उनकी किस्मों का उपयोग, चीनी कारखाने के क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, कीड़ों का और गन्ने के रोगों का नियंत्रण आदि सम्बन्धी कार्य हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब में बागबानी^१

†२०८७. श्री हेम राज : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में पंजाब को बागबानी के विकास के लिए कितना ऋण और राजसहायता दी गयी और १९६१ में कितनी दी जाने वाली है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : केन्द्रीय सरकार ने पंजाब को १९५६-६० और १९६०-६१ में निम्नलिखित रकमों दी थीं :—

वर्ष	ऋण रुपय	राज सहायता रुपये
१९५६-६० . . .	६,००,०००	५६,७८०
१९६०-६१ . . .	११,००,०००	५७,७६०
	(प्रत्याशित)	(प्रत्याशित)

सेमरखेड़ी स्टेशन पर रेलगाड़ी का हॉल्ट

†२०८८. श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के बीना-कोटा सेक्शन के सेमरखेड़ी पर पिछले पच्चीस वर्ष से यात्री गाड़ियां खड़ी हो रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि वहां स्टेशन तथा प्रतीक्षालय की व्यवस्था न होने से यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई होती है; और

(ग) क्या लोगों द्वारा निरन्तर की गई प्रार्थना और उनके कष्ट को देखते हुए प्रशासन वहां कम से कम एक अस्थायी शेड ही बनवाने की व्यवस्था करेगा ?

रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) सेमरखेड़ी पश्चिम रेलवे का एक हॉल्ट स्टेशन है जो कोटा-बीना सेक्शन में मुंगावली और बीना स्टेशनों के बीच पड़ता है। यह हॉल्ट स्टेशन कई वर्षों से चाल है। इस समय दोनों ओर से दो-दो गाड़ियां यहां ठहरती हैं। इन गाड़ियों में नियुक्त चल टिकट बाबू यात्रियों को टिकट देते हैं।

(ख) और (ग). सेमरखेड़ी स्टेशन पर प्रतीक्षालय बनाने का सवाल, १९६२-६३ के कार्यक्रम में शामिल करने के लिये, यात्री सुविधा समिति के सामने रखने का विचार है।

रेलवे लाइनों को दोहरी बनाना

†२०८९. श्री उस्मान अली खान : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिरुवोत्तियूर से गुम्मीडुपुन्डी तक रेलवे लाइन को दोहरी बनाने के लिये ताकि गाड़ियों की रफ्तार तेज की जा सके, मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना सम्भवतः कब शुरू की जायगी ?

रेलवे उपमन्त्री (श्री से० बे० रामस्वामी) : (क) और (ख). तिरुवोत्तियूर से गुम्मीडुपुन्डी तक २३.७५ मील तक दोहरी रेलवे बनाने का कार्यक्रम १९६१-६२ में शुरू करना निश्चित किया गया है।

रेडियो लाइसेंस फीस

†२०९०. श्री मुहम्मद इलियास : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९६० में भारत सरकार की घोषणा के अनुसार सस्ते रेडियो सेट के लिये दी गयी पूरी लाइसेंस फीस में से ७.५० रुपये की वापसी के लिये कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये हैं; और

(ख) कितने व्यक्तियों को यह वापसी मिल पायी है ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बारायन) : (क) ३९०६।

(ख) ११५५।

अस्वीकृत १९१७

विचाराधीन ८३४

अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ

†२०६१. श्री रघुनाथ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अटलांटिक के आर पार माल भाड़े की दरें घटाने के विषय पर विचार करने के लिए फरवरी, १९६१ में पेरिस में अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (इण्टरनेशनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसियेशन) की एक बैठक हुई थी और वह बिना किसी निर्णय के ही स्थगित कर दी गयी और दो प्रमुख अमरीकी विमान कम्पनियों ने अर्थात् पान-अमेरिकन एयरवेज तथा ट्रान्स वर्ल्ड एयर लाइन्स ने १० अप्रैल, १९६१ से अटलांटिक के आर पार माल भाड़े की दर कम करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग पर उड़ने वाले एयर इण्डिया इन्टर नेशनल के विमानों पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†प्रसन्निक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). जी हां। इन्टर नेशनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसियेशन की एक स्पेशल वर्ग कांफरेन्स अटलांटिक के आर पार माल लाने ले जाने के लिये नयी दरें कायम करने के लिये २३ जनवरी, १९६१ को पेरिस में बुलाई गयी थी। कई सदस्य विमान कम्पनियों के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण होने के कारण, बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही बैठक स्थगित कर दी गयी। उसके बाद कई यूरोपीय और अमरीकी विमान कम्पनियों ने, जिनमें पान-अमेरिकन एयरवेज और ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन शामिल हैं, १० अप्रैल, १९६१ से अटलांटिक के आर पार माल भाड़े की कम दर लागू करने की घोषणा की बशर्ते कि उनकी सरकारें मंजूर करें। एयर इण्डिया इन्टर नेशनल मुख्यतः सवारियों को लाता ले जाता है और इसलिये उसकी आय पर कोई गहरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

दिल्ली में पुलों का पुनर्निर्माण

†२०६२. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारापुल्ला नाले पर पुल को फिर से बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उस पुल को फिर बनाने की आवश्यकता क्यों मालूम हुई; और

(ग) इस योजना की क्या लागत है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली में बाढ़ तथा उसी तरह की दूसरी विपत्तियों के विरुद्ध उपायों का आयोजन करने वाली समिति ने विस्तृत जांच पड़ताल के बाद बारापुल्ला नालों पर दो पुलों को नये ढंग से बनाने की सिफारिश की थी। इनमें से एक पुल निजामुद्दीन के पास दिल्ली मथुरा सड़क पर है जिसे मथुरा रोड ब्रिज कहते हैं और दूसरा इस पुल से बारा के नीचे की ओर लगभग २००० फुट दूर है जिसे बारापुल्ला (या शाही या मुगल) ब्रिज कहते हैं। इन पुलों के नीचे विद्यमान जलमार्ग बहुत अपर्याप्त है जिसका परिणाम यह होता है कि मथुरा रोड ब्रिज पर बारापुल्ला नाले में पानी की सतह काफी ऊंची हो जाती है। इससे उसकी सहायक नदियों में पानी का बहाव रुक जाता है और बारापुल्ला नाले के क्षेत्रों में पानी की निकासी की हालत खराब हो जाती है और पानी भर जाता है।

इसलिये समिति ने यह सिफारिश की थी कि लगभग १२ लाख रुपये की लागत से पर्याप्त जलमार्ग वाले दो पुल फिर बनाये जायें। मथुरा रोड ब्रिज न केवल बारापुल्ला नाले में पानी के बहाव के लिये एक रुकावट है बल्कि उससे मथुरा रोड पर आवागमन भी रुक जाता है क्योंकि पुल पर सड़क

केवल ३० फुट चौड़ी है और उसकी दोनों ओर कोई फुटपाथ नहीं है। इसलिये इस पुल के पुनर्निर्माण का काम तुरन्त ही शुरू करने का विचार है।

(ग) अनुमान है कि पट्टेव मार्गों के साथ इस पुल की लागत ७,७७,४०० होगी।

कृषि पंडित

†२०६३. श्री अरविन्द घोषाल: क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पंडितों के चुनाव की कोई कसौटी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). कृषि पंडितों के चुनाव की कसौटियां दिखलाने वाली योजना की प्रति, जो राज्यों को भेजी गयी है, संलग्न हैं। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६४]

मद्रास राज्य में रेलवे लाइनें

†२०६४. श्री सुब्बया अम्बलम् : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये कितनी रेलवे लाइनों की सिफारिश की है;

(ख) उनके नाम क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). संलग्न सूची के अनुसार सात नयी लाइन।

(ग) दूसरी राज्य सरकारों से प्राप्त इसी तरह की योजनाओं के साथ इन पर भी विचार हो रहा है।

सूची

नयी लाइन का नाम	लाइन	लम्बाई
१. सलेम-बंगलौर	छोटी	१४४ मील
२. विरुद्धनगर-अरुपुकोट्टई-मुदुकुलाथुर-किलकराई	छोटी	५० मील
३. मनमदुराई-तूतीकोरिन	छोटी	६६ मील
४. तिवेवल्ली-केप कोमोरिन	छोटी	६३ मील
५. चिन्नसकम-छिगलेपुट	छोटी	१२० मील
६. थेनी-गुडलुर	छोटी	२६ मील
७. सलेम-करूर-तिरुचिरापल्ली	बड़ी	८५ मील

† मूल अंग्रेजी में

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली में विदेशी अतिथियों का आगमन

†२०६५. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) वर्ष १९६० में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली में कितने विदेशी अतिथि आये;
- (ख) इन विदेशी अतिथियों ने भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के कौन-कौन से डिवीजन देखे ;
- (ग) क्या उनकी मुलाकात के लिये कोई अतिरिक्त और खास व्यवस्था की गयी थी; और
- (घ) यदि हां, तो कितना खर्च हुआ ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) १२।

(ख) उनमें से पांच ने सभी डिवीजन देखे। दूसरे अतिथियों ने अपनी दिलचस्पी के डिवीजन ही देखे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कृषि अनुसंधान पद

†२०६६. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने कृषि अनुसन्धान पदों को मान्यता देने तथा उन्हें "वैज्ञानिक सेवायें" नाम देने के बारे में कोई कार्यवाही की है जैसा कि दूसरे वैज्ञानिक पदों के बारे में किया गया है; और
- (ख) क्या सरकार ने इस पदों के वेतन क्रम बढ़ाने के लिये भी कोई कार्यवाही की है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). वेतन आयोग की रिपोर्ट में दी गयी सिफारिशों के अनुसार इन मामलों पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली विद्युत् उपक्रम*

†२०६७. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या दिल्ली विद्युत् उपक्रम के बड़े-बड़े निर्माण कार्यक्रमों के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन नियत की गयी धनराशि में से अधिकतर धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो किस हद तक; और
- (ग) उसके क्या कारण हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). दूसरी योजना में ७४० लाख रुपये की व्यवस्था के मुकाबले उपक्रम के योजना कार्यों पर योजना अवधि के आखिर तक लगभग ४८२.५६ लाख रुपये प्रत्याशित खर्च का अनुमान है। इसमें २५७.४१ लाख रुपये की वह शेष रकम शामिल नहीं है जिसका उपयोग नहीं किया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

*Delhi Electricity Undertaking

(ग) "सी" बिजली घर (३०,००० किलोवाट स्टीम पावर-प्रोजेक्ट) के लिये पहले चुना गया स्थान बदलने के कारण योजना तथा नक्शे आदि में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी।

असैनिक उड्डयन विभाग में विनियम तथा सूचना निवेशक

†२०६८. { श्री बहादुर सिंह :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन विभाग में कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके पास विनियम तथा सूचना निदेशक के पद के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित योजनाएं नहीं हैं;

(ख) जनता में से योग्यता प्राप्त व्यक्ति ढूंढने की क्या गुंजाइश है और पहले जब इस पद और विनियम तथा सूचना उपनिदेशक पद के लिये विज्ञापन दिये गये थे तब क्या प्रत्युत्तर मिला; और

(ग) क्या यह सच है कि इस पद पर हमेशा विभागीय पदाधिकारी ही काम करते रहे और अब इससे जनता के लिये खुली कर देने के क्या कारण हैं ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) असैनिक उड्डयन विभाग में ऐसे कई पदाधिकारी हैं जो तकनीकी तथा अन्य शाखाओं का कामकाज करते हैं और जिन के पास विनियम तथा सूचना निदेशक के पद के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित योग्यताएँ नहीं हैं।

(ख) असैनिक उड्डयन विभाग से बाहर अर्थात् एयर कारपोरेशन्स, नॉन-शैड्यूल्ड एयरलाइन्स तथा अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन आदि के भारतीय कर्मचारियों में से योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के मिलने की संभावना है। पहले जब विनियम तथा सूचना के निदेशक और उपनिदेशक के पदों के लिये विज्ञापन दिये गये थे तब उक्त पदों के लिये क्रमशः ६ और १३ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ग) जी, नहीं। संघ लोक सेवा आयोग के जरिये इस पद पर भरती करने का कारण यह है कि चाहे विभाग से या बाहर से, सर्वोत्कृष्ट पदाधिकारी उपलब्ध हो।

उड़ीसा में भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये ट्रैक्टर

२०६९. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को उस भूमि के कृष्यकरण के लिये और ट्रैक्टर दे दिये हैं जिस पर उड़ीसा में वर्ष १९६० की बाढ़ के कारण रेत पड़ गयी थी,

(ख) यदि हां, तो और कितने ट्रैक्टर दिये गये हैं; और

(ग) अब उड़ीसा में बालू पड़ी कितनी एकड़ भूमि का पुनरुत्पादन किया जा चुका है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). भारत सरकार राज्य सरकारों को उनकी योजनाओं की कार्यान्विति के लिये ट्रैक्टर नहीं देती। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता-नुसार स्वयं ट्रैक्टर खरीदती हैं। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने एक विशेष नाम के २० ट्रैक्टरों के लिये आयात लाइसेंस मांगा है परन्तु उन को कहा गया है कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई को देखते हुए, वे उन ट्रैक्टरों को खरीदने पर विचार करें जिनका देश में आयात होता है।

(ग) राज्य सरकार ने वर्ष १९६०-६१ में मशीनें और उपकरण मिलने पर १९८७ एकड़ बालू पड़ी हुई भूमि के पुनरवापण का प्रस्ताव किया था। अब तक पुनरवाप्त बालू पड़ी हुई भूमि के वास्तविक क्षेत्र के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और एकत्र होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी।

इम्फाल तारघर में सिगनलर इन्चार्ज

†२१००. श्री ले० अचौ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल तारघर का सिगनलर इन्चार्ज सरकारी निधि में से एक विशिष्ट धनराशि का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया;

(ख) क्या उसको जोरहाट के डाक-घर सुपरिटेण्डेंट के आदेश पर डाक शाखा में स्थानान्तरित कर दिया गया;

(ग) क्या इस बारे में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी;

(घ) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला; और

(ङ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) मामले की अभी जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र में सड़कों पर रोशनी

†२१०१. श्री ले० अचौ सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र में आशमान शिथिलि बत्तियां^१ लगा कर सड़कों पर प्रकाश फैलाने की प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की क्या लागत है, और क्या सरकार ने किसी धनराशि की मंजूरी दी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सहकारी फार्म

२१०२. श्री राधाःमोहन सिंह : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष कितने कृषि सहकारी फार्म देश भर में स्थापित किये गये;

(ख) राज्यवार उनकी संख्या तथा उनका क्षेत्रफल क्या है और कृषि का ढंग (पुराना अथवा नया) क्या है; और

(ग) कितने फार्मों पर कार्य आरम्भ हो चुका है और उस में कितनी प्रगति हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

^१Fluorescent Neon Lights.

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) १९५६-६० में १,३३७ कृषि सहकारी समितियां स्थापित की गयी थीं।

(ख) और (ग). इन समितियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६५] इनके क्षेत्र, कृषि करने के तरीकों और इनके द्वारा की गई प्रगति के सम्बन्ध में अलग जानकारी प्राप्य नहीं है।

होटल उद्योग

†२१०३. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में होटल उद्योग के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में अब तक कितनी सहायता, अनुदान अथवा ऋण दिया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६६]

पूर्व रेलवे के वाणिज्य विभाग में विधि सहायक और निरीक्षक^१

†२१०४. श्री सुबिमन घोष : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के वाणिज्य विभाग में कितने विधि सहायक और निरीक्षक हैं;

(ख) विधि निरीक्षक किस लिये भर्ती किये गये हैं;

(ग) क्या अधिकांश विधि निरीक्षक (१) दावों सम्बन्धी मामलों के पुनर्विलोकन, (२) टाईपिंग के इंचार्ज, (३) आंकड़ों के इंचार्ज, (४) निपटारा कार्य करने में लगे हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ये कार्य उनके सामान्य कृत्यों के भाग हैं; और

(ङ) क्या दावा निरीक्षकों को केवल उपरोक्त कार्यों में से ही कुछ कार्य दिया जाता है ?

†रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क)

विधि सहायक

११

विधि निरीक्षक

१४

(ख) विधि निरीक्षकों के कृत्यों की एक सूची संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६७]

(ग) (१) से (३) जी, नहीं।

(४) ३ विधि निरीक्षक न्यायालयों के मामलों के निपटारे में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त उनको न्यायालयों के मामलों सम्बन्धी अन्य बाहरी आवश्यक कार्य सौंपा जाता है जैसे रिकार्ड इकट्ठे करना, साक्ष्य आदि प्राप्त करने के लिये डिवीजनल आफिसों और सरकारी रेलवे पुलिस से सम्पर्क बनाये रखना और दुर्घटना के मामलों में जांच करना।

(घ) जहां तक भाग (ग) के भाग (१), (२) और (३) का सम्बन्ध है, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जहां तक भाग (४) का सम्बन्ध है, यह उन के सामान्य कृत्यों का भाग है। उनको उनके सामान्य कृत्यों से सम्बन्धित कार्य भी सौंपे जाते हैं।

(ङ) जी नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

^१Law Assistants and Inspectors in Commercial Department of Eastern Railway.

मध्य प्रदेश में चीनी की मिलें

२१०५. श्री चांडक : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में दो नई चीनी मिलें खोली जा रही हैं;
- (ख) क्या यह भी सच है कि ये दोनों मिलें सहकारी क्षेत्र में खोली जाने वाली थीं;
- (ग) क्या यह भी सच है कि इन दोनों मिलों में से एक मिल जो बेतूल जिले में खुलने वाली थी वह सहकारी क्षेत्र से निकाल कर गैर-सरकारी उपक्रम को दे दी गयी है जब कि इसके लिये वहां एक सहकारी सोसायटी रजिस्टर हो चुकी थी और उसने बहुत कुछ काम किया था;
- (घ) बेतूल जिले में बनने वाली चीनी मिल किस गैर-सरकारी पार्टी को दी जा रही है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;
- (ङ) बेतूल जिले में बनने वाली चीनी मिल सहकारी क्षेत्र से निकाल कर गैर-सरकारी क्षेत्र में देने के क्या कारण हैं; और
- (च) क्या सरकार इस दृष्टि से कि बेतूल जिले में बनने वाली चीनी मिल को सहकारी क्षेत्र में ही बनाना अधिक उपयुक्त होगा अपने निश्चय पर पुनर्विचार करेगी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). राज्य में जोरा, जिला मोरेना और अमला जिला बेतूल में सहकारी चीनी कारखाने स्थापित करने के लिये, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करने हेतु उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत, दो आवेदन पत्र उद्योग निर्देशक, मध्य प्रदेश द्वारा प्राप्त हुए हैं। यह अभी विचाराधीन है।

(ग) केन्द्रीय सरकार को अभी तक किसी निजी क्षेत्र द्वारा बेतूल जिले में चीनी का कारखाना खोलने के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्ति के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (च). प्रश्न ही नहीं उठता।

छिन्दवाड़ा-परासिया और छिन्दवाड़ा-नागपुर सैक्शन को बड़ी लाइन में बदलना

२१०६. श्री चांडक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के छिन्दवाड़ा-परासिया और छिन्दवाड़ा-नागपुर सैक्शनों को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की मांग बहुत समय से चली आ रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं।

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अभी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये न तो साधन उपलब्ध हैं और न इस का कोई औचित्य ही है।

खोपरा और सुपारी के लिये अनुसंधान केन्द्र

†२१०७. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोपरा और सुपारी सम्बन्धी अनुसन्धान के लिये विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रों को कृष्णापुरम स्थित खोपरा अनुसन्धान संस्थापना के नियंत्रणाधीन रखने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) सर्वप्रथम यह प्रस्थापना किसने रखी; और

(ग) इस प्रस्थापना का मुख्य ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रस्थापना के औचित्य के लिये क्या कारण बताये गये हैं ।

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) सरकार इस समय ऐसी किसी प्रस्थापना पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

हैदराबाद और सिकन्दराबाद के लिये जल संभरण

†२१०८. श्री रामी रेड्डी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगरों को जल-संभरण बढ़ाने के लिये कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना की लागत क्या है ;

(घ) क्या केन्द्र ने इस योजना का अनुमोदन कर दिया है;

(ङ) यदि नहीं, तो परियोजना को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) क्या योजना के निर्माण के लिये कोई निर्धारित कार्यक्रम है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करभरकर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस योजना में संगरेदी के समीप मंजीरा नदी पर बांध बनाने, जलाशय से संसाधन से लगभग १८ मील दूर पट्टनचेरु गांव के समीप स्थित कार्यों तक कच्चा पानी खींचने और लिगम-पल्ली गांव के समीप एक सेवा जलाशय तक लगभग ७ मील दूर साफ किया हुआ पानी खींचने की व्यवस्था है जहां से लगभग १२ स १५ मील दूर दोनों नगरों में वितरण केन्द्र तक पानी का संभरण बढ़ाया जायेगा ।

(ग) अनुमानित लागत ३.७५ करोड़ रुपये है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रस्तावों में कुछ संशोधन किये गये हैं और संशोधित योजना अन्तिम पर्यवेक्षण के लिये राज्य सरकार से प्रतीक्षित है

(च) जी हां, परन्तु योजना का अन्तिम ब्यौरा राज्य सरकार से प्रतीक्षित है ।

हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोग

२१०९. श्री पद्म देव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोग संबंधी कोई सर्वेक्षण किया गया है;

†मूल अंग्रेजी में

- (ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;
 (ग) इस रोग की रोकथाम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और की जा रही है ; और
 (घ) हिमाचल प्रदेश में इस रोग की चिकित्सा के लिये क्या व्यवस्था है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोग सम्बन्धी न्यादर्श एवं सामूहिक सर्वेक्षण इस समय किये जा रहे हैं किन्तु अभी तक पूर्ण नहीं हुये हैं ।

(ख) अब तक सर्वेक्षित ४,४४,८७६ की जनसंख्या में से ३४२१ रोगियों का पता लगाया जा चुका है ।

(ग) इस रोग की रोकथाम के लिये कुष्ठ सहायक केन्द्र कुष्ठ क्लिनिक तथा उप-एकक कार्य कर रहे हैं वासस्थान-सेवा भी प्रदान की जा रही है ।

(घ) हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोग के इलाज के लिये ग्राम-क्षेत्रों में ३ कुष्ठ सहायक केन्द्र, ५ कुष्ठ क्लिनिक तथा १४ कुष्ठ उप-एकक हैं ।

हिमाचल प्रदेश में परिवार नियोजन

२११०. श्री पद्म देव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) हिमाचल प्रदेश में वर्ष १९६० में परिवार नियोजन के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और
 (ख) हिमाचल प्रदेश में जिसकी जन-संख्या पहले ही कम है परिवार नियोजन की योजनायें लागू करने में क्या औचित्य है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में दाई प्रशिक्षणार्थी

२१११. श्री पद्म देव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) हिमाचल प्रदेश में १९६० में कितनी स्त्रियों को दाई का प्रशिक्षण दिया गया ;
 (ख) प्रशिक्षित दाइयों में से कितनी दाइयों को सरकारी सेवा में लगाया गया ; और
 (ग) क्या यह सच है कि कई प्रशिक्षित दाइयों को रोजगार नहीं मिला है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली दूध योजना

२११२. श्री अ० मु० तारिक : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि दिल्ली दूध योजना के दूध वितरण केन्द्रों में वितरण खिड़कियां इतनी छोटी हैं कि कर्मचारियों के लिये कुशलता से कार्य करना बड़ा कठिन है ; और
 (ख) यदि हां, तो दूध वितरण केन्द्रों का आधुनिकीकरण करने के लिये क्या कार्यवाही की जावेगी ?

†कृषि उपमंत्री(श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख). जी नहीं। दिल्ली दूध योजना के वर्तमान वितरण केन्द्रों की वितरण खिड़कियां छोटी नहीं हैं तथापि कार्ड वालों और नकद खरीदारों को अलग अलग खिड़कियों से दूध देने के लिये एक और वितरण खिड़की की आवश्यकता अनुभव की गयी है। इन वितरण केन्द्रों के भविष्य में बनने वाले नक्शों में दो पृथक वितरण खिड़कियों की व्यवस्था की जावेगी।

त्रिपुरा में चीनी की मिल

†२११३. श्री बांगशी ठाकुर: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि कैलाशहर त्रिपुरा में एक चीनी मिल स्थापित की जा रही है ; और
- (ख) यदि हां, तो उसका क्या व्योरा है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० मु० थामस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में बछड़ों का मरना

†२११४. श्री बांगशी ठाकुर: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के सदर डिवीजन में बड़ी संख्या में बछड़े मर रहे हैं जिससे लोगों को बहुत हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां तो इस मृत्यु के क्या कारण हैं और इसका सामना करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जनवरी १९६१ के बाद से ५२ बछड़ों की मृत्यु का सभाचार मिला है।

(ख) यह मृत्यु पांव और मुख की बीमारी फूटने से है। बीमारी और मृत्यु को यथासंभव स्वच्छता उपायों और इलाज द्वारा रोकने के लिये त्रिपुरा प्रशासन ने कार्यवाही की है और कर रहा है।

महानदी में बाढ़

†२११५. श्री ब० च० मलिक : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में महानदी और अन्य नदियों में बाढ़ के कारणों की जांच करने के लिये उड़ीसा सरकार द्वारा उड़ीसा के भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्री श्री एस० एन० भंजदेव की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री(श्री हाथी) : (क) समिति ने अभी अपना अन्तिम प्रतिवेदन नहीं दिया है।

(ख) समिति ने वर्ष १९६० की बाढ़ से प्रभावित कई क्षेत्रों का दौरा किया, गण्यमाण्य व्यक्तियों से इस समस्या पर विचार-विमर्श किया और स्थानीय निवासियों से कई ज्ञापन प्राप्त

किये । समिति को अभी ऐसे कई क्षेत्रों का दौरा करना बाकी है जिसके बाद वह अपना अन्तिम प्रतिवेदन देगी ।

तिरुन्नामलै में डाक तथा तार भवन

†२११७. श्री धर्म लिंगमः क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरी अर्काट जिले में तिरुन्नामलै में डाक-घरों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति-वर्ष कितना किराया दिया जाता है ;

(ख) क्या उनके लिये नई इमारतें बनाने की कोई प्रस्थापना है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस समय डाक घर की इमारत में बहुत भीड़ भाड़ है और वह इस कार्य के लिये अनुपयुक्त है ; और

(घ) यदि हां तो इस ओर क्या कार्यवाही की जावेगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्) : (क) ६०० रुपये वार्षिक ।

(ख) से (घ). तिरुन्नामलै में तिरुन्नामलै उप डाक-घर और तिरुन्नामलै बाजार उप डाक-घर दो डाक घर हैं ये किराये की इमारतों में हैं । जिस इमारत में तिरुन्नामलै डाक घर है वह वैसे तो ठीक है परन्तु उसमें स्थान की कुछ कमी है । इस भीड़भाड़ को दूर करने के लिये एक विभागीय इमारत बनाने के लिये उपयुक्त स्थान देखा जा रहा है । विभागीय इमारत बनने तक राज्य सरकार की सहायता से एक अन्य स्थान किराये पर लेने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

जिस इमारत में तिरुन्नामलै बाजार उपडाक-घर है वह उपयुक्त स्थान पर है और उसमें जगह की कमी नहीं है । अतः इस डाक-घर के लिये विभागीय इमारत बनाने की प्रस्थापना नहीं है ।

मद्रास में सहकारी चीनी मिल

†२११८. श्री धर्म लिंगमः क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में मद्रास की राज्य सरकार ने जिस तिरुन्नामलै सहकारी चीनी मिल की सिफारिश की थी क्या केन्द्रीय सरकार ने उसको मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह वर्ष १९६१ में चालू हो जायेगी ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक औषधियों सम्बन्धी अनुसंधान

†२११९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक औषधियों सम्बन्धी अनुसंधान में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका क्या परिणाम निकला है ?

†स्वास्थ्य मंत्री(श्री करमरकर) : (क) और (ख). अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्था कलकत्ता में किये गये मेटाक्सीलो हाईड्रो क्विनोन^१ पर अनुसन्धान से पता चला है कि इस औषधि से गर्भ ठहरने की दर में ५० प्रतिशत की कमी हो जाती है इस औषधि के खाने से अभी तक उन व्यक्तियों में से किसी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है जिन पर इसका परीक्षण किया गया और न ही किसी कष्टकारक अनुभव की शिकायत आयी है। इस औषधि का गहन रूप से अनुसन्धान किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक औषधियों के विकास और अनुसन्धान के पुनर्विलोकन के लिये नियुक्त की गयी समिति ने मेटाक्सीलो हाईड्रो क्विनोन सम्बन्धी क्षेत्रीय परीक्षण का पुनर्विलोकन किया और विचार किया कि अभी इस औषधि के गर्भ-निरोधक औषधि के रूप में सामान्य इस्तेमाल की सिफारिश नहीं की जा सकती।

समिति की सिफारिश सरकार ने मान ली है।

उत्तर प्रदेश में तिलहन का विकास

†२१२०. श्री ब० ना० कुरील : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में तिलहन के विकास के लिये कोई सहायता दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि आवंटित की गयी है; और

(ग) अब तक कितना धन खर्च किया गया है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) ५,८६,०५४ रुपये।

(ग) ४,८५,८६६ रुपये (फरवरी), १९६१ तक)

उत्तर प्रदेश में तम्बाकू की खेती

†२१२१. श्री ब० ना० कुरील : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को तम्बाकू की खेती के लिये कोई सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितना धन आवंटित किया गया है ; और

(ग) अब तक कितना धन खर्च किया गया है।

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (ज) जी, हां।

(ख) ३२,७७४ रुपये।

(ग) २२,२२६ रुपये (३१ मार्च, १९६१ तक अनुमानित)

राय बरेली में ऊपरी पुल

†२१२२. श्री ब० ना० कुरील : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राय बरेली रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर एक ऊपरी पुल बनाने का निर्णय किया गया है ताकि समीपवर्ती गांवों से लोग शहर में जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति की गयी है ?

†मूल अंग्रेजी में

^१Metaxylo hydroquinon.

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क

२१२३. श्री पद्म देव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क के कितने भाग का निर्माण हुआ और निर्मित भाग में कितना मोटर यातायात के लिये, कितना जीप यातायात के लिये तथा कितना केवल पैदल चलने योग्य है ;

(ख) क्या लक्ष्य की पूर्ति निर्धारित अवधि में हुई ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) पांच वर्षों में इस सड़क पर कितना व्यय हुआ ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). हिन्दुस्तान तिब्बत मार्ग के निर्माण कार्य में प्रगति आयोजना के अनुसार है। इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में और अधिक सूचना देना सार्वजनिक हित में नहीं है।

हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क पर लगे मजदूर

२१२४. श्री पद्म देव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क का निर्माण करने वाले कितने मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हुए और उनमें से कितने मरे और कितने अपाहिज हो गये ;

(ख) दुर्घटनाग्रस्त लोगों में से कितने हैं ऐसे जिन के प्रतिकर के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ; और

(ग) अपाहिज व्यक्तियों को पुनः बसाने के बारे में सरकार कौन सी योजना कार्यान्वित करने का विचार कर रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर दुर्घटनाग्रस्त ३६ व्यक्तियों में से ११ की मृत्यु हुई और ३ अपाहिज हुए।

(ख) २७ व्यक्ति।

(ग) ऐसी कोई भी योजना नहीं है।

हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क को सभी मौसमों में काम आने वाली सड़क बनाना

२१२५. श्री पद्म देव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क को सभी मौसमों में काम आने वाली सड़क बनाने के लिये कोई योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हिन्दुस्तान-तिब्बत मार्ग का विकास कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) इस प्रायोजना के विषय में और अधिक सूचना देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

शाहदरा के निकट रेल की टक्कर

†२१२६. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५ मार्च, १९६१ को शाहदरा-सहारनपुर लाईट रेलवे पर शाहदरा (दिल्ली) के समीप एक लेवल क्रॉसिंग पर एक रेलगाड़ी और ट्रक में टक्कर हो गयी ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सै० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) यह दुर्घटना ट्रक चालक की असावधानी के कारण हुई।

बिहार में चीनी के कारखाने

२१२७. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के कई चीनी के कारखाने किसानों को एक खास प्रकार का ईख उपजाने पर जोर दे रहे हैं जिसके रस में चीनी का अनुपात ज्यादा होगा किन्तु उसकी प्रति एकड़ उपज कम होगी ;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार में स्थित चीनी कारखानों में ईख के रस में चीनी की मात्रा का प्रतिशत अनुपात कम होता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी ईख अनुसंधानशालाओं में कोई इस प्रकार की ईख की किस्म निकालने का प्रयत्न कर रही है जिसकी प्रति एकड़ उपज भी ज्यादा हो तथा जिसमें चीनी की मात्रा का अनुपात भी ज्यादा हो ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं। परन्तु सरकार को पता है कि बिहार के चीनी के कुछ कारखानों में यह ख्याल पैदा होता जा रहा है कि जहां तक चीनी की रिकवरी का सम्बन्ध है, गन्ने की जो किस्में बोई जा रही हैं वे सन्तोषजनक नहीं हैं।

(ख) जी हां।

(ग) कोयम्बटूर की गन्ना प्रजनन संस्था के निदेशक ने हाल ही में बिहार में गन्ने की परिस्थिति पर विचार किया है और कई वर्गों की किस्मों की, जिनमें चीनी की मात्रा और प्रति एकड़ उपज भी अधिक है, सिफारिश की है। बिहार सरकार ने गन्ने की रिकवरी को उचित स्तर से नीचे गिरने से रोकने के लिये शीघ्र और देर में पकने वाली किस्मों को विकसित करने और बोने के लिये कई योजनाएँ पूसा की गन्ना अनुसन्धान संस्था में चालू की हैं।

व्यास बांध परियोजना

†२१२८. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास नदी पर प्रस्तावित पोंग बांध की लागत का हाल ही में अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्राक्कलन क्या हैं ; और

(ग) इस लागत में किस प्रकार हिस्सा बंटाया जायेगा ?

†सिचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां। एक प्राथमिक प्राक्कलन तैयार किया गया है।

(ख) ६३.५७ करोड़ रुपये।

(ग) इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

सैलून

†११२६. श्री जोकीम आल्वा: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों के लिये पहले दर्जे के सभी सैलूनों और वातानुकूलित सैलूनों को दिल्ली में रखा जाता है और उन्हें बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े नगरों में नहीं रखा जाता है ; और

(ख) क्या इन सैलूनों को स्थानान्तरित करने के बारे में कोई प्रस्थापनायें हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : फर्स्ट क्लास टूरिस्ट कार/सैलून जोनल रेलवे प्रशासनों के सदर मुकामों में रखे जाते हैं जिनमें दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे प्रमुख नगर शामिल हैं। इस समय कुल छः बड़ी लाइन के पूर्ण रूप से वातानुकूलित टूरिस्ट कार/सैलून हैं और एक आंशिक रूप से वातानुकूलित टूरिस्ट कार है। एक पूर्ण रूप से वातानुकूलित टूरिस्ट कार बम्बई में रखी जाती है और आंशिक रूप से वातानुकूलित टूरिस्ट कार समेत बाकी दिल्ली में रखी जाती हैं क्योंकि अधिकांश वातानुकूलित टूरिस्ट कार/सैलून में यात्रा करने वाले दिल्ली से चलते हैं। परन्तु दिल्ली और बम्बई में रखी गयी ये वातानुकूलित टूरिस्ट कार/सैलून सामान्य नियमों के अधीन उपलब्ध होने पर यथावश्यक रूप से अन्य स्टेशनों पर भी भेजी जाती हैं। एक मीटरगेज वातानुकूलित टूरिस्ट कार भी है जो अजमेर में रखी जाती है और सामान्य नियमों के अधीन आवश्यकता पड़ने पर अन्य स्टेशनों को भेज दी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

गया के निकट मालगाड़ी की टक्कर

†११३०. { श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ मार्च, १९६१ को बिहार में पूर्व रेलवे पर गया के निकट गुलांडी में एक स्पेशल मालगाड़ी एक दूसरी मालगाड़ी से टकरा गयी ;

(ख) यदि हां, तो यह टक्कर किन परिस्थितियों में हुई ;

(ग) रेलवे समपत्ति को कितनी क्षति हुई और रेलवे प्रशासन को कितनी हानि हुई ;

(घ) इसमें कितने व्यक्ति हताहत हुए।

(ङ) क्या किसी जांच का आदेश दिया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(च) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस बारे में रेलवे प्रशासन जांच कर रहा है ।

(ग) लगभग चार लाख रुपये ।

(घ) मारे गये १

गम्भीर रूप से जख्मी ४

हल्के जख्मी ३

(ङ) जी, हां ।

(च) प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

संघ राज्य-क्षेत्रों में वैद्यों द्वारा बीमारी का प्रमाणपत्र

†२१३१. { श्री शि० न० रामौल :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य-क्षेत्रों में सरकारी औषधालयों के इंचार्ज अर्हता प्राप्त वैद्यों को सरकारी कर्मचारियों को बीमारी आदि का प्रमाणपत्र देने का अधिकार नहीं है जबकि ऐलो-पैथिक अस्पतालों के इन्चार्ज डाक्टरों को यह अधिकार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करभरकर) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में सुंगरी-रोड सड़क

२१३२. श्री पद्म देव : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के जिला महासु की तहसील रोड की सुंगरी-रोड सड़क जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्माण होती थी बन चुकी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक बनने की आशा है और अभी तक कितनी सड़क बन चुकी है और इस पर कितना व्यय हुआ है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में हिमाचल प्रदेश के विकास-कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़ कर बाकी सड़कों को जीप चलने योग्य नौ फीट चौड़ी करने की व्यवस्था है । इस सड़क के १७ मील टुकड़े पर २ फीट चौड़ा पैदल रास्ता तैयार हो चुका है और इसमें ७ मील लम्बे टुकड़े पर रास्ते को ६ फीट चौड़ा करने का काम जारी है । यह सारी सड़क सम्भवतः तीसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में एक गली वाले मोटर चलने योग्य रास्ते के रूप में बन जावेगी । इस सड़क पर अब तक २१६३७ रुपये खर्च हो चुके हैं ।

हिमाचल प्रदेश में पव्वर नदी पर पुल

२१३३. श्री पद्म देव : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के जिला महासु की तहसील रोडू में पव्वर नदी पर पुल टूटे कितने वर्ष बीत चुके हैं ;

(ख) उसके बाद रोडू से आते-जाते कितने व्यक्ति नदी को पार करते समय डूब कर मर गये हैं ;

(ग) इस पुल को बनाने की योजना कब से सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और पूर्ण होगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) यह पुल हिमाचल प्रदेश की स्थापना के पूर्व ही बह गया था। नदी को पार करने में कितने लोग गिर कर हताहत हुए वह संख्या उपलब्ध नहीं है। पव्वर नदी पर पुल बनाने की योजना पर १९५६ से विचार किया जा रहा था, किन्तु विभिन्न रायों होने के कारण पुल के निश्चित स्थल के चुनाव में कुछ देरी हुई। रोडू पर पुल बनाने के सम्बन्ध में तख्मीने मंजूर किये जा चुके हैं और निर्माण कार्य जारी है। सम्भवतः यह काम एक वर्ष के अन्दर पूरा हो जायेगा।

राष्ट्रीय बचत टिकट

२१३४. श्री विभूति मिश्र : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री १ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना विश्वविद्यालय डाक घर (पटना—५) में अगस्त, १९६० से राष्ट्रीय बचत टिकटों की कमी है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय बचत टिकट स्वयं पोस्ट मास्टर द्वारा ही जो ३ म० ५० बजे मिलता है, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट में परिवर्तित किये जाते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इससे जनता को बड़ी कठिनाई होती है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, हां। सब पोस्टमास्टर, जिसने टिकटें दफ्तर की तिजोरी में रखी थीं, उस समय ड्यूटी पर नहीं था। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाई की गई है ताकि राष्ट्रीय बचत टिकटें हर समय उपलब्ध रहें।

चीनी का निर्यात

†२१३५. { श्री पांगरकर
श्री ग० के० जेधे :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बता ने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कलकत्ता में गैर-सरकारी मिल संस्था के जरिये चीनी का निर्यात करने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिल फेडरेशन को निर्यात के लिये चीनी का कोई अंश आवंटित किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों में एक करोड़ रुपये के मूल्य की चीनी पड़ी है ;

(घ) क्या सहकारी चीनी मिलों ने सरकार से कोई निर्यात अभ्यंश प्राप्त करने के लिये अभ्यावेदन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी, हां। चीनी निर्यात संवर्द्धन अधिनियम, १९५८ के उपबन्धों के अधीन भारतीय चीनी मिल संस्था को निर्यात अभिकरण नियुक्त किया गया है।

(ख) जी, हां। निर्यात के लिये मात्रा कारखानों से उनके उत्पादन के अनुपात में निर्धारित की जाती है। अब छोड़ी गयी १ लाख टन चीनी में से महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों को कुल ८०६६ टन दिया गया है।

(ग) जी, हां परन्तु अधिक उत्पादन के कारण देश में सभी कारखानों के पास अधिक स्टॉक है।

(घ) और (ङ) देश में सभी कारखानों में उत्पादित चीनी निर्यात के योग्य नहीं है। अतः निर्यात अभिकरण को उन कारखानों को चुनना पड़ता है जो निर्यात के योग्य चीनी बनाते हैं और उनसे वास्तविक निर्यात के लिये उनके निर्यात अभ्यंश पर अथवा उन कारखानों के निर्यात अभ्यंश के बदले जिनकी चीनी निर्यात के योग्य नहीं है और जिनके निर्यात अभ्यंश को अन्तरिम बिक्री में बदल दिया गया है, अतिरिक्त खरीद के रूप में अपेक्षित मात्रा में चीनी लेता है।

महाराष्ट्र में सहकारी मिल फेडरेशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि महाराष्ट्र सहकारी मिलों से वास्तविक निर्यात के लिये अधिक चीनी ली जाये और इस पर गौर किया जा रहा है।

निर्यात अभिकरण ने महाराष्ट्र में कोपरागन और प्रवर नगर सहकारी मिलों से उनके सामान्य निर्यात अभ्यंश के अतिरिक्त लगभग ४६४० टन चीनी खरीदी है।

मध्य प्रदेश में मेडिकल कालिज

†२१३६. श्री कर्णी सिंहजी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को यह राय दी है कि वह तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित दो कालेजों के स्थान पर केवल एक नया मेडिकल कालेज बनाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने उसके स्थान के बारे में भी बताया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) मध्य प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विचार करने के लिये १७ अक्टूबर, १९६० को हुई कार्यकारी दल की बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में उस राज्य में दो नये मेडिकल कालेज बनाने का प्रस्ताव रखा। उस राज्य में मेडिकल शिक्षा के लिये उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, कार्यकारी दल ने तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में रीवा में केवल एक मेडिकल कालिज की स्थापना की सिफारिश की जहां पर अस्पताल की सुविधाएँ पहले ही विद्यमान हैं।

मध्य प्रदेश में कृषि कालेज

†२१३७. श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह जी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने संघ सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उसने तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में राज्य में दो नये कृषि कालेज खोलने की अनुमति देने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितने स्थानों का सुझाव दिया है; और

(ग) क्या इस बारे में मध्य प्रदेश राज्य सरकार को कोई निर्णय बता दिया गया है ?

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

राजस्थान में बाली दुर्ग में विस्फोट

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली) : नियम १६७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री का ध्यान दिलाता हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि वह उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे।

‘राजस्थान के पाली जिले में स्थित बाली दुर्ग में ६ मार्च, १९६१ को विस्फोट’।

†निर्माण, आवास और संभरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : राजस्थान में पाली जिले में स्थित, रेलवे स्टेशन फालना के निकट ६ मार्च १९६१ को लगभग १२.२० बजे दिन में एक विस्फोट हुआ था। विस्फोटक पदार्थ विभाग के एक पदाधिकारी विस्फोट वाले स्थान पर गये और उन्होंने प्रारम्भिक जांच की। विस्फोट के परिणामस्वरूप ३ लड़के तुरन्त ही मर गये और अन्य ५० घायल हो गये। घायल ५० में से ३ लड़कों का आउट डोर रोगी के रूप में उपचार किया गया और प्रस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल में भरती अन्य लड़कों को भी खतरे से बाहर घोषित कर दिया गया है। यह बताया जाता है कि दुर्ग के अन्दर तीन कमरों में बारूद रखी हुई थी और इन के निकट दो कमरों में बन्दूकों तथा तोपों की गोलियां रखी हुई हैं। विस्फोट के कारण कमरों की छतें उड़ गईं और दीवार का कुछ भाग उड़ गया। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। विस्फोट की मेजिस्टीरिल जांच भी की जा रही है।

एक मेले के सिलसिले में दुर्ग का अन्दर वाला दरवाजा खोल दिया गया था। इसलिये कुछ वयस्क तथा बालक दुर्ग देखने चले गये थे। सन्देह किया जाता है कि किसी व्यक्ति ने बारूद वाले किसी कमरे के दरवाजे के निकट जली बीड़ी डाल दी और इस कारण विस्फोट हो गया। यह बताया जाता है कि जोधपुर के भूतपूर्व शासकों के जमाने से ही इन कमरों में बारूद रखा जाता था।

भूतपूर्व राज्यों के भूतपूर्व शासक जो तोपों की सलामी लेने के अधिकारी हैं, उन को भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम के उपबन्धों से कुछ छूट दी गई है और क्योंकि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा नियमों का भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम पर कोई असर नहीं पड़ता है इसलिये सलामी देने

[श्री अनिल कु० चन्दा]

वाली तोपों अथवा बन्दूकों के लिये बारूद रखने के लिये उन को लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। परन्तु इस प्रकार की छूट पाने वालों से आशा की जाती है कि वह इन शस्त्रास्त्रों तथा बारूद को सुरक्षित स्थान पर रखें जिस से चोरी, दूर्घटना आदि का खतरा न रहे।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि १९५५ में यह आदेश दिये गये थे कि दुर्गों में रखे गये बारूद को यहां से हटा दिया जाना चाहिये अथवा उस को नष्ट कर देना चाहिये। यदि हां, तो यह यहां किस प्रकार पड़ा था ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : मैं समझता हूं कि ऐसे आदेश नहीं थे।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या भारत सरकार की इस बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि विलय की शर्तों के अधीन तोपों की सलामी पाने वाले राजा महाराजाओं को भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम से छूट दे दी गई है। परन्तु मैं इस की ओर माननीय गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाऊंगा। यह राजाओं की सम्पत्ति है और इस को दुर्ग में तोपों की सलामी देने के काम में लाने के लिये रखा गया था।

† श्री कासलीवाल (कोटा) : क्या विस्फोट से पहले सरकार को पता था कि विस्फोटक पदार्थ दुर्ग में रखा है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३६ की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५६-६० के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी-२७६१/६१]

खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) नियम

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६६ में प्रकृतिशित खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी-२७६२/६१]

दिल्ली मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन, कोंकण तटवर्ती नौवहन सेवा समिति का प्रतिवेदन तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ : —

(१) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति —

(क) दिनांक २९ दिसम्बर, १९६० के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/७६/६०-परिवहन

(ख) दिनांक ५ जनवरी, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/२५१/५८-परिवहन ।

(२) कोंकण तटवर्ती नौवहन सेवा समिति के प्रतिवेदन, १९५९-६० की एक प्रति ।

(३) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या २७६३, २७६४ तथा २७६५/६१]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अस्सीवां प्रतिवेदन

†सरदार हुक्म सिंह (भटिंडा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों, तथा संकल्पों संबंधी समिति का अस्सीवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

सदस्य द्वारा वक्तव्य में शुद्धि

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : २० मार्च, १९६१ को शिक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय जब आप ने शिक्षा मंत्री को बताया था .

†अध्यक्ष महोदय : भविष्य में जब कोई सदस्य अपना वक्तव्य शुद्ध करना चाहे तो उन को वक्तव्य का सही पाठ बताना चाहिये । यही कहना चाहिये कि 'मैं ने यह कहा था और ठीक तथ्य यह है ।'

†श्री स० मो० बनर्जी : आप को याद होगा कि राजनीतिक पीड़ितों के बारे में जब आप ने कहा था, उस समय मैं ने अवरोध करते हुए कहा था कि चन्द्रशेखर आज़ाद का परिवार कष्ट भोग रहा है । मैं ने जांच की और श्री बनारसी दास चतुर्वेदी से पता लगा कि राम प्रसाद बिस्मिल की बहन कष्ट भोग रही है । चन्द्रशेखर आज़ाद की मां को तो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन दे दी थी । राम प्रसाद बिस्मिल की बहन को हाल में ही पेंशन दी गई है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

अनुदानों की मांगें—जारी

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय—जारी

†अध्यक्ष महोदय : सभा में अब वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी और उन पर मतदान होगा ।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्ट्री आफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल एफेयर्ज के विषय में जो डिमांड्स रखी गई हैं, उन का समर्थन करने के लिये मैं उपस्थित हुआ हूँ । हमारे देश में साइंस काफ़ी प्रगति करती जा रही है और जो रिपोर्ट हमारे सामने पेश हुई है, उस को देखते हुए सभी सर्व-साधारण को इस मंत्रालय के कार्य से पूरा संतोष है ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक विशेष और बहुतही महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूँ । उन्होंने ने जो गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के शताब्दी-समारोह का आयोजन किया है, उस का सारे देश में स्वागत हो रहा है । यह एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, जिस से हमारे देश के कलाकारों, विद्वानों और साहित्यिकों का हौसला और उत्साह बहुत बढ़ेगा । इस के साथ ही साथ जिस बात की ओर मैं उन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वह यह है कि केवल हमारे भारत में ही प्रख्यात नहीं, बल्कि सारे विश्व में ख्याति प्राप्त कविकुल-गुरु कालीदास के सम्बन्ध में भी ऐसा कोई विचार किया जाना चाहिये । पहले मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह प्रकट किया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट को उज्जैन में कायम करने पर विचार किया जायेगा और उस के बारे में उन्होंने ने राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे थे । कुछ महीने पहले राज्य सरकारों ने अपनी ओर से एक पूरी योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी थी, जो इस मंत्रालय के सामने आई है । उस में आगे के कार्यक्रम की ओर, आगे क्या होने वाला है, इस की ओर कुछ इशारा किया गया है । लेकिन इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर एक भी लाइन, उस रिपोर्ट में देखने को नहीं मिली । मैं उन से निवेदन करूंगा कि कालीदास जैसी महान् विभूति के स्मारक के सम्बन्ध में बहुत जल्दी कुछ न कुछ निर्णय किया जाना चाहिये ।

कालीदास ने हमारे भारत के नाम को सारी दुनिया में बहुत ऊंचा उठाया है । हमारे भारत के जितने भी विद्वान, साहित्यिक, कवि और लेखक आदि हैं, वे आज भी कालीदास से प्रेरणा लेते रहते हैं और हमेशा उन की प्रशंसा किया करते हैं । गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने खुद कालीदास के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए काफ़ी कवितायें लिखी हैं । उन्होंने ने यह भी इच्छा प्रकट की थी कि वह स्वतः जा कर अवंतिका के क्षेत्र को देखें, जहां कालीदास ने अपनी कृतियां लिखी थीं । इस अवस्था में क्या यह अत्यन्त जरूरी नहीं है कि इस महान् विभूति के सम्बन्ध में, जिसने सारी दुनिया में हिन्दुस्तान के नाम को ऊंचा उठाया हुआ है, कुछ निर्णय जल्दी किया जाये ?

आधुनिक काल के लिये, मौजूदा ज़माने के लिये, यह बहुत जरूरी था और मैं इसके लिये मंत्रालय को बधाई देने बग़ैर नहीं रह सकता कि उन्होंने इतना रुपया खर्च करके सारे देश में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की यादगार में तमाम राज्यों की राजधानियों में थियेटर्ज बनाने की योजना बनाई है । इसके अतिरिक्त तीनों अकादमियों के लिए रवीन्द्र भवन के नाम से नये भवन का निर्माण होने जा रहा है । इसी तरह से यह भी बहुत जरूरी है कि चाहे सारे देश में न हो, लेकिन कम से कम उस स्थान पर, जिसके बारे में कालीदास ने काफ़ी लिखा, जिस स्थान का जिक्र उन्होंने हर ग्रन्थ में किया और जिसको वह बड़े मान और सन्मान से देखते थे, उनकी कोई ऐसी स्मृति होनी चाहिए, जिस से हिन्दुस्तान के रहने वाले ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान से बाहर से आने वाले विद्वान भी, जो कि उनके

भक्त हैं, कुछ प्रेरणा लें और वहां आकर वे लोग कुछ दिन रहे, कुछ अध्ययन करें, कुछ अनुसंधान करें। इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि उज्जैन में भी एक कालीदास अकादमी कायम हो, वहां पर कालीदास भवन हो और कालीदास थियेटर भी हो।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं माननीय मंत्री की सूचना के लिये यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उज्जैन में जो कालीदास परिषद् थी, उसने वहां पर कालीदास थियेटर या कालीदास के किसी स्मारक को कायम करने के लिये कुछ रुपया एकत्रित किया था। उसने इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार को और कुछ दूसरी राज्य सरकारों को भी लिखा था। इस प्रकार उसने करीब डेढ़ लाख रुपया एकत्रित किया है। ये जो थियेटर बन रहे हैं, यदि उसके साथ ही केन्द्रीय सरकार की ओर से कुछ अनुदान या सहायता उस समिति को दी जाय, तो कालीदास के स्थान, उज्जैन, में भी एक अच्छा थियेटर हो सकता है। हमारे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जिनको अपना गुरु मानते थे और जिनसे प्रेरणा लेते थे, उन कालीदास की स्मृति में यदि उज्जैन में एक नाट्यगृह कायम किया जाये, तो वह एक बड़ी स्वागत योग्य बात होगी। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस सुझाव पर सहानुभूति से विचार करेंगे।

एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंडालोजी फ़ार दि स्टडी आफ़ संस्कृत एंड प्राकृत एंड ओरियंटल लैंग्वेजेंजिज्ज स्थापित करने का विचार भी प्रकट किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में जो योजना मंत्रालय के पास है, उस पर जल्दी से विचार किया जाये, ताकि वह भी मूर्त रूप ले सके। उसको तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रारम्भ करने का प्रयत्न किया जाये और आगे चल कर अगर और रुपये की जरूरत हो, तो उसको भी पूरा किया जाये।

इस समय मुझे मरहूम मौलाना आज़ाद की याद आये बग़ैर नहीं रह सकती। उनकी इच्छा थी और उन्होंने इसका प्रोग्राम भी बनाया था कि वह उज्जैन और धार आयें, लेकिन दुर्भाग्य से अस्वस्थ होने के कारण उनका वह प्रोग्राम स्थगित कर देना पड़ा। मैं एक दफ़ा मौलाना साहब से मिला था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि उज्जैन में कुछ नहीं हो पाया है। वह बोले, “भई, उज्जैन का महत्व बहुत अधिक है और मैं सोच रहा हूं कि वहां पर कुछ हो।” लेकिन उस वक्त वहां कुछ नहीं हो सका। वरमान मंत्री महोदय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उनकी इस आकांक्षा को पूरा करे और ऐसा स्मारक बनाया जाना चाहिये। लेकिन कोरा दिखाने के लिये कोई स्मारक नहीं होना चाहिये। कालीदास जैसी विभूति थी, उसके नाम के अनुकूल ही कोई स्मारक होना ज़ब चाहिये, ताकि बाहर के लोग उसको देखें, तो कह सकें कि कालीदास की श्याति के अनुकूल ही कोई चीज़ बनी है।

जहां तक म्यूज़ियम की योजना का सम्बन्ध है, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जो बड़े बड़े तीर्थ-स्थान हैं, जहां देहातों से लाखों लोग यात्रा पर आते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता केवल तीर्थ समझ कर, अपनी धार्मिक भावनाओं को लेकर मेलों में, पर्वों पर, हिन्दू त्योहारों के अवसरों पर आते हैं, वहां अगर कोई म्यूज़ियम कायम किया जाये, तो उससे लोग बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं और काफी प्रचार हो सकता है। महाकाल के मन्दिर में पुरानी मूर्तियां पड़ी हुई हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है। वहां पर आस-पास काफ़ी साहित्य उपलब्ध है, जिसके लिये ज़मीन में खुदाई करने की जरूरत है। इस प्रकार एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम उज्जैन में भी हो सकता है। वहां पर अगर म्यूज़ियम होगा, तो लाखों आदमी फ़ायदा उठा सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय इस पर भी विचार करें।

उज्जैन में एक्सकैवेशन के दौरान जो साहित्य मिला था, उसकी जांच-पड़ताल हो रही है। लेकिन वहां पर खुदाई बहुत थोड़ी हुई है। अभी उज्जैन के आस-पास कई टीले हैं, कई ऐसे स्थान हैं,

[श्री राधे लाल व्यास]

जहां पर खुदाई करने की जरूरत है। हमारे इतिहास का एक समय है, जिसके बारे में काफ़ी साहित्य उपलब्ध नहीं हुआ है और इतिहासज्ञ और लेखक खोज में हैं। संभव है कि वहां पर कुछ बहुत सामग्री उपलब्ध हो सके। यह बात समझ में नहीं आती कि उस काम को क्यों समाप्त कर दिया गया है। वहां पर एक ही मुकाम पर खुदाई हुई थी, जहां से काफ़ी साहित्य मिला। दूसरे स्थानों पर भी खुदाई करने की जरूरत है।

वहां पर वैश्या नाम की टेकरी है, जहां पर काफ़ी साहित्य मिल सकता है। लेखक कहते हैं कि अशोक पिल्लर वहां पर था। उसके पास एक छोटी सी टेकरी है, जहां कई साल पहले दो हाथ जमीन की खुदाई के बाद मनुष्य के स्कैलेटन मिले थे—कोई बैठा हुआ है, कोई सोया हुआ है, कोई लेटा हुआ है। उनको जांच-पड़ताल के लिये कलकत्ता भेज दिया गया था। मालूम नहीं कि वहां पर क्या क्या साहित्य मिल सकता है। क्या यह जरूरी नहीं कि उज्जैन में, जिसके बारे में इतिहास में इतना ज्यादा लिखा गया है, खुदाई की व्यवस्था की जाये? अभी तक इस बारे में प्रयत्न नहीं किया गया है। माननीय मंत्री महोदय इस विषय में प्रयत्न शुरू करें और कुछ न कुछ रुपया प्रति-वर्ष लगाते रहे और खुदाई करते रहे, तो निश्चित तौर पर हमारे इतिहास पर प्रकाश डालने वाला बहुत कुछ साहित्य वहां पर उपलब्ध होगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हुआ इन डिमांड्स का समर्थन करता हूं।

†श्री अरविंद घोषाल (उलुबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी वैज्ञानिक कार्यवाहियों के साथ साथ इस मंत्रालय का महत्व बढ़ता जा रहा है। परन्तु बड़े ही खेद का विषय है कि स्कूलों तथा कालिजों में विज्ञान पढ़ाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता कम होती जा रही है। १९५० में विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी ३४ प्रतिशत होते थे परन्तु १९५८ में इनकी प्रतिशतता कम हो कर २८ हो गई है।

आज हमारे देश में वैज्ञानिकों की दशा बहुत खराब है। उनको पारिश्रमिक बहुत कम मिलता है। उनकी सेवा की शर्तें बड़ी खराब हैं। भारत में वैज्ञानिक को १८० से ६०० रुपये माहवार मिलते हैं जबकि ब्रिटेन और अमेरिका में इनको इससे कहीं अधिक वेतन मिलता है। इसी कारण हमारे देश के वैज्ञानिकों में ऐसी भावना घर करती जा रही है कि विदेशों में चलो क्योंकि वहां पर अधिक धन मिलता है। हमारे देश में मनुष्य की योग्यता को अधिक महत्व न देकर बड़े बड़े दिशाल भवनों को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि मनुष्य को अधिक महत्व दें तो देश की वैज्ञानिक प्रगति अधिक होगी।

आज हमारे देश में विभिन्न श्रेणियों के वैज्ञानिकों में आपस में बड़ा मन मुटाव है। पहले दर्जे के वैज्ञानिक वह हैं जो अपने भूतकाल के कामों के आधार पर आज मंत्रालय में ऊंचे पदों पर बैठे हैं। दूसरे दर्जे के वैज्ञानिक वह हैं जो पहले दर्जे के वैज्ञानिकों के जान पहचान के हैं। और तीसरे दर्जे के वैज्ञानिक वह हैं जो विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान कार्य करते हैं परन्तु उपेक्षित हैं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दें। जिससे साधारण वैज्ञानिकों के मन से यह आशंका मिट जाये और विज्ञान का सही विकास हो सके।

हमारे वैज्ञानिकों को देश के उद्योगों में अनुसन्धान करने की सुविधा नहीं मिलती है । मेरा माननीय मन्त्री से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दें और उद्योगों में अनुसन्धान करने की सुविधा वैज्ञानिकों को दिलायें ।

अनुसन्धान के समन्वय के बारे में मेरे माननीय मित्र श्री हेम बरुआ ने बहुत कुछ कहा है । माननीय मन्त्री ने भी बताया कि पूरा-पूरा समन्वय है । यद्यपि हाल में ही कुछ समन्वय होने लगा है परन्तु फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि यह समन्वय बहुत ही थोड़ा है । उदाहरणतः आकाशवाणी तथा नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी में एकसा ही शोध कार्य होता है । इसी प्रकार और भी कई सस्थायें हैं जहाँ पर एक सा ही शोध कार्य होता है । इसलिये मेरा माननीय मन्त्री से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दें और सभी शोध कार्यों का समन्वय कराने का प्रयत्न करें ।

हम जानते हैं कि पिछले दो वर्षों में बंगाली, तमिल तथा कुछ अन्य भाषाओं की किसी किताब को कोई पुरस्कार साहित्य अकादमी ने नहीं दिया है । इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये और प्रादेशिक भाषाओं की अच्छी पुस्तकों पर पुरस्कार दिया जाना चाहिये । मेरा यह भी सुझाव है कि डा० ताराचन्द को 'हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेंट' को वापस लिया जाना चाहिये और इसको दोबारा लिखा जाना चाहिये ।

अन्त में मेरा माननीय मन्त्री से अनुरोध है कि वह कृपा करके विदेशों में जाने वाले सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों की ओर ध्यान दें । इनमें गड़बड़ होती है उसको दूर करने का प्रयत्न करें ।

†श्री अ० चे० गुह (बारासार) : मैं कुछ शब्द डा० ताराचन्द लिखित 'हिस्ट्री आफ दि फ्रीडम मूवमेंट' के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ ।

आरम्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने 'स्वतंत्रता' तथा 'स्वाधीनता' दोनों शब्दों में अन्तर बताया है । उन्होंने कहा है कि 'स्वाधीनता' एक नकरात्मक शब्द है और 'स्वतन्त्रता' ठोस शब्द है । हम उनकी इस बात से सहमत नहीं हैं । 'स्वाधीनता' शब्द भी उतना ही ठोस है जितना 'स्वतन्त्रता' शब्द है । दूसरी बात उन्होंने कही कि 'अंग्रेजों ने भारत के शासन में बाधा डाली' मैं समझता हूँ कि अंग्रेजों ने भारत को जीता था । उन्होंने बताया है कि 'दो शताब्दियों तक अंग्रेजों ने भारत को पढ़ाया और तब भारत स्वतन्त्र हुआ' । यह सब बड़ी ही अजीब सी बातें उन्होंने अपनी पुस्तक में कही हैं ।

तीन ग्रन्थों में इस आन्दोलन इतिहास को लिखना तय हुआ है । अभी यह पहला ही ग्रन्थ लिखा गया है । मेरा भी कहना यही है और जिसने इसे पढ़ा है उन सभी का यही कहना है कि उन्होंने 'स्वाधीनता आन्दोलन' के अतिरिक्त और सभी कुछ इस पुस्तक में लिखा है । पढ़ने पर पता लगता है कि उन्होंने इस पुस्तक में योरोपीय समाज, योरोपीय आर्थिक पद्धति, वाणिज्य, व्यापार का अधिक उल्लेख किया है । यदि पहले ग्रन्थ का यह हाल है तो मालूम नहीं कि अगले दो ग्रन्थों में क्या-क्या होगा । इसमें राजा राम मोहन राय, १८५७ का संग्राम, बागान आन्दोलन का जिक्र किया जाना नितान्त आवश्यक था । परन्तु खेद है कि उन्होंने इनके बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा ।

मेरे विचार से इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति के बारे में भी कुछ लिखा जाना चाहिये था । मेरा यही कहना है कि भारत का स्वतन्त्रता आन्दोलन इतिहास इस प्रकार नहीं लिखा जाना चाहिये था । मेरा सुझाव है कि इस बारे में एक समिति बनाई जानी चाहिये जो इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार करके तब इस इतिहास को लिखें ।

†श्री महन्ती (ढेंकानाल) : यद्यपि इस चर्चा के समय डा० ताराचन्द की 'हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेंट' पुस्तक के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। परन्तु इतना अवश्य बताना चाहता हूँ कि इतिहास लेखकों में मत वैभिन्न्य होना आवश्यक होता है। यह भी याद रखना आवश्यक है कि भारत में क्रान्ति लाने का श्रेय अंग्रेजों को ही है। इसलिये यदि उन्होंने कुछ ऐसी बात लिखी है तो कोई हानि नहीं हुई है। अपना-अपना दृष्टिकोण है और एक दूसरे को एक दूसरे के दृष्टिकोण की सराहना करनी चाहिये।

आज देश में बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। परन्तु हाल में ही मैं केन्द्रीय पुरातत्वीय पुस्तकालय देखने गया था। मैंने वहाँ पाया कि अंधेरी गुफायें हैं और दिन के २ बजे भी बैटरी जला कर ही अन्दर घुसा जा सकता है। इसके अतिरिक्त वहाँ का रीडिंग रूम भी बड़ा ही छोटा है और केवल एक मेज पड़ी है जिसके चारों ओर इतने लोग बैठ जाते हैं कि अध्ययन करना कठिन हो जाता है। मैं माननीय मन्त्री से यही जानना चाहता हूँ कि जब आप इतने विशालकाय भवन बना रहे हैं तो क्या यह सम्भव नहीं है कि इसके लिये भी एक भवन बना दिया जाये जिसमें बैठ कर विद्वान् अध्ययन कर सकें।

अब मैं सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि इन शिष्टमण्डलों में एक विशेष प्रदेश के लोगों को ही अधिकांशतः भेजा जाता है। इससे एक प्रदेश की जनता दूसरे प्रदेश की जनता से ईर्ष्यालु हो जाती है। अकादमियों में भी कुछ ऐसा ही देखने में आता है। साहित्य अकादमी से हम जैसे काम की आशा करते थे वह वैसा काम नहीं कर पा रही है। इसका मुझे खेद है मेरा सुझाव है कि पुरस्कार आदि वितरण के लिये कुछ नियम बनाये जाने चाहियें। कुछ स्तर बनाये जाने चाहियें जिनके आधार पर यह पुरस्कार दिये जायें।

ललित कला अकादमी को लीजिये। वहाँ पर भी पक्षपात से काम लिया जाता है वहाँ पर एक विशेष वर्ग के चित्र ही प्रदर्शित हैं। जामिनी राय के चित्रों के प्रदर्शन से ही कला गैलरी का उद्घाटन क्यों किया गया? मैं माननीय मन्त्री से यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या इन कला वस्तुओं को खरीदने के लिये वह कोई समिति नियुक्त करेंगे क्योंकि आशंका है कि इसको खरीदने में भी कहीं पक्षपात न हो जाये।

अन्त में मैं संगीत नाटक अकादमी के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि इसमें बड़ी गड़बड़ियाँ हैं और इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

डा० सामन्त सिंहार(भुवनेश्वर) : उपाध्यक्ष महोदय मन्त्रालय ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि इस मन्त्रालय ने बड़े सन्तोषजनक रूप में काम किया है और बहुत प्रगति की है। मैं मन्त्रालय की सराहना करता हूँ कि उन्होंने इतना सुन्दर काम किया है परन्तु साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि मन्त्रालय देश की जनता की विज्ञान सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहा है।

आप विज्ञान मन्दिरों को लीजिए। योजना आयोग ने यह प्रस्ताव किया था कि उसकी योजना में लगभग ६० से १०० विज्ञान मन्दिर स्थापित किये जायेंगे। परन्तु यह दूसरी योजना का अन्तिम वर्ष है और बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि केवल ३८ विज्ञान मन्दिर स्थापित किये गये हैं।

हमारे देश की ८० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और इन विज्ञान मन्दिरों को इस उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा था जिससे गांव की जनता को विज्ञान की शिक्षा दी जा सके। इन विज्ञान मन्दिरों को स्थापित करने में सरकार ने जो उपेक्षा दिखाई है उससे स्पष्ट हो जाता है कि वह देहाती जनता के प्रति कितनी उदासीन है। सरकार को प्रयत्न करना चाहिये जिससे गांव वालों में इस प्रकार की भावना पैदा न हो सके कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। मैं प्रसन्न हूँ कि केन्द्रीय नमक अनुसंधान केन्द्र में बड़ा अच्छा काम हो रहा है और उद्योग इसका लाभ उठा रहे हैं।

मद्रास की चमड़ा संस्था का भी बड़ा सुन्दर काम हो रहा है और हमें गर्व है कि विश्व में हम सबसे उत्तम चमड़ा बना रहे हैं। परन्तु बड़े ही खेद की बात है कि इसके बारे में कोई शोध कार्य नहीं किया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि इस ओर ध्यान दिया जायेगा।

अन्त में मैं दो शब्द ओड़ीसी नृत्य के बारे में कहना चाहता हूँ। १९५६ में माननीय मंत्री ने बताया था कि ओड़ीसी नृत्य के संबंध में नियुक्त समिति शीघ्र अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी। मैं नहीं जानता इन १४ महीनों में क्या हुआ है। समिति ने अब तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है। यदि उस समिति ने कोई काम नहीं किया हो तो दूसरी समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

१९५६ में माननीय मंत्री ने बताया था कि नाट्याचार्य कालीचरन पटनायक के पास वाली हस्तलिपियों का प्रकाशन कराया जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री ने अपना वादा किन कारणों से पूरा नहीं किया है।

†डा० मेलकोटे(रायचूर) : हमें यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि मंत्रालय १९६ टेक्नीकल स्कूल और ६७ इंजीनियरिंग कालेज खोलने में सफल रहा है। इन कालेजों की स्थापना करना आवश्यक था क्योंकि विशेषतः प्रथम योजना के दिनों में देश में अच्छे इंजीनियरों के अभाव से कई कार्य पूरे नहीं हो सके थे। तथापि अभी भी इन कालेजों द्वारा आवश्यक संख्या में इंजीनियरों को प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है अतः यह आवश्यक है कि ऐसे लोगों को जिन्हें बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त है नौकरी करते हुये ही सायंकाल को प्रशिक्षण दिया जाय। इससे टेक्नीकल व्यक्तियों की कमी दूर होने में सहायता मिलेगी।

पिछले वर्ष मैंने मंत्री महोदय को सुझाव दिया था कि इन कालेजों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विकर्षण किया जा सकता है और इस प्रकार एक कालेज में ५ या ६ पाठ्यक्रमों के स्थान पर कहीं अधिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा सकता है, तथापि इसके संबंध में भी इस पुस्तिका में कुछ नहीं दिया गया है।

यह ज्ञात हुआ है कि सरकार एक राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय की स्थापना करने का विचार कर रही है। मेरे विचार से भारत जैसे बड़े देश के लिये केवल एक ही संग्रहालय खोलना अपर्याप्त है। अतः इस प्रकार के संग्रहालय प्रत्येक राज्य में खोले जाने चाहियें।

मैंने कुछ विज्ञान मन्दिरों को देखा है। इनमें देखने योग्य कुछ भी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इन विज्ञान मन्दिरों के स्तर में सुधार किया जाय तथा इस प्रकार के अधिक विज्ञान मन्दिरों की स्थापना की जाय।

हैदराबाद में एक महिला पोलिटेक्नीक कालेज खोला जाने वाला है। पुस्तिका से यह ज्ञात नहीं होता कि वहां किन विषयों को पढ़ाया जायेगा तथापि इस प्रकार का कार्य प्रशंसनीय है, आशा है कि इससे हमारी महिलाओं तथा देश की आवश्यकता पूरी होगी।

†श्री ले० अचौ सिंह (आंतरिक मनीपुर) : इस प्रतिवेदन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वैज्ञानिक अनुसंधान का है। इस संबंध में वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। यह प्रसन्नता का विषय है कि इसको मिलने वाला उपदान बढ़ा दिया गया है। देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में जो काम किया जा रहा है उसे किसी न किसी रूप में विदेशों में मान्यता प्राप्त हुई है तथापि हमारे वैज्ञानिकों के वेतनक्रम तथा सेवा शर्तों के संबंध में सरकार ने अन्तिम रूप से निश्चय

[श्री ले० अचौ सिंह]

नहीं किया है, मेरे विचार से वैज्ञानिकों की रुचि इस ओर आकर्षित करने के लिये यह आवश्यक है कि उनकी सेवा शर्तों की ओर सुधार किया जाय।

एक ओर यह कहा जाता है कि हमारे देश में टैक्नीकल कर्मचारियों की कमी है दूसरी ओर स्थिति यह है कि विदेशी अर्हताप्राप्त तथा भारतीय अर्हताप्राप्त वैज्ञानिकों को उचित नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। इस ओर मंत्रालय को उचित ध्यान देना चाहिये।

प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि हमारे राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में जो रुपया व्यय किया जाता है उसके अनुरूप हमें परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि इन प्रयोगशालाओं का वातावरण अनुसंधान के उपयुक्त नहीं है। वहां काम करने वाले कनिष्ठ अधिकारियों को उनके काम का उचित श्रेय नहीं दिया जाता है फल यह होता है कि उन्हें आवश्यक प्रेरणा नहीं मिलती है। अतः सरकार को इस दिशा में अपेक्षित प्रयत्न करना चाहिये।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में जो आविष्कार किये जाते हैं उनका वाणिज्यिक रूप से प्रयोग करने में कभी-कभी बहुत समय लग जाता है। अतः मंत्रालय को चाहिये कि इस संबंध में एक निश्चित योजना बना ली जाय जिससे कि उन आविष्कारों का तत्काल लाभ उठाया जा सके।

मैं मंत्रालय से यह जानना चाहता हूं कि इन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने कुल कितने आविष्कार किये हैं और उनमें से कितने अनुसंधानों का वाणिज्यिक रूप से लाभदायक तरीके पर उपयोग किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को इस विषय में आगे बढ़ना चाहिये और इन अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिये।

विदेशों में स्वयं उद्योग इस संबंध में कार्य करते हैं और जो भी कामगर कोई नया उपकरण या प्रक्रिया का अनुसंधान करता है उसको पर्याप्त पारितोषिक दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि हमारे उद्योगपतियों को इस दिशा में कार्य करना चाहिये जिससे कि कर्मचारियों को इस दिशा में कार्य करने की प्रेरणा मिले।

अब मैं सांस्कृतिक पहलू को लेता हूं। उत्तर प्रदेश में रामायण मेला आयोजित करने के लिये एक समिति बनायी गयी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वे उक्त समिति को अपने कार्य में यथासंभव सहायता देंगे। मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे भी इस समिति के कार्य को सफल बनावें।

मनीपुर में केवल एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे मनीपुर में एक प्रौद्योगिकीय कालेज खोलने में सक्रिय सहायता दें। इस प्रकार मनीपुर में भी टैक्नीकल शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी।

इम्फाल केन्द्रीय कालेज में एक छात्रावास होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कालेज के प्रबंध में अनुचित सरकारी हस्तक्षेप किया जा रहा है यह उचित नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि कालेज का पुनर्गठन किया जाय जिससे कि वहां की व्यवस्था में सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त मनीपुर की विभिन्न आदिम जातियों का नरतत्वीय सर्वेक्षण करवाना भी आवश्यक है जिससे कि वहां रहने वाली विभिन्न जातियों में पारस्परिक एकीकरण हो सके। मनीपुर को विज्ञान मन्दिर खोलने तथा विज्ञान संबंधी पुस्तकों को प्रकाशित करने के मामले में बहुत उपेक्षित रखा गया है अतः मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें। सरकार से यह भी अनुरोध है कि वे मनीपुर पांडुलिपियों के प्रकाशन की ओर भी ध्यान दें।

†उपाध्यक्ष महोदय : श्री ही० ना० मुकर्जी ने मुझे यह लिख कर दिया है कि उनके उन कटौती प्रस्तावों के अतिरिक्त जो कि माननीय सदस्यों को परिचालित हो चुके हैं कटौती प्रस्ताव संख्या ७५८ भी प्रस्तुत हुआ मान लिया जाय । यह कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है :

“भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के प्रथम खंड के परिचालन को रोकने की बांछनीयता ।”

†श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मैं मांग संख्या ७६ के अधीन अपना कटौती प्रस्ताव संख्या ७५८ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् (कुम्बकोणम्) : मैं मंत्रालय को उनके प्रशंसनीय कार्य के लिये हार्दिक वधाई देता हूं । अभी हाल यूनेस्को के तत्वाधान में ‘मानवता के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास’ नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है । इस पुस्तक में आर्यसभ्यता का वर्णन केवल दस पंक्तियों में किया गया है । इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के संबंध में आमक बातें कही गयी हैं । मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय इस प्रकार की पुस्तक का प्रकाशन रोकने की पूरी कोशिश करेगा ।

अब मैं डा० तारा चन्द की पुस्तक के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । इसका पहिला खंड प्रकाशित हो गया है । निस्संदेह लेखक ने जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं । तथापि जब हमने एक लेखक चुन लिया है तो हमें उसे पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिये । निस्सन्देह हम इस कार्य के लिये दूसरा व्यक्ति चुन सकते थे । यह दुख की बात है कि उन्होंने आजादी और स्वतंत्रता में भेद करने की कोशिश की है और जिस दृष्टिकोण से उन्होंने हमारा स्वतंत्रता संग्राम देखा है उसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है । मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय इस पुस्तक की आलोचना की ओर उचित ध्यान देगा क्योंकि यह पुस्तक भारत सरकार के नाम से प्रकाशित हो रही है ।

मैं राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा किये गये प्रशंसनीय कार्य के लिये मंत्रालय को बधाई देता हूं । इस वर्ष ४२ नये आविष्कार किये गये इस प्रकार कुल ५७६ आविष्कार हो चुके हैं । मेरा सुझाव है कि भूतत्वीय सर्वेक्षण का विभाग भी इसी मंत्रालय के अधीन आना चाहिये ।

यह हर्ष का विषय है कि एक वैज्ञानिक पुंज बना लिया है । उसमें २०० से अधिक व्यक्ति हैं । तथापि मेरा सुझाव है कि निम्न पदालि में काम करने वाले व्यक्तियों का वेतनक्रम इत्यादि बढ़ाया जाय तथा इस मद के अधीन और अधिक रुपये दिये जायें ।

देश के विभिन्न भागों में इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना की गयी है, यह प्रसन्नता की बात है । इसके अतिरिक्त यह आवश्यक है कि हम छात्रवृत्तियों की संख्या में बहुत वृद्धि करें और विशेषतः योग्य विद्यार्थियों को यथासंभव प्रोत्साहन दें ।

सांस्कृतिक कार्यकलापों के संबंध में मेरा निवेदन है कि हमें दक्षिण भारत के कलाकारों को उत्तरी भारत में और उत्तरी भारत के कलाकारों को दक्षिण भारत में भेजना चाहिये । साथ ही कलाकारों के चुनाव में पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिये ।

पुरातत्व विभाग ऐतिहासिक महत्व के मन्दिरों की ओर बहुत कम ध्यान दे रहा है । दक्षिण में रामेश्वरम्, कांचीपुरम् व मदुरै में बहुत आश्चर्यजनक मन्दिर हैं जिनके संबंध में राज्य सरकारें महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं तथापि उनके संसाधन सीमित होने से वे सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

इस संबंध में मैं मंत्रालय का ध्यान कौलशनाथ मन्दिर की ओर दिलाना चाहता हूँ। वह बुद्ध-पूर्व काल का है अतः वहाँ के प्रस्तर स्तम्भ पुराने पड़ गये हैं, उनकी मरम्मत के लिये सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है मेरे विचार से यह कार्य विशेषज्ञों को दिया जाये जिससे कि वे आधुनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके उसकी मरम्मत इस प्रकार करें कि उसका पुराना रूप बना रहे।

अन्त में मैं इस ओर मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पुरातत्व महत्व की बहुत प्राचीन वस्तुयें देश के बाहर चली जा रही हैं हमें इसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष जी, सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के सम्बन्ध में बहुत ही संक्षिप्त भाषा में दो-तीन बातें उपस्थित करना चाहता हूँ। लेकिन अपनी बातों को उपस्थित करने से पहले “संस्कृति” शब्द के ऊपर मैं आपत्ति प्रकट करना चाहता हूँ। सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की ओर से जितने भी नृत्य और मनोरंजन के हलके-हलके कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनके लिए “संस्कृति” शब्द का प्रयोग करना भारतीय परम्परा के प्रतिकूल है। इस बात को मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि “संस्कृति” “संस्कार” और “संस्कृत” इन तीन शब्दों के पीछे भारत में अपना एक इतिहास है। जहाँ भी कोई इस प्रकार का सरकारी या अर्द्ध-सरकारी कार्यक्रम होता है और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम या कल्चुरल प्रोग्राम ऐसा लिखा रहता है उसके पीछे यह भावना ध्वनित होती है कि कुछ संगीत और नृत्य का कार्यक्रम जरूर होगा। मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूँ कि सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय को इन कार्यक्रमों के लिए “सांस्कृतिक” शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वह उनके लिए कलात्मक कार्यक्रम या मनोरंजक कार्यक्रम शब्दों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन “सांस्कृतिक” कह कर नृत्य और संगीत को प्रोत्साहन देना यह “संस्कृति” शब्द का एक बहुत बड़ा अपमान है।

दूसरी चीज जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ वह यह है कि आपने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि हमने अपने देश से दूसरे देशों को सांस्कृतिक मंडल भेजे हैं। हमारे देश के लिए यह परम्परा कोई नई नहीं है। पुरानी परम्परा इस बात की साक्षी है। छोड़िए उस प्राचीन काल को जब कि पुलस्त्य कभी आस्ट्रेलिया गए थे और कण्व अमरीका गए थे और वहाँ उन्होंने भारतीय संस्कृति का सन्देश दिया था। मैं तो आपको पराधीन भारत की बात कहना चाहता हूँ जब कि स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानन्द और डा० राधा कृष्णन जैसे भारतीयों ने भारत से बाहर विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति का सन्देश दिया है। उनके सन्देश को सुनकर भारत का गौरवपूर्ण स्वरूप विदेशों के सामने आता है। लेकिन अब सांस्कृतिक शिष्टमंडल के नाम पर जब संगीत और नृत्य की मंडलियाँ दूसरे देशों में भेजी जाती हैं और उनके लिए फिल्म अभिनेत्रियों का प्रयोग किया जाता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का उपहास है। यह हमारे लिए गौरव पूर्ण नहीं है कि जहाँ परतंत्र भारत में हमारा संदेश लेकर स्वामी विवेकानन्द जैसे महापुरुष विदेशों को गए वहाँ स्वतंत्र भारत में इस प्रकार हमारा सांस्कृतिक सन्देश विकृत रूप में विदेशों को भेजा जा रहा है।

हमने आपके प्रतिवेदन में यह भी पढ़ा है कि सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय ने विदेशों में सन्देश देने के लिए भी कुछ सहयोग दिया है रामकृष्ण मिशन के स्वामी चिन्मयानन्द जी को

विदेश यात्रा के लिए ४३५२ रुपया दिया गया है। लेकिन उसके नीचे ही हम देखते हैं कि दूसरी ही लाइन में यह लिखा है कि श्रीमती इन्दिरानी रहमान जब अपनी नृत्य मंडली को लेकर गयीं तो उनको ३५ हजार रुपया दिया गया। आप इन दोनों की तुलना तो करें। इस सिलसिले में मुझे एक उदाहरण याद आता है। एक पंडित जी किसी स्थान पर आध्यात्मिक उपदेश दे रहे थे और उनके सामने ही एक स्त्री का नृत्य हो रहा था। लेकिन जब दोनों को पैसा मिला तो पंडित जी ने देखा कि उनको तो ३० रुपए मिले पर उस स्त्री को ३०० रुपए मिले। इस पर पंडित जी ने रोकर कहा कि

फूटी आंख विवेक की कहां जाएं जगदीश
कलावती को तीन सौ और मनीराम को तीस।

इसी तरह से आप देखें कि स्वामी चिन्मयानन्द जी को तो ४३५२ रुपए दिए गए पर इन्दिरानी रहमान की मंडली को ३५ हजार रुपए दिए गए। इस प्रकार के और भी उदाहरण हैं।

(हंसी)

मैं चाहता हूँ कि इस चीज को उपहास में न लिया जाए लेकिन इस पर सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय गम्भीरता से विचार करे।

दूसरी बात भी जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की विवादास्पद चीजों के अन्दर अपना हाथ नहीं डालना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रश्न किया था और उप-सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री मनमोहन दास ने उसका उत्तर दिया था। मैंने प्रश्न किया था कि मथुरा का जो कृष्ण जन्म मंदिर है क्या केन्द्रीय सरकार उसको भी संरक्षित स्थान घोषित करने जा रही है। उत्तर में बताया गया कि कृष्ण जन्म मंदिर के सम्बन्ध में पुरातत्व सम्बन्धी कोई जानकारी हमको नहीं मिली है कि जिससे हम उसको उस रूप में स्वीकार कर सकें।

मुझे आश्चर्य है कि आप का विभाग इस प्रकार की उल्टी जानकारी आपको कैसे देता है। उन्होंने कहा है कि कृष्ण जन्म मंदिर के पक्ष में कोई पुरातत्वीय सबूत नहीं है लेकिन मैं वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय को बतलाना चाहता हूँ कि इसके एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं जो कि इसके पुरातत्वीय होने को सिद्ध करते हैं। पुराना इतिहास भी तो इस बात का साक्षी है और महमूद गजनवी के मुंशी अला उत्तवी ने तवारीख यमुनी में इसकी चर्चा की है। श्री कनिधम की पुरातत्व संबंधी रिपोर्टों में इसका विस्तार से वर्णन है। मथुरा के अंग्रेज काल के कलक्टर मिस्टर ग्राउस ने भी मथुरा पर एक पुस्तक लिखी है और उसमें इस कृष्ण जन्म मंदिर की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त बहुत से विदेशी यात्री जो कि समय-समय पर हमारे देश में आते रहे हैं उन्होंने भी इस मंदिर की चर्चा की है। विदेशी यात्री श्री वर्नियर और टैवरनियर ने भी अपनी यात्राओं के वर्णन में मथुरा के इस कृष्ण जन्म मंदिर की चर्चा की है। यह सब देखते हुए भी जो वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री डा० मनमोहन दास ने कहा है कि इसके बारे में अभी तक कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली है बड़ा आश्चर्यजनक है और मैं चाहता हूँ कि वे इसके सम्बन्ध में थोड़ी गम्भीरता से विचार करें। कम से कम केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार के स्थानों पर जो कि विवादास्पद स्थान हैं उन पर हाथ डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर केन्द्रीय सरकार इस प्रकार से किसी एक सम्प्रदाय विशेष को प्रोत्साहन देने के लिए उनके धर्मस्थान को तो संरक्षित स्थान घोषित कर देती है और दूसरे सम्प्रदाय के लोगों के साथ न्याय नहीं करती है और दूसरे मत वालों के विचारों को इस तरह से ठस पहुँचायेगी तो उसके

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

परिणामस्वरूप यदि कोई इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी जो कि नहीं होनी चाहिए तो उस स्थिति के लाने का दायित्व इस सरकार पर ही होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कृष्ण जन्म मंदिर के सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई भी पग उठाने से पहले सरकार थोड़ी गम्भीरता के साथ इस बारे में विचार कर ले।

एक बात जो कि मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ वह यह है कि आज के ही हिन्दुस्तान टाइम्स समाचारपत्र में इस आशय का समाचार छपा है और मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों ने जो कि समाचारपत्र देखते होंगे उन्होंने भी उसे पढ़ा होगा कि दिल्ली का जंतर-मंतर मरम्मत के अभाव में और सरकारी लालफीते शाही का शिकार होकर गिरता चला जा रहा है और जंतर-मंतर की दीवार खिसक रही है।

अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जब सांस्कृतिक उपमंत्री डा० म० मो० दास से हमने यह जानकारी ली थी कि क्या दिल्ली में कोई ऐसा भी स्थान है जो कि पुरातत्व की दृष्टि से राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया गया है और उसको आर्थिक सहायता दी जा रही है तो उन्होंने इसके उत्तर में बतलाया था कि दिल्ली की जामा मस्जिद को भी १ लाख ४५ हजार और कुछ सौ रुपये के ऊपर दिये गये हैं जबकि वह एक धार्मिक स्थान है और उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया गया है। लेकिन जंतर-मंतर जो कि एक राष्ट्रीय स्मारक हो सकता है और जिसका कि ऐतिहासिक महत्व भी है उसकी मरम्मत कराने का काम आज से दो वर्ष पहले मंजूर हुआ था लेकिन सरकारी लालफीतेशाही के कारण अभी तक उसकी मरम्मत नहीं हो पायी है और नतीजा यह हो रहा है कि उसकी दीवारें और दरवाजा ढीरे ढीरे गिर रहे हैं। सरकार को यह देखना चाहिए कि इस प्रकार की उपेक्षा और ढीलढाल न की जाय और इस तरह के पुरातत्व महत्व की इमारतों की समय पर आवश्यक मरम्मत करा ली जाये ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण चीजें मरम्मत के अभाव में खराब न हों।

अन्त में मैं एक बात और संक्षिप्त भाषा में कहकर समाप्त करूँगा और वह यह है कि जैसे कि अभी माननीय श्री पट्टाभिरमन् ने अपने भाषण में इस बात की ओर संकेत दिया था कि ऋग्वेद दुनिया के पास एक इस तरह का सांस्कृतिक ग्रंथ है जो कि किसी जाति विशेष अथवा सम्प्रदाय विशेष की सम्पत्ति नहीं है बल्कि वह मनुष्य मात्र की सम्पत्ति है। वह सम्पूर्ण विश्व के प्राणियों के लिए है। ऐसा कहना केवल हमारे देश के विद्वानों का ही नहीं है अपितु विदेशी विद्वानों का भी कहना है कि ऋग्वेद दुनिया की लाइब्रेरी में सबसे पुरानी पुस्तक है और जैसा कि श्री पट्टाभिरमन् ने भी कहा है मैं चाहता हूँ कि ऋग्वेद के समान वैदिक ग्रंथों पर अनुसंधान कार्य करने के लिए कोई एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की जाये। इस प्रकार के प्राचीन ग्रंथों पर जो इन के विशेषज्ञ हों उनसे अनुसंधान करायें और उन ग्रंथों से यदि कुछ इस प्रकार की चीजें प्राप्त हो सकें जो कि भावी भारत के निर्माण में सहायक हो सकें तो यह अत्यन्त उपयोगी होगा।

†श्री अब्दुल सलाम (तिरुचिरापल्ली) : आलोच्य वर्ष में मंत्रालय ने जो कार्य किया है उसके लिये वह बधाई की पात्र है। वैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्र में आधारभूत अनुसन्धान का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी देशों ने इस दिशा में बहुत तरक्की की है। अतः हमें देश में न केवल इस ओर चेतना ही पैदा करनी चाहिये अपितु भावी विकास के लिये सुदृढ़ आधार तैयार कर लेना चाहिये।

वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने देश में कई प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि मंत्रालय को सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योगों से सम्पर्क स्थापित रखना चाहिये। वस्तुतः उद्योगों को स्वयं इन अनुसन्धान कार्यों में सहयोग करना चाहिये।

सांस्कृतिक कार्यों का महत्व देश की एकता को बढ़ाने में किया जा सकता है। देश में इस समय विघटनात्मक तत्वों का विकास हो रहा है। तथापि देश की बुनियादी एकता का प्रचार एवं प्रसार कर इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है।

हमें विदेश सम्पर्क का कार्यक्रम को पूर्ववर्तिता देनी चाहिये। इसके लिये हम जो कुछ कर रहे हैं वह काफी नहीं है। हमें चाहिये कि हम अपना चरित्र अपनी नैतिकता और वाणिज्यिक तरीकों में सुधार करें जिससे कि विश्व की जनता में भारत के प्रति अच्छी भावनाएँ बन सकें।

विदेशों में अपने शिष्टमंडल भेजने के स्थान में हमें चाहिये कि हम अफ्रीका विद्यार्थियों के प्रति अधिक ध्यान दें ताकि वे अपने देश में भारत के सम्बन्ध में अच्छी स्मृति ल जायें। हमारा यह भी किर्तव्य है कि हम तिब्बती संस्कृति के परिरक्षण का प्रयत्न करें। अपने देश से विस्थापित हो कर भारत में हो तिब्बती संस्कृति का परिरक्षण किया जा सकता है।

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। मुझे प्रसन्नता है कि जो कुछ भी आलोचना हुई वह मैत्रीपूर्ण और रचनात्मक थी। मुझे अपने पुराने माननीय मित्र श्री० ही० ना० मुकर्जी की निन्दा से थोड़ा दुःख अवश्य हुआ है। तथापि इसी गुण के कारण मैं सदैव से उनकी प्रशंसा भी करता रहा हूँ। वह चाहे यहां हो या विदेश में वे सदैव किसी न किसी बात पर असन्तुष्ट रहे हैं। वस्तुतः वे ऐसे मामलों में भी जहां कि भावावेश की आवश्यकता नहीं होती है वे पर्याप्त भावावेश पैदा कर देते हैं तथापि उस विषय पर अधिक प्रकाश डालने में असमर्थ रहते हैं।

मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि पुरातत्व विभाग में और अधिक अच्छे काम की आवश्यकता है। उन्होंने यह बात मंत्रालय की कई बातों के प्रति कही है तथापि हम सदैव अपना भरसक प्रयत्न करते हैं फिर भी यह स्वाभाविक है कि और अधिक सुधार की गुंजायश रहती है। तथापि यदि वे इस सम्बन्ध में कुछ ठोस सुझाव देते तो वे हमारे लिये अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकते थे।

उन्होंने नागार्जुनकोंडा का जिक्र किया। वे प्रतिवर्ष यह राग अलापते हैं। इस समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण उनसे भिन्न है। हमने नागार्जुनकोंडा को बचाने का भरसक प्रयत्न किया तथापि जब अन्तिम रूप से यह निश्चय हो गया कि कृष्णा नदी पर बांध बनाया जायेगा तो हम ने जो कुछ बन सकता था उसे बचाने का निश्चय किया। तब बार-बार यह कहना कि उसे नहीं बचाया गया एक प्रकार की भावुकता है। हमें इस बात पर विचार करने के स्थान में जों भी वस्तुएं बचाई जा सकती हैं उन्हें बचाना चाहिये। यदि उन्होंने यह बताया होता कि हम कहां पर कार्य कर के अधिक वस्तुएं बचा सकते हैं तो मैं अधिक प्रसन्न होता। इस ३ या ४ हजार एकड़ भूमि का पूरा सर्वेक्षण किया जा चुका है और खुदाई का कार्य पिछले

[श्री हुमायून् कबिर]

दिसम्बर को समाप्त हो चुका है । यदि वे हमें कुछ विशेष स्थान या वस्तुओं का निर्देश करते जिन्हें हमें बचाना चाहिये तो शायद हमें अधिक लाभ होता । अतः केवल उस बात के लिये जिसका होना निश्चित है दुख प्रकट करने से कोई लाभ नहीं है । जीवित व्यक्तियों और मृतकों के बीच संघर्ष में हम जीवित व्यक्तियों के दावों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं । आंध्र प्रदेश और मद्रास के लोगों ने यह निश्चय कर लिया है कि लगभग दस लाख एकड़ जमीन को उपयोगी बनाने के लिये इस भूमि पर बांध बनाना आवश्यक है । अतः व्यर्थ में दुख प्रकट करने से यह अच्छा है कि हम वस्तुओं के उद्धार का प्रयत्न करें ।

उन्होंने अरिक्कनमेडू और कावेरी प्रदेश में खुदाई करने की और ध्यान दिलाया है । पुरातत्व के केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य होने के नाते वे यह जानते हैं कि इस समय पुरातत्व विभाग तीन स्थानों में बड़े पैमाने की खुदाई कर रहा है । राजस्थान क्षेत्र में रंगीन भूरे मिट्टी के बर्तनों के लिये, दक्षिण भारत में पूर्व के नव पाषाण काल की संस्कृति के लिये खुदाई की जायेगी । खुदाई का वास्तविक स्थान क्या होगा । यह बात पुरातत्वीय कारणों के आधार पर निश्चित की जायेगी । तीसरी खुदाई गंगा की घाटी में कहीं पूर्व में की जायेगी । मैं इसका भी निश्चित स्थान नहीं बता सकता हूँ ।

उन्होंने डकन कालेज और आशुतोष संग्रहालय को मिलने वाले अनुदान का भी जिक्र किया । कदाचित् उन्हें इस सम्बन्ध में सही जानकारी नहीं दी गयी है । १९६०-६१ में आशुतोष संग्रहालय को ३०,००० पये स्वीकृत किये गये उसमें से १४८९० रुपये की राशि उन्हें दी जा चुकी है । उनसे यह कहा गया है कि जैसे कि उस राशि के उपयोग का प्रमाणपत्र उन्हें मिल जायेगा अवशेष राशि भी उन्हें भेज दी जायेगी । यह ४,००० रुपये की राशि उन्हें एक खुदाई के लिये दी गई है जिस पर कुल व्यय ७,९०० रुपये होगा ।

श्री नरसिंहन् ने पुरातत्व विभाग के गठन के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं । इससे उनको पुराना प्रेम रहा है । उन्होंने देश के प्रमुख पुरातत्ववेत्ताओं से यह कहा है कि वे उनके मत का समर्थन करें । उन्होंने विदेशी पुरातत्व वेत्ताओं से भी यही निवेदन किया है । तथापि मुझे उनको यह बतलाते हुए दुख होता है कि वर्तमान संगठन जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों का उचित तरीके से समन्वय हो जाता है देश में पुरातत्व के विकास के लिये सर्वोत्तम है । इस विभाग का विभाजन करना देश में पुरातत्व के विकास के लिये घातक सिद्ध होगा । मैं नहीं जानता कि विश्व के एक प्रमुख पुरातत्व वेत्ता की इस राय के बावजूद भी वे इस विभाग को, जिसने अपने कार्य से देश को प्रतिष्ठा और सम्मान दिया है क्यों विभाजित करना चाहते हैं ।

दक्षिण भारत के चित्रों के परिरक्षण और द्रविड इतिहास की दृष्टि से महत्व के स्थानों की खुदाई कराने के उनके सुझाव मैं ने लिख लिखे हैं । हम कुछ न कुछ अवश्य करेंगे । दक्षिण भारत के कुछ चित्र तो ठीक ठाक कराये जा चुके हैं । उन्होंने स्वयं इस चीज को माना है कि रासायनिक ढंग से सफाई करने की क्रिया से तंजौर के कुछ चित्र बिल्कुल स्पष्ट हो गये हैं जो कि आज तक साफ देखे भी नहीं जा सकते थे । आगे भी विभाग यह काम करता रहेगा ।

द्रविड सभ्यता के स्थानों की खुदाई की बात मैं पहले ही कह चुका हूँ । उन्होंने अस्वान बांध की बात भी कही । वास्तव में प्रागु ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई का काम १९६१ की शर्द्ध ऋतु से आरम्भ किया जायेगा । जब काम ही अभी शुरू किया जाना है तब इस पर हैरानी जाहिर करना ही हैरानी की बात है ।

हो सकता है माननीय मित्र उत्तर को ठीक तरह से न समझे हों। आरम्भिक सर्वेक्षण हो चुका है। इस अभियान के जो नेता होंगे अर्थात् पुरातत्व विभाग के महा निदेशक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्कूल के निदेशक वे इस समय य० ए० आर० के मिस्री क्षेत्र में थे और हम सब अनेक स्थानों पर गये थे। इस अन्तर्राष्ट्रीय कार्य में कई देश सहयोग दे रहे हैं इस कारण अन्तिम रकम का आवंटन गर्मी में किया जायेगा। इस से न केवल हमारे पुरातत्व-वेत्ताओं को अधिक अनुभव ही प्राप्त होगा वरन् साथ में वे लोग कुछ अमूल्य चिजें भी ले आयेंगे जिससे प्राचीन मिस्र और भारत के सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ेगा।

श्री भट्टाचार्य ने रंगमती की खुदाई की बात कही। समय-समय पर इन क्षेत्रों में खुदाई की ही जाती रही है और सारी बात संसाधनों पर ही निर्भर करती है। इस समय हम उन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं को स्पष्ट करने का काम पहले कर रहे हैं जो अब तक पूर्णतया स्पष्ट नहीं हैं। उस सम्बन्ध में तीन मुख्य समस्याएँ हैं, एक तो दक्षिण भारत की नवपाषाण युग की सम्यता की समस्या है और दूसरी है पूर्वी भारत की सम्यता के बारे में। तीसरी समस्या पश्चिमी भारत की उस संस्कृति के हालात जानने की है जब कि लोग भूरे रंग के चित्रित मृत्तिका के बर्तन बनाते थे। इन के बाद दूसरा काम होगा।

एक तरह से पुरातत्व वेत्ता पुरातन अवशेषों के शत्रु होते हैं। क्योंकि जहां खुदाई हो जाती है फिर उस जगह की रक्षा नहीं की जा सकती। जब तक खुदाई नहीं होती तब तक तो मौसम का असर दबी चीजों पर नहीं पड़ता किन्तु खुदाई के बाद फिर जल्दी सारा काम समाप्त करना होता है। इसलिए यह काम ज्यादा नहीं फैलाते क्योंकि जितना काम भी शुरू करते हैं उसी को पहले ठीक ढंग से करना होता है।

श्री राधेलाल व्यास ने उज्जैन की खुदाई के बारे में कहा। वहां पर आवश्यक काम हो चुका है। उपर्युक्त काम पूरा करने के बाद हम पुनः उज्जैन का काम हाथ में लेंगे। यह प्रश्न पुनः पुरातत्वीय सिद्धांतों के आधार पर तय होगा। स्थानीय प्रेम अथवा अन्य किसी कारण से ही कोई निर्णय नहीं हो सकता।

श्री महंती ने पुरातत्वीय पुस्तकालय के खोलने के स्थान के बारे में कहा। उन्हें शायद याद होगा कि एक बार यह निर्णय हुआ था कि पुस्तकालय को दिल्ली से नागपुर ले जाया जा रहा है। किन्तु मेरे अपने ही आग्रह पर इस पुस्तकालय को दिल्ली ही में रख लिया गया। किन्तु मेरा विचार है कि नये संग्रहालय के भवन के बनने पर पुस्तकालय को भी उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो जायेगा।

श्री पट्टाभिरामन् ने कहा कि दक्षिण भारत के मंदिरों का पर्याप्त सर्वेक्षण नहीं हुआ। हमारा सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य-क्रम बड़ा व्यापक है। पहले जो हम उत्तर के मंदिरों की वास्तुकला का अध्ययन करेंगे और इसी के साथ दक्षिण के मंदिरों का भी अध्ययन होगा। यह काम चल रहा है और इस की समाप्ति पर हम सचित्र पुस्तकें निकालेंगे ताकि लोग मंदिरों की वास्तुकला से परिचय प्राप्त करें।

उन्होंने पुरातत्वीय चीजों के निर्यात की बात भी कही पर उन्हें शायद यह मालूम नहीं कि हमारे कानून के अनुसार कोई ऐसी चीज सम्बद्ध मंत्री की अनुमतिके बिना बाहर नहीं भेजी जा सकती। हम इस बारे में सतर्क रहते हैं। जहां कहीं एक ही चीज के कई नमूने मिले हों वहां पर हम एकाध चीज भेज भी देते हैं। हम यह नहीं चाहते कि बाहर हम घटिया किस्म के नमूने भेजें और हमारी यह भी नीति कि अद्वितीय चीजें बाहर न भेजी जायें। ऐसी चीज ही को बाहर भेजा जाता है जो न तो अद्वितीय ही हो और न ही अकेली। अच्छी चीजों बाहर भेजकर हमारी संस्कृति का नाम ऊंचा होता है।

[श्री हुमायून् कबिर]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने मथुरा की मस्जिद और कृष्ण जन्म भूमि न्यास का जिक्र किया। हमें खुशी है कि इस झगड़े को पारस्परिक समझौते से तय कर लिया गया है। इस मस्जिद को आज से चालीस साल पहले सुरक्षित किया गया था। एक समय तो दंगे की भी संभावना भी हो गयी थी। तब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द ने हमें लिखा था कि हम साफ साफ यह बतायें कि मस्जिद का इतना क्षेत्र सुरक्षित है ताकि झगड़ा पैदा न हो। इस के बाद हमारे मंत्रालय के कुछ अफसरों की कोशिशों से मामला निपट गया। मैं खुद भी वहां जा आया हूं। इस कारण इस सवाल को दुबारा उठाने की कोशिश न की जाय। यदि हम इन बातों में फंस गये कि किस चीज को ढाकर क्या बनाया गया तो विवाद का कदापि अंत न होगा। आप लोगों को याद ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले यह बात कही गयी थी कि चीन वालों ने कैलाश तथा बद्रीनाथ पर भी अपना अधिकार जतलाया है और वह इस आधार पर कि वहां बौद्धों के स्तूप थे। इस कारण प्राचीन इतिहास के प्रश्नों का कभी निर्णय नहीं हो सकता। न जाने कितने शिव मंदिर विष्णु मंदिरों में बदले गये होंगे और कितने बौद्ध विहारों को शिव मंदिरों में परिणत किया गया होगा। मस्जिदों को गिरजाघरों में बदला गया है। यह चीज भारत ही में नहीं सारी दुनिया में हुई है। एक ही धर्म के मानने वालों ने भी ऐसा किया है। हाल ही में मिस्र में जाकर मैं ने देखा कि ईसा से १५०० वर्ष पूर्व एक फिरअन ने अपने पिता द्वारा बनवाये गये मंदिर में पहले देवता को हटाकर दूसरे की स्थापना की और अपना नाम उसपर अंकित कराया। उस ने उसी से अपने यश का प्रसार किया। इस कारण हम बीते युग की बात नहीं छेड़ सकते। पुरातत्व वेत्ताओं का तो यह सिद्धान्त है कि खुदाई के समय जो चीज जिस रूप में मिले वह उसे उस हैसियत से लेते हैं। इस कारण ऐसे विवादस्पद प्रश्न को फिर उठाने की बात शुरू ही न की जाय। इस प्रश्न को पुरातत्वीय सिद्धान्तों के अनुसार ही निपटाना ठीक है क्योंकि हम ऐसे देश की पुरानी चीजों की सुरक्षा कर रहे हैं जहां हर संस्कृति ने इस की शान बढ़ाने के लिये सौंदर्य का सृजन करने में अपना योग दिया है।

जंतर मंतर की बात भी कही गयी। अखबारी रिपोर्ट में लिखा है कि जब मंत्रालय के कर्मचारी मरम्मत का काम करने के लिये गये उन्हें निकाल दिया गया। इस सम्बन्ध में हम राजस्थान सरकार से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। मैं वचन देता हूं कि मैं खुद राजस्थान के मुख्य मंत्री के साथ यह चीज तय करूंगा। मेरा ख्याल था कि यह मामला निपट गया होगा। हम इस सुन्दर भवन को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचने देंगे।

श्री ही० ना० मुर्जी ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि इस वर्ष बंगाली, तामिल आदि भाषाओं में पुरस्कार नहीं दिये गये। श्री अरविन्दु घोषाल ने भी यही कहा। शायद सदस्यों को पुरस्कारों की क्रिया से परिचय नहीं है। हर भाषा के लिए एक सलाहकार समिति है। साहित्य अकादमी की रिपोर्ट में उन सब के नाम दिये गये हैं। बंगाली भाषा के जितने भी सलाहकार हैं उन के नाम पढ़ने से ज्ञात हो जायगा कि वे सब बंगला साहित्य में ऊंचा स्थान रखते हैं। वही लोग नामों का सुझाव देते हैं। तब सभी के सुझावों की एक सूची बना ली जाती है। तब उस सूची को सलाहकार समिति के पास भेजा जाता है ताकि वे एक या दो साहित्यकों को चुनें। उनकी प्रथम प्राथमिकताओं के आधार पर पहले पांच किताबों का चुनाव हो जाता है। तब इन पांचों किताबों को परीक्षकों के पास भेजा जाता है जिन का नाम गुप्त रखा जाता है। परीक्षकों को उन्हीं किताबों में से चुनाव करना होता है। जब वे इन में से एक किताब चुन लेते हैं तो उसी पर पुरस्कार दिया जाता है।

इस बार बंगाली की तीन पुस्तकें परीक्षकों के पास भेजी गयीं किन्तु उन्होंने तीनों को बराबर ठहराया और सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का वे चुनाव ही न कर सके। अतः पुरस्कार नहीं दिया जा सका।

साहित्य अकादमी ने ऐसा कभी किया नहीं कि तीनों में पुरस्कार विभाजित कर देती। खैर यह सुझाव हम अकादमी को देंगे।

नोबल पुरस्कार भी कुछ वर्षों में नहीं दिया जाता। लंदन के हाथरनडन पुरस्कार का वितरण भी दस वर्ष से नहीं किया गया। बंगाली भाषा की तीनों किताबें समान रूप से अच्छी थीं और पुरस्कार का बंटवारा हो सकता था। आखिरी बैठक में मैं तो उपस्थित नहीं था पर मैं यह बात उन से कहूंगा अवश्य। सुझाव के अतिरिक्त हम उन के मामले में और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अकादमी स्वायत्त निकाय है।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने ललित कला अकादमी के बारे में कहा कि वह अत्यधिक नवीन ढंग की है। पर हम क्या कर सकते हैं। वह स्वायत्त है। श्री महंती ने कहा कि ललित कला अकादमी केवल जगमिनी राय ही का बोलबाला किये रहती है पर उन्हें गलत फहमी है। आधुनिक इम्प्रेशनिस्ट ही वहां के वातावरण को विचित्रता प्रदान करते हैं। अन्तः राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उन का उदाहरण सभी ने देखा होगा। उस प्रदर्शनी में सब से अधिक महत्वपूर्ण चित्र वही माना गया था जिस के पर्दे पर कलम से १७७ टोके लगी थीं।

अतः मैं बताना चाहता हूं कि कला क्षेत्र में भी फैशन चलते हैं। इस समय के युवक कलाकार आधुनिक कला के प्रवाह में बहे जा रहे हैं। परन्तु सभी क्षणिक फैशनों की भांति यह फैशन भी समाप्त हो जायेगा। इसलिये इस पर ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं।

डा० सामंत सिंहार ने पूछा कि उड़ीसी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य क्यों नहीं माना गया? किन्तु हम ने उस नृत्य को मान्यता प्रदान की है और उस के कलाकारों को भी पुरस्कार दिया जाता है। श्री अकाशवीर शास्त्री ने इस मामले में भी अपनी बात कही और कहा कि सिवाय दार्शनिक चीजों के अन्य चीजों को "संस्कृति" शब्द के नाम से न पुकारा जाय "संस्कृति" शब्द पर किसी का एकाधिकार नहीं है वे उसे जैसा चाहें इस्तेमाल करे परन्तु दूसरों को कैसे रोका जाय।

उन्होंने इस बात से भी शेष प्रकट किया कि नृत्य मंडलियां बाहर न भेजी जायें। यह ठीक है कि भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व नृत्य मंडलों से ही नहीं होता। इसी कारण हम दर्शन शास्त्रियों, साहित्यकारों और गायकों को भी भेजते हैं परन्तु इस बात से तो इन्कार नहीं हो सकता कि विदेशियों को नृत्य ही ज्यादा आकर्षक प्रतीत होता है। हमें उन की रुचियों का भी तो ध्यान रखना होता है। हम धर्म परिवर्तनार्थ तो नहीं जाते; उन्हें उपदेश देना हमारा काम नहीं; पर अपरोक्ष रीति से ही काम होना चाहिये।

माननीयमित्र ने यह भी कहा कि लगभग ५००० रुपये स्वामी रंगनाथानंद को दिये गये और ३५,००० रुपये इंद्रानी रहमान को। पहले मामले में तो टिकट ही खरीदा गया था। दूसरे मामले में हम ने पूरी मंडली का केवल आधा खर्चा दिया है। अमरीका और दक्षिण अमरीका में जापान से ज्यादा खर्च होता है। अब भी यदि माननीय सदस्य सरल सी बात न समझें तो इसका कोई इलाज नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने स्वतंत्रता के इतिहास के बारे में कहते ए डा० ताराचंद की कतिपय "गलत बयानियों" पर कड़ी आलोचना की। इस विवाद को वह बाहर ही निपटायें। मैं इस प्रश्न के सुझावगुणों के बारे में कुछ न कहूंगा। पर इस सम्बन्ध में मैं एक दो चीजें जरूर कहूंगा।

हमारा देश वह नहीं जहां हम किसी को मजबूर कर के कुछ लिखवा सकें। राजनैतिक दलों की इच्छा के अनुसार यहां पर इतिहास का निर्माण नहीं होता। व्यक्तिगत रूप से मैं भी कई बातों से सहमत

[श्री हुमायून् कबिर]

नहीं हूँ और प्राक्कथन में मैंने लिखा है कि इस में जो रायें व्यक्त की गयी हैं वे डा० ताराचंद ही की अपनी हैं। यह सरकारी प्रकाशन नहीं है। बस इसे सरकार ने केवल छापा भर है।

इस किताब में केवल पृष्ठभूमि दी गयी है जिन बातों का उल्लेख माननीय सदस्य ने कल किया था उनके बारे में डा० ताराचंद ने लिखना शुरू किया है। वह दूसरे खंड में होंगी। अब माननीय सदस्य जो चाहें अपनी राय रखें पर यदि वे खुद इतिहास लिखें तो शायद वह किसी को भी पसंद न आये। वस्तुतः इतिहासकार सहमत नहीं होते। यह काम काफी समय से शुरू किया गया था। अब तक भी यह जारी है।

डा० ताराचंद भारत के विख्यात इतिहासज्ञ हैं। मुझे आशा है कि जो कुछ सभा में कहा गया है उसका वह भी ध्यान रखेंगे। इस पुस्तक का जब जिक्र हो रहा था तब उन्होंने कहा था कि वह हर बात के लिये बातचीत करने को तैयार हैं। अगले खंड में वह शायद सभी बातों का समाधान प्रस्तुत करें। परन्तु मेरा मतलब यह नहीं है कि जो कुछ उन्होंने लिखा है सरकार उसका औचित्य सिद्ध करेगी।

श्री पट्टाभिरामन् ने मानवता के सांस्कृतिक इतिहास की बात कही। इस क्षेत्र में भी सर लियनाइ बोले, जिन की तारीफ श्री नरसिहन् किया करते हैं, श्री पट्टाभिरामन् को नापसंद है। इन चीजों में आप कर ही क्या सकते हैं। बड़े इतिहासकार एक दूसरे से सहमत होते नहीं अतः सरकार उन की रायों में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब कि वह अपने नाम से इतिहास लिखते हैं। यह किताब सर बोले के नाम से छपी है और दूसरी डा० ताराचंद के।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा है कि संग्रहालयों में प्रवेश के लिये फीस नहीं होनी चाहिये। प्रवेश शुल्क रखना दो कारणों से जरूरी है। नाममात्र का प्रवेश-शुल्क होने पर भी लोग संग्रहालयों को थोड़ा अधिक ध्यान से देखते हैं। निःशुल्क मिलने वाली वस्तुओं की उपेक्षा होती है। दूसरा कारण यह है कि आखिर संग्रहालयों का रख-रखाव भी तो करना पड़ता है। उस पर खर्च तो होता ही है। उस व्यय का थोड़ा सा भाग तो दर्शकों को उठाना ही चाहिये। शुल्क नाम मात्र का ही होता है। विद्यार्थियों को उसमें भी रियायत दी जाती है। सप्ताह में एक या दो दिन प्रवेश निःशुल्क रहता है, और केवल एक दिन प्रवेश-शुल्क कुछ बढ़ा दिया जाता है। इस दृष्टि से कि भीड़ थोड़ी कम रहे और संग्रहालय की सफाई की जा सके तथा गवेषणा कार्य करने वाले विद्यार्थियों को बाधा न पड़े।

माननीय सदस्य ने कहा है कि भारतीय संग्रहालय के लिये केवल एक लाख रुपया दिया गया है जब कि विक्टोरिया मेमोरियल के लिये तीन लाख रुपये। उन्होंने शायद प्रतिवेदन नहीं देखा। उसमें बताया गया है कि भारतीय संग्रहालय को १९६०-६१ के दौरान रख-रखाव के लिये १,६८,३१६ और विकास के लिये १,६९,९२८ रुपये दिये गये। इस प्रकार कुल राशि साढ़े तीन लाख रुपये बैठती है। विक्टोरिया मेमोरियल को विशेष मरम्मत-कार्य के लिये १,५९,००० रुपयों का अनुदान दिया गया था। आखिर उसकी मरम्मत तो करनी ही पड़ती है।

श्री ही० ना० मुकर्जी की यह शिकायत भी गलत है कि हम एशियाटिक सोसाइटी की ओर समुचित ध्यान नहीं देते। अच्छा होता कि माननीय सदस्य सोसाइटी के पदाधिकारियों से पूछ लेते। सरकार ने उसकी सामान्य से कुछ अधिक ही सहायता की है, इसलिये कि वह अपने

किस्म की शायद सबसे पुरानी संस्था है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कार्यवाहियों का सूत्रपात उसी ने किया है। हमने उसे इमारत के लिये ६ लाख रुपये दिये हैं। १९५६ तक हमने उसे प्रतिवर्ष ४५,००० रुपये और सूचियां तैयार करने के लिये ५,००० रुपये दिये हैं। १९५३ से पहले उसको केवल ५,००० रुपये का अनुदान मिलता था। १९५३ में उसे बढ़ा कर २०,००० रुपये कर दिया गया था, और १९५६ में ४५,००० रुपये कर दिया गया है। क्या इसी को उपेक्षा कहा जायेगा ?

श्री हेम बरुआ की भी यह शिकायत गलत है कि सांस्कृतिक दल केवल तीन राज्यों में भेजे गये थे। इस वर्ष बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब—इन चार राज्यों को छोड़ कर, शेष सभी राज्यों में या तो दल भेजे गये हैं या वहां से आये हैं। अधिकांश ने अपने दल भेजे हैं और दूसरों के दल बुलाये भी हैं। हमारा प्रयास है कि अन्तर्राज्यिक आदान-प्रदान और भी बड़े पैमाने पर हो। मेरे माननीय सहयोगी ने कल बताया ही था कि देश के विभिन्न भागों में किस प्रकार कई साहित्य सम्मेलन किये गये हैं। उनमें साहित्यिक लोग अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करते हैं।

कालिदास के प्रति निष्ठा के लिये श्री राधेलाल व्यास बधाई के पात्र हैं। हम सभी उनकी भावना के साथ हैं। उज्जैन के किसी संगठन ने उसके लिये डेढ़ लाख रुपये संग्रह किये हैं। यदि वे सीधे हमारे पास आयें, तो हम कालिदास रंगमंच के निर्माण के लिये काफी अच्छी राशि देंगे। टैगोर जयंती १९६२ में पड़ रही है, उनके जन्म को सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिये १९६१ का विशेष महत्व है। कालिदास के सम्बन्ध में तो किसी एक वर्ष का ऐसा महत्व नहीं है। फिर भी यदि वह संगठन राज्य-सरकार को प्रार्थना-पत्र दे और राज्य-सरकार सिफारिश करे, तो हम इसी वर्ष उसे कुछ न कुछ अनुदान दे देंगे।

दुर्लभ पाण्डुलिपियों के प्रकाशन में हम सहायता दे रहे हैं। ऐसी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। श्री अचौ सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में एक सांस्कृतिक मेला हो रहा है, जिसमें रामायण-साहित्य के सम्बन्ध में भाषण होंगे। यदि हमारे पास कोई स्पष्ट प्रस्ताव आयेगा, तो हम उस पर, सहानुभूति के साथ विचार करेंगे। मनीपुर में एक संगीत और नाटक कालेज के लिये हम मंजूरी दे ही चुके हैं। वहां खुले मैदान में दो नाटक-मंच बनाने की मंजूरी भी दे दी गई है। मनीपुरी भाषा के विकास के लिये यदि प्रस्ताव आयें, तो हम अनुदान दे देंगे। मनीपुर के एक नाटककार को पेन्शन भी दी गई है। १०० रुपये महीने की। इस तरह की पेन्शन अधिक से अधिक १५० रुपये की दी जा सकती है। पेन्शन की राशि अवस्था और परिवार के सदस्यों की संख्या देख कर निश्चित की जाती है।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् ने सांस्कृतिक आदान-प्रदानों का उल्लेख किया था। मैं उसके सम्बन्ध में बता ही चुका हूं। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने 'संस्कृति' शब्द के बारे में जो विवाद उठाया है, उसका भी उल्लेख किया जा चुका है। सांस्कृतिक भावात्मक और बौद्धिक एकीकरण के बारे में श्री अब्दुल सलाम ने जो कहा था, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। सभी चाहते हैं कि देश में इस प्रकार का और अधिक एकीकरण हो।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने करीब-करीब हर बात के बारे में गलत बयानी की है। बिल्कुल गलत है कि मैं पेरिस में किसी इमारत की आधार-शिला रखने गया था। मैं फ्रांस की सरकार का अतिथि बन कर उसके बुलावे पर गया था। आधार शिला रखने की बात तो मेरे जाने के कारण पैदा हो गई थी। मैं सिर्फ उसी के लिये नहीं गया था।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : मैंने पूछा यह था कि क्या पेरिस में इंडिया हाउस की इमारत पर ३५ लाख रुपये खर्च करना अप्रव्यय नहीं है ?

†श्री हु मायून् कबिर : संसार के अन्य देशों में भी इंडिया हाउस बन रहे हैं। माननीय सदस्य को शायद पता नहीं कि उनके निर्माण का खर्च केवल भारत सरकार ही नहीं भरती। पेरिस विश्व विद्यालय ने संसार के विभिन्न देशों को अपनी-अपनी इमारतें बनाने की दावत दी है। वहां रूस, इंग्लैंड, अमरीका, इत्यादि देशों के भी हाउस बन हैं। फिर इंडिया हाउस भी क्यों न बने ?

वैजयंतीमाला की सांस्कृतिक यात्रा के बारे में भी उनकी जानकारी सही नहीं है। वह आज से दो साल पहले की बात है। सभा में उस पर चर्चा हो चुकी है।

ग्रंथ-सूची के बारे में श्री मुकर्जी की इतनी बात सही है कि उसमें फॉक्स स्ट्रैणवे की महत्वपूर्ण पुस्तिका शामिल नहीं थी। पर उनकी यह बात बिल्कुल गलत है कि श्री साम्बमूर्ति की पुस्तकों का उल्लेख नहीं है। उनकी कई पुस्तकें उसमें शामिल हैं।

श्री हेम बरूआ ने कहा है कि पूर्वी जर्मनी के साथ हमारे सांस्कृतिक सम्बन्ध नहीं हैं। ठीक है। हमने पूर्वी जर्मनी को मान्यता नहीं दी है, इसलिये उसके साथ हमारे राजनीतिक सम्बन्ध भी नहीं हैं।

श्री च० का० भट्टाचार्य ने कहा है कि सुदूरपूर्व के देशों को भारतीय अंशदान के सम्बन्ध में अधिक अध्ययन होना चाहिये। मैं बिल्कुल सहमत हूं इससे। पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ हमारा ऐसा आदान-प्रदान काफी बढ़ा है और बढ़ता रहेगा।

सांस्कृतिक शिष्टमंडलों की बात मैं कह चुका हूं। श्री महन्ती ने उनके लिये चुने जाने वाले व्यक्तियों के चुनाव के सम्बन्ध में शिकायत की है। उनके चुनाव के लिये एक समिति बनी हुई है। उसमें हमारे मंत्रालय का भी एक प्रतिनिधि है। इसलिये हमें उसके लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

श्री अब्दुल सलाम ने कहा कि अफ्रीकी देशों और हिमाचल प्रदेश के पड़ासियों के साथ अधिक सम्बन्ध बढ़ाये जाने चाहियें। गंगाटोक और लदाख में तिब्बत सम्बन्धी अध्ययन के लिये स्कूल बनाये गये हैं।

श्री मुकर्जी ने कहा है कि विज्ञान मंदिरों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अधिक नजदीकी सम्पर्क होना चाहिये।

मैं यह सुझाव स्वीकार करता हूं। हम इसका भरसक प्रयास करेंगे।

यह भी सही है कि जनता के दैनिक जीवन के साथ उनका अधिक नजदीकी सम्बन्ध होना चाहिये। यह भी हो रहा है। कुछ प्रयोगशालायें घरेलू उपयोग के लिये ऐसा ईंधन तैयार करने के प्रयोग कर रही हैं जिसमें धुआं नहीं होगा। गांव के कच्चे मकानों के लिये विशेष प्रकार के गारे, इत्यादि के भी प्रयोग चल रहे हैं। पानी से उस गारे का कटाव नहीं होगा।

अम्बाला की अमर परियोजना में दोहरी छतों का प्रयोग आप देख ही चुके हैं। उसकी काफी सराहना भी हुई है।

सड़क अनुसंधान संस्था बैलगाड़ी का एक अच्छे किस्म का पहिया तैयार कर रही है।

एक प्रयोगशाला मैला ढोने के लिये एक गाड़ी तैयार कर रही है, जिससे कि मेहतारों को उसे सिर पर न ढोना पड़े।

एक दूसरी प्रयोगशाला इडली और कॉफी के सम्बन्ध में परीक्षण कर रही है। माननीय सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि अब इडली बनाने में १२-१४ घण्टे लगाने की जरूरत नहीं रही है।

श्री हेम बरूआ ने उद्योग और गवेषणा-कार्य के बीच अधिक सहकार्य की आवश्यकता पर जोर दिया है। हाल में, इसीलिये राष्ट्रीय अनुसंधान निकास निगम का पुनर्गठन किया गया है। उसके सभापति उद्योग मंत्री होंगे। उससे उद्योगों और विभिन्न प्रयोगशालाओं में अधिक निकटता पैदा होगी।

श्री हेम बरूआ, श्री नरसिंहन्, श्री भट्टाचार्य, श्री घोषाल और श्री सिंह ने वैज्ञानिकों को उचित वेतन-क्रम देने का प्रश्न उठाया है। श्री घोषाल जिनके बारे में कह रहे थे वे स्कूल-कालेज शिक्षा मंत्रालय के अधीन हैं।

हमने हाल में प्रौद्योगिकीय संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन बढ़ा दिये हैं। अब उनके वेतन-क्रम भारत सरकार की अपेक्षा कहीं अच्छे हैं। यहां तक कि विश्वविद्यालय अनुदान ने उस पर आपत्ति की थी कि इससे विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को असुविधा होगी। असुविधा नहीं होगी वे इस आधार पर अपने वेतनों में वृद्धि करा सकेंगे। हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों और विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के वेतनों में सुधार करने के लिये कुछ कदम उठाये हैं।

यह भी कहा गया है कि गवेषणा और उसके निष्कर्ष के उपयोग में समय का बड़ा अन्तर रहता है। संसार भर में यही शिकायत रहती है। द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ ही पहले इसका हिसाब लगाया गया था। किसी भी नई खोज के बाद उसे उद्योगों पर लागू करने में १००-१५० वर्ष लग जाते हैं। अब समय का यह अन्तर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। यह अन्तर जितना ही कम हो, उतना ही अच्छा। लेकिन वह निर्भर करता है देश के विज्ञान सम्बन्धी वातावरण पर।

यह भी शिकायत आई है कि वरिष्ठ वैज्ञानिक कनिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा किये गये कार्य का श्रेय ले लेते हैं। अब हमने इसीलिये व्यवस्था कर दी है कि कनिष्ठ वैज्ञानिक बिना अनुमति लिये ही अपने विज्ञान-सम्बन्धी लेख मान्यता-प्राप्त पत्रों में भेज सकेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में जितनी भी बड़ी-बड़ी खोजें की गई हैं, वे वैज्ञानिकों ने ३० वर्ष की अवस्था से पहले-पहले ही की हैं। इसलिये युवकों को अधिक अवसर दिये जाने चाहियें। आशा है इस नयी व्यवस्था के कारण नये युवक वैज्ञानिकों को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे। कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने इस पर आपत्ति भी की थी। पर हमने उसे नहीं माना। हम नहीं चाहते कि विज्ञान पुरानी पीढ़ी का एकाधिकार बना रहे। मैं मानता हूं कि अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है।

द्वितीय योजना काल में तकनीकी शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या दोगुनी हो गई है। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की संख्या भी बढ़ गई है।

श्री नरसिंहन् ने कहा है कि डिप्लोमाधारियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं। हमें इस सम्बन्ध में लगभग ४०० संस्थायें अपना सहयोग दे रही हैं। और

[श्री हुमायून् कबिर]

उनमें से कई संस्थाएँ उसका ४० से ५० प्रतिशत का व्यय-भार भी वहन करती हैं। यह भी होता है कि हम जिनको उस शिक्षण के लिये चुनते हैं, वे उसे स्वीकार नहीं करते। १९६०-६१ में हमने ऐसे २३८७ प्रशिक्षणार्थियों के लिये स्थान सुरक्षित कराये थे, पर केवल १२५६ ही आये। अब एक प्रस्ताव यह है कि राष्ट्रीय अपरेटिसशिप विधान बनाया जाये।

माननीय सदस्य ने कहा कि मद्रास में ऐसी सुविधाएँ नहीं हैं। वहाँ तीन बड़े-बड़े समवाय ऐसी सुविधाएँ जुटा रहे हैं। विज्ञान के छात्रों की संख्या घटाने की बात का सम्बन्ध शिक्षा मंत्रालय से है। वैसे यह आशंका गलत है। आज भी विज्ञान के छात्रों की संख्या वही है जो १२-१३ वर्ष पहले थी। माननीय सदस्य के विचार इसके बारे में स्पष्ट नहीं हैं। अनुपात तो कुछ कम हुआ है, लेकिन संख्या कई गुनी बढ़ गई है।

डा० मेलकोटे कहते हैं कि यह संख्या भी अपर्याप्त है। मैं इससे सहमत नहीं। इंजीनियरिंग के लिये हम प्रतिवर्ष लगभग १३,५०० विद्यार्थी भर्ती करते हैं। तृतीय योजना की समाप्ति तक प्रति वर्ष २०,००० भर्ती होने लगेंगे। अगले दस वर्ष में इससे अधिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम यह भी तो नहीं चाहते कि वे बेरोजगार हों। हाँ, डिप्लोमाधारियों की संख्या अपर्याप्त है। आज प्रतिवर्ष २५,००० विद्यार्थी डिप्लोमा के लिये भर्ती किये जाते हैं। योजना आयोग का सुझाव ४०,००० प्रतिवर्ष का है। लेकिन पूरी आशा है कि तृतीय योजना की समाप्ति तक यह संख्या काफी बढ़ जायेगी। ५०,००० से ऊपर चली जायेगी। प्रगति उतनी ही होनी चाहिये, जितनी कि देश सहन कर सके।

डा० मेलकोटे ने संध्याकालीन पाठ्यक्रमों की सुविधाओं का सुझाव दिया है। हमारे अधिकारी अमरीका और रूस में ऐसे पाठ्यक्रमों सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं।

श्री अचौ सिंह यह कैसे भूल गये कि मनीपुर में एक पोलिटेकनीक संस्था अगस्त, १९५६ से मौजूद है। उनको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये।

डा० सामन्त सिंह ने पूछा था कि देश में केवल ३८ विज्ञान मंदिर क्यों हैं? दो-तीन साल पहले तो केवल १३ थे। इसमें प्रगति हुई है। मैं मानता हूँ कि बहुत तेजी से प्रगति नहीं हुई है। मैं स्वयं उसके लिये उत्तरदायी हूँ। इसलिये मैं बलवन्त मेहता समिति की सिफारिशों के लिये रुका हुआ था। अब उस समिति का प्रतिवेदन आ चुका है। मैं अगले दो-तीन सप्ताहों में उस योजना का अध्ययन करूँगा और हम सारे देश में जितने भी हो सकेंगे विज्ञान मंदिर खोल देंगे।

डा० मेलकोटे ने विज्ञान संग्रहालय का उल्लेख किया है। इस समय इस प्रकार का संग्रहालय नैशनल फिजीकल लैबोरेट्रीज में है परन्तु तीसरी योजना के अन्तर्गत हम दिल्ली में एक बड़ी संग्रहालय स्थापित करने जा रहे हैं। वैसे और भी संग्रहालय हैं कलकत्ता में बिरला उद्योग तथा तकनीकी संग्रहालय हैं, बंगलौर में है, फिर भी यदि राज्य सरकारें इस दिशा में कुछ प्रस्थापनाओं को प्रस्तुत करें तो हम पूरी सहायता को तैयार हैं। मूलभूत अनुसन्धान के लिये हम पूरी सहायता देने को तैयार हैं तथा इस उद्देश्य के लिए मनीपुर में एक विज्ञान मंदिर खोलने का निश्चय किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि गत दो वर्षों में विज्ञान मंदिरों की संख्या १३ से बढ़ कर ३८ हो गयी है।

अब मैं इंडिया आफिस लाइब्रेरी के मामले की ओर आता हूँ। इस मामले को १९५६ के मध्य में उठाया गया था। प्रधान मंत्री ने इस मामले में स्वयं भी रुचि दिखाई।

१९५६ के शरद् में प्रथम बार भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप इस लायब्रेरी के सम्बन्ध में ब्रिटेन की सरकार को एक नोट दिया। उसके बाद बहुत बार इस मामले पर चर्चा हुई। मैं भी जब इंग्लैंड गया अथवा वहां से गुजरा तो इस मामले पर चर्चा की। लंदन और नयी दिल्ली दोनों स्थानों पर इस मामले पर काफी चर्चा हुई। इन सब का परिणाम यह हुआ कि प्रथम बार इस विषय की कुछ मूलभूत बातों पर कुछ सहमति हो गयी। इसके लिए मुझे ब्रिटेन सरकार के राष्ट्र मंडलीय सचिव श्री डन्कन संडेज के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करना है। आशा की जाती है कि शीघ्र ही इस दिशा में। परन्तु इस सम्बन्ध में शर्तें इत्यादि की गोपनीय बातों को प्रकट कर देना इस अवसर पर मेरे लिये सम्भव नहीं। मुझे श्री भट्टाचार्य की यह बात बड़ी आश्चर्यजनक लगी कि यदि इंडिया आफिस लायब्रेरी का एक भाग पाकिस्तान को दिया जाना, है, तो अच्छा यही होगा कि इस लायब्रेरी को वहीं रहने दिया जाये। परन्तु मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं। हमें यह बात भूलनी नहीं चाहिये कि यह लायब्रेरी अविभाजित भारत की है और इसमें उसका १७^१/_४ प्रतिशत अधिकारपूर्ण अंश है और उसे परस्पर सहमति से ही लंदन से दिल्ली लाया जा सकता है। वैसे यह निश्चय कर लिया गया है कि इस लायब्रेरी में तीनों देशों के विद्यार्थियों को सुविधायें प्राप्त होंगी और वे इससे लाभ उठा सकेंगे। मैं ने शायद कहीं सख्त भाषा का प्रयोग किया हो—किन्तु कुछ सदस्यों ने भी ऐसी भाषा का प्रयोग किया। किन्तु मैं संसदीय मर्यादा से बाहर नहीं गया। मैं श्री भट्टाचार्य को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे दिल में उनके लिये बड़ी सदभावना है। मेरा विचार है कि मैं ने इतने में ही सब बातों को स्पष्ट कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७५८ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७६	वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय	३१,५२,०००
७७	पुरातत्व	१,२१,५५,०००
७८	भारत का सर्वेक्षण	१,८१,६५,०००
७९	वानस्पतिक सर्वेक्षण	२२,६४,०००
८०	प्राणिकीय सर्वेक्षण	१५,२७,०००
८१	वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य	१८,३६,१०,०००
८२	वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	५१,१७,०००
१३१	वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	३,६७,३७,०००

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी। इसके लिये पांच घंटे समय निर्धारित किया गया है जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे उनकी सूचना १५ मिनटों में दे दें।

वर्ष १९६०-६१ के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६१	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	१३,१३,०००
६२	प्रसारण	५,१४,३६,०००
६३	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३,६८,०२,०००
१२६	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी व्यय	४,५२,८३,०००

†श्री में० क० कुमारन (चिरयिन्कील) : आकाशवाणी प्रचार का एक बहुत बड़ा साधन है। आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारण प्रणाली एक सरकारी व्यवस्था है और पदारूढ़ दल के प्रचार के लिए उसका खूब प्रयोग होता है। हमारे देश में जहां शिक्षा का स्तर अभी काफी नीचा है, आकाशवाणी का बहुत महत्व होता है। और इससे अपने उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से पूरा करना चाहिए। परन्तु खेद की बात है ऐसा हो नहीं रहा। इस सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें सामने आ रही हैं। मैं विस्तार में न जाता हुआ केवल इतना ही कहूंगा कि कि गत आम हड़ताल के दौरान आकाशवाणी द्वारा खबरों को दबा कर तथा तोड़ मरोड़ कर दिया गया और इस प्रकार हड़ताल को कमजोर बनाने के एक साधन के रूप में इसका प्रयोग किया गया। यह भी शिकायत है कि क्षेत्रीय समाचारों को तोड़ मरोड़ कर अथवा विकृत रूप में प्रसारित किया जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि यह अखिल आकाशवाणी नहीं अखिल भारतीय कांग्रेस बोल रही है।

आकाशवाणी की प्रशासकीय सेवाओं में भ्रष्टाचार तथा पक्षपात है। बड़े-बड़े पदों पर मनमाने ढंग से नियुक्तियां कर ली जाती हैं और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्तियां नहीं होती। तबादलों और पदोन्नतियों की प्रणाली में भी अनियमितताएँ हैं। चाहिए तो यह कि साहित्यिक क्षेत्र के मेधावी लोगों को इस ओर आकर्षित किया जाये। परन्तु वास्तविकता यह है कि आकाशवाणी में कार्यक्रमों की रचना संगठन के लिए साहित्यिक क्षेत्र के मेधावी लोगों की हमेशा उपेक्षा की जाती है। उनका प्रायः निरादर किया जाता है। केवल पदासीन लोगों के चाहतों को ही प्रोत्साहन मिलता है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि तामिल और तेलगू में कथाचित्रों को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मदुराई में एक प्रसारण केन्द्र खोला जाना चाहिये विधि का निर्माण कर एक अखिल भारतीय प्रेस परिषद्, स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रेस आयोग

की जो सिफारिश थी, उसको कार्यान्वित किया जाना चाहिये था। प्रेस की स्वतंत्रता को बनाये रखने में सहायता करने के लिये यह सिफारिश बहुत ही आवश्यक है। एकाधिकारवादी समूह समाचार पत्रों को हड़प किये जा रहे हैं यह प्रवृत्ति बड़ी ही खतरनाक है इसे रोका जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि बच्चों के लिये जो इतिहास लिखा गया है उसमें अनेक गलतियाँ अथवा त्रुटियाँ हैं। भारत की स्वतंत्रता की दिशा में जो संघर्ष हुआ उस इतिहास में महात्मा गांधी के अतिरिक्त और किसी भी अन्य नेता को मान्यता नहीं दी गयी। उसमें बाकी सब की सेवाओं को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा गया है।

†श्री त्यागी (देहरादून): मंत्रालय ने शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति की है, इसके लिए उसे श्रय मिलना ही चाहिए। इस दिशा में मेरा निवेदन है कि विदेशी रेडियो में अभी भी गंदे गाने ही लिये जा रहे हैं। देश में जो फिल्में बनती हैं, वे देश की नैतिकता के लिए लाभप्रद नहीं हैं। इन फिल्मों में अश्लील, ऋंगारिग और उत्तेजक गाने होते हैं, जिनका देश के नवयुवकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह व्यवस्था की जाये कि फिल्म निर्माता लाइसेंस लिया करें और फिल्मों के स्तर पर भी कड़ा नियन्त्रण रखा जाय फिल्मों के सेंसर का काम सरकार को स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिए। गन्दी फिल्मों पर नियन्त्रण रखने के लिए सरकार को एक विधान लाना चाहिए। हमें अपने समाज का नैतिक उत्थान करने की आवश्यकता है। केवल भौतिक जीवन के सम्बन्ध में योजनायें बना लेने से कोई लाभ न होगा। नैतिक उत्थान के सम्बन्ध में भी निश्चित योजनायें बनाना अत्यावश्यक है।

यह सच है कि फिल्मों का सेंसर करने के लिये एक सेंसर बोर्ड है, परन्तु उस बोर्ड में केवल गैर-सरकारी सदस्य ही हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार इस कार्य को अपने हाथ में लेले ताकि फिल्मों पर अधिक नियंत्रण रखा जा सके। वर्तमान सेंसर बोर्ड द्वारा जनवरी से मार्च, १९६० तक लगभग ७४७ फिल्मों का सेंसर किया गया था और उनमें से केवल २० को अनुमति देने से इनकार किया गया था और अप्रैल से जून तक लगभग २,२१८ फिल्मों में केवल ५७ फिल्मों को अनुमति देने से इनकार किया गया था जिनमें से केवल २ ही भारतीय फिल्में थी। अतः स्पष्ट है कि सेंसर बोर्ड कितनी ढिलाई से काम कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप बहुत अश्लील फिल्मों को भी अनुमति दे दी जाती है।

इन अश्लील फिल्मों में गन्दे-गन्दे गाने गाये जाते हैं जिनमें अनैतिकता का प्रचार किया जाता है। हमारी फिल्मों का उद्देश्य तो नयी पीढ़ी के नवयुवकों का नैतिक उत्थान होना चाहिये। अतः जब फिल्मों का सेंसर उतनी असावधानी से किया गया तो देश का उत्थान कैसे होगा ?

उदाहरणार्थ हथकड़ी नामक एक फिल्म में ऐसे ही गन्दे गाने गाये जाते हैं और हमारे नवयुवक उन्हीं गानों को दुहराते रहते हैं और उनका उन नवयुवकों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ।

इस आयु में नवयुवकों पर बहुत जल्दी असर पड़ता है। यदि उन्हें इसी प्रकार की फिल्में देखने को मिली तो उनके हित और दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और वास्तव में उन पर बुरा असर पड़ रहा है। रात को उनको स्वप्न भी वैसे ही आते हैं; अतः यदि सिनेमा जैसे महत्वपूर्ण उद्योग के प्रति इतनी अधिक ढील दिखायी गयी तो देश का उत्थान कैसे होगा ? यदि उस सम्बन्ध में किसी वैधानिक प्राधिकार का अभाव है तो माननीय मंत्री से मेरा सुझाव है कि वे उन फिल्मों पर नियंत्रण रखने के लिये संसद् में वैधानिक शक्ति प्राप्त करने का यत्न करें, नहीं तो उसका हमारे बच्चों पर बहुत बुरा असर

[श्री त्यागी]

पड़ेगा। उदाहरणार्थ पिछले दिनों काला बाजार नामक एक फिल्म दिखायी गयी थी, उसका नवयुवकों पर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्होंने भी सिनेमा के टिकटों की चोर बाजारी शुरू कर दी थी। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार उस बढ़ती हुई समस्या की ओर ध्यान दे।

जहाँ तक प्रचार कार्यों का सम्बन्ध है, उन पर व्यर्थ में ही इतना अधिक धन खर्च किया जा रहा है। भारत इस समय सारी दुनिया का ऋणी है, हमने लगभग ५,१२३ करोड़ रुपयों का ऋण लिया हुआ है और उसके व्याज के रूप में हमें प्रतिवर्ष १४३ करोड़ रुपये देने पड़ते हैं। और फिर विदेशों से ६३४ करोड़ रुपयों का ऋण लिया हुआ है जिस पर हमें व्याज के रूप में २० करोड़ रुपये देने पड़ते हैं। हमारी राष्ट्रीय आय केवल २६० रुपये प्रति व्यक्ति है जबकि ऋणों का दायित्व हम पर १६६ रुपये या उससे अधिक प्रति व्यक्ति है। अतः आज हम ऋणिता में इतने अधिक ग्रस्त हैं, और खर्च हम अपने इतने अधिक बढ़ाते जा रहे हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय से एक प्राप्त उत्तर में उन पत्रिकाओं की एक लम्बी सी सूची है जो कि सरकार द्वारा छपायी जा रही है। इन सभी पत्रिकाओं पर ५ लाख रुपयों से भी अधिक राशि खर्च की जा रही है। इन सभी पत्रिकाओं की क्या जरूरत है, ये पत्रिकायें अधिकांश राजदूतावासों को संभरित करने के लिये छपायी जा रही हैं। परन्तु भारत विदेशी राजदूतावासों या विदेशों के लिये नहीं है। यह भारतीयों के लिये है। अतः भारतीयों को यह ज्ञात होना चाहिये कि उनके लिये क्या-क्या किया जा रहा है। मेरा सुझाव यह है कि साधारण मात्रा में छोटी-छोटी किताबें छपायी जायें जिनमें देश में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला जाये और ये किताबें संसद सदस्यों के माध्यम से बांटी जायें ताकि ये पुस्तकें जनता तक पहुंच सकें।

जहाँ तक समाचार पत्रों का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि सरकार का उनसे निकट का सम्पर्क है या नहीं और यह भी नहीं जानता कि उन पर सरकार का कितना प्रभाव है। मैं तो समझता हूँ कि केवल विज्ञापनों के द्वारा ही सरकार का उनसे सम्पर्क है। परन्तु हमें ज्ञात नहीं है कि ये विज्ञापन किस आधार पर दिये जाते हैं, अतः माननीय मंत्री से निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध में सरकार की नीति पर प्रकाश डालें।

मुझे यह ज्ञात हुआ है कि पी० टी० आई० को वित्तीय कठिनाइयों के कारण बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। पी० टी० आई० अभिकरण समाचार में देश की अच्छी सेवा करता रहा है और भारत को उस पर गर्व है, परन्तु अब उसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः माननीय मंत्री से निवेदन है कि वे पी० टी० आई० की स्थिति पर अच्छी प्रकार से विचार करें और उस पर भी आधारसंख्या २ लागू किया जाये। उसे एक न्यास या जीवद्व संस्था के रूप में सुव्यवस्थित से रूप से चलाया जाये। अन्त में पुनः निवेदन करता हूँ कि फिल्म उद्योग को सुधारने के लिये उस पर अधिक नियंत्रण रखा जाये।

†श्री गोरे (पूना): इस मंत्रालय द्वारा किये गये कार्यों का परीक्षण करने का एक मात्र आधार यह है कि क्या वह लोगों में राष्ट्रीय एकता पैदा करने और वैज्ञानिक तथा लोकतंत्रात्मक ढंग से देश का विकास करने के कार्य में सफल हो सका है। पहले तो

†मूल अंग्रेजी में

मैं इस मंत्रालय की सराहना करना चाहता हूँ कि इसने शास्त्रीय संगीत के पुनरुत्थान के कार्य में सकल यत्न किया है। इसी के कारण उत्तर और दक्षिण भारत के संगीतज्ञों को प्रोत्साहन मिल रहा है और शास्त्रीय संगीत का विकास हो रहा है।

यह मंत्रालय जनता को तीन माध्यमों से प्रभावित कर सकता है और वे हैं—आकाशवाणी, फिल्में तथा प्रकाशन विभाग। जहाँ तक आकाशवाणी का सम्बन्ध है, मैं इसके कार्यों से सन्तुष्ट नहीं हूँ। यह अभी तक बी० बी० सी० के स्तर तक नहीं पहुँचा है। आकाशवाणी के द्वारा जनता की वास्तविक भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं किया जा रहा है। ऐसा ज्ञात होता है कि यह एक सरकारी मशीन बनी हुई है जिसके द्वारा शासक दल अपना प्रचार कर रहा है। जब भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका बड़ा व्यापक प्रचार किया जाता है जबकि अन्य दलों के कार्यक्रमों की खबर तक नहीं सुनायी जाती। अतः आकाशवाणी की इस नीति में पर्याप्त सुधार करने की जरूरत है।

चुनाव के अवसर पर सभी राजनीतिक दलों को अपना प्रचार करने के लिये एक समान अवसर नहीं दिये जाते और रेडियों द्वारा देश में होने वाली घटनाओं का वास्तविक विवरण दिया जाता है।

जहाँ तक पी० टी० आई० का सम्बन्ध है, मैं श्री त्यागी के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि उसे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही के एक न्यायनिर्णयन में न्याय निर्माता ने यह कहा था कि पी० टी० आई० की वित्तीय स्थिति पर्याप्त सबल है। परन्तु कठिनाई यह है कि जब से प्रैस आयोग नियुक्त किया गया है, इसके प्रबन्धकों और कर्मचारियों के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। अतः मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध में यत्न करें कि पी० टी० आई० के प्रबन्धकों और कर्मचारियों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो सकें।

प्रैस आयोग ने यह सुझाव दिया था कि पी० टी० आई० को एक न्यास के रूप में बदल दिया जाये, परन्तु किन्हीं कारणों से वह संभव न हो सका। परन्तु पी० टी० आई० के निर्देशक बोर्ड में एक कर्मचारी प्रतिनिधि को ले लेने में क्या कठिनाई है? अतः मेरा सुझाव है कि इसमें समाचार अभिकरण में सभी स्तरों पर प्रबन्धकों और कर्मचारियों को प्रबन्ध कार्य से इकट्ठा मांग लेने की व्यवस्था की जाये और प्रबन्धकों को इस सम्बन्ध में इनकार नहीं करना चाहिये। हम कहते तो हैं कि हमें और अधिक समाचार अभिकरणों की जरूरत है परन्तु 'हिन्द समाचार' को सहायता क्यों नहीं दी गयी है?

जहाँ तक आकाशवाणी का संबंध है, यह साधन उपयुक्त अवसर पर उपयुक्त कार्य नहीं करता है। उदाहरणार्थ चीनी आक्रमण के अवसर पर इसका कर्तव्य है कि यह भारतीय जनता को इस समस्या से पूर्णतया परिचित कराये, भारतीय सीमाओं के बारे में जनता को ज्ञान दे और रक्षा के लिये जनता को सचेत करे। परन्तु वैसा नहीं किया जा रहा है। भारत के अधिकांश लोग श्रवण पर निर्भर करते हैं। अतः शिक्षा और भारतीयकरण के इस प्रभावशाली साधन का पूरा उपयोग करना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि आकाशवाणी अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करने का यत्न करे।

श्री त्यागी ने फिल्मों के संबंध में जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कई अश्लील चित्रों का उल्लेख किया है तो मैं बहुत से अच्छे चलचित्रों का उल्लेख कर सकता हूँ। उदाहरणार्थ मेरे प्रांत में तुकाराम और ज्ञानेश्वर जैसे चलचित्र लगभग सारा वर्ष दिखाये जाते रहे। अतः श्लीलता और अश्लीलता का तो प्रश्न नहीं है, परन्तु मैं यह अवश्य कह देना चाहता हूँ कि फिल्मों को 'केवल बयस्कों के लिये' और 'सामान्य जनता के लिये' इन दो भागों में बांटने की कोई जरूरत

[श्री गोरे]

नहीं है। क्योंकि जब भी "केवल वयस्कों के लिये" कोई फिल्म निर्धारित की जाती है तो उत्सुकता-वश अधिक लोग उसे देखने का यत्न करते हैं।

मैं फिल्मों के संबंध में एक बात अवश्य कह देना चाहता हूँ कि अच्छी फिल्मों के निर्माण के लिये फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिये पर्याप्त राशि में पुरस्कार दिये जायें।

जहां तक फिल्म डिबीजन का संबंध है, इसने कई बहुत अच्छे प्रलेखीय चलचित्र बनाये हैं, और इसके लिये मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूँ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

उदाहरणार्थ "कांगड़ा घाटी" "कृष्ण और राधा" आदि कुछ एक अत्यन्त सुन्दर चलचित्र हैं।

मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ। अब भारत ने प्रौद्योगिकीय युग में प्रवेश किया है। तो ऐसे प्रलेखीय चलचित्र क्यों न बनाये जायें, जोकि इन नयी विधियों को जनता तक पहुंचा सकें। यदि ये प्रलेखीय चलचित्र स्कूलों तथा फैक्टरियों में दिखाये जायें तो उनका बड़ा असर हो सकता है।

जहां तक प्रकाशन का संबंध है, अधिकांश पुस्तकें और पत्रिकायें हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में छपवायी जायें। बच्चों की पुस्तकों की ओर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। यदि हम अपनी भावी पीढ़ी का सुधार करना चाहते हैं तो हमें इन बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस संबंध में बहुत कुछ कर सकता है।

श्री राधारमण (चांदनी चौक) : सभापति महोदय, प्रचार और प्रसार मंत्रालय के संबंध में जो मांगें सदन के सामने रखी गयी हैं उनका अनुमोदन करते समय मैं कुछ विचार सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

अभी अभी हमारे माननीय त्यागी जी ने फिल्मों के कुछ ऐसे गाने सुनाये कि जिनको सुनकर सदन के हर एक मेम्बर को दुःख हुआ होगा, और यह सही है कि आज इस वक्त जो फिल्म हिन्दुस्तान के कोने कोने में दिखाये जाते हैं उनमें इस प्रकार के बहुत सारे फिल्म हैं या उनमें ऐसे दृश्य और गाने हैं जो हमारे बच्चों के लिये स्वभावतः उचित नहीं हैं और उनको देखने वाले बच्चे बजाये अच्छे और बेहतर बनने के बिगड़ ही सकते हैं।

अभी गोरे जी ने यह जिक्र किया कि अच्छी फिल्मों को जहां तक हो सके हिन्दुस्तान में पैदा किया जाये। यदि आप फिल्मों की उन्नति और प्रगति चाहते हैं तो आवश्यक है कि जो फिल्म बनें उनमें इस प्रकार के दोष न हों। यह कह देना शायद ठीक नहीं होगा कि जो फिल्म बनाने वाले हैं उनके ऊपर अगर हम कोई कानूनी प्रतिबन्ध लगा दें तो हमारी फिल्मों में सुधार हो जायेगा। आज बहुत कम ऐसे फिल्म बनाने वाले हैं जो केवल इसी दृष्टि से फिल्म बनाते हैं कि उनका अच्छा असर पड़े। उनको फिल्म से आमदनी को ध्यान में रखकर उसको बनाना पड़ता है। इसलिये अगर त्यागी जी के मत को स्वीकार कर लिया जाये और उसके अनुसार हम इस काम को चलायें तो मेरा ख्याल है कि हमारी सरकार को तमाम फिल्म इंडस्ट्री को नेशनलाइज करना होगा और यदि सरकार ऐसा कर दे तभी उस प्रकार के फिल्म तैयार हो सकते हैं जैसे कि त्यागी देखना या दिखाना चाहते हैं और

तभी वे अच्छे साबित हो सकते हैं। हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि जहां तक हमारे देश की मानसिक और नैतिक उन्नति का संबंध है उसमें इस प्रकार के फिल्मों से बहुत सहायता मिल सकती है।

जहां आज यह कहा जाता है कि इस प्रकार के फिल्म और गाने जो देश में प्रचलित हैं इनको रोकना चाहिये, वहां साथ साथ हमको और भी बहुत सारे काम करने चाहियें जो कि इसी से संबंध रखते हैं। मतलब यह है कि आज किसी फिल्म का विज्ञापन करने के लिये जो इश्तिहार अश्लील निकाले जाते हैं या जो बड़े बड़े पोस्टर शहरों के कोने कोने में लगाये जाते हैं उनको रोका जाये। उनमें जो तस्वीरें होती हैं उनको देखने से बच्चों पर तो क्या बड़ों पर भी बुरा असर पड़ता है। बहुत से पोस्टरों में इस प्रकार की तस्वीरें और इस प्रकार के शब्द होते हैं जिससे बच्चों ही नहीं बड़ों के मन पर भी अच्छा असर नहीं पड़ सकता। इस संबंध में कई बार इस सदन के सामने विचार रखे गये हैं। और मैं चाहता हूं कि सरकार सब तरफ से देखे और जो भी सुधार इस दिशा में हो सकते हैं उनको करे। अच्छे फिल्मों को बनाने में सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिये।

यह ठीक है कि जो अच्छे फिल्म बनाने वाले हैं उनको सरकार पुरस्कार और प्रोत्साहन देती है और उनके सामने इस प्रकार के विचार रख कर उनको इस बात की प्रेरणा देती है कि फिल्म बनाने वाले ऐसे फिल्म बनायें जिनसे हमारे देश की उन्नति और प्रगति हो और जिनसे हमारे देश की जनता पर अच्छा प्रभाव पड़े। आज अच्छी तालीम देने वाली फिल्मों की आवश्यकता है।

त्यागी जी ने जो गाने सुनाये उनको सुनकर हमको दुःख हुआ, लेकिन साथ ही गोरे जी ने जैसा कहा, और मैं उससे सहमत हूं, कि आज बहुत से अच्छे फिल्म भी निकल रहे हैं क्योंकि उनकी आमदनी उतनी नहीं होती जितनी कि खराब फिल्मों की होती है,। आज इस प्रकार की अच्छी फिल्में बनाने वाले प्रोत्साहित हो रहे हैं और वे ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिनको चाहे बच्चे देखें, या बड़े देखें, या बूढ़े देखें, या पुरुष या स्त्रियां देखें, सबको अच्छी लगेंगी और सब पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि फिल्म सेंसर बोर्ड में जो लोग बैठे हुये हैं उनका ध्यान हम इस तरह के अश्लील चित्रों और गानों की ओर दिलायें और उनसे कहें कि वे जरा बारीकी से सब चीजों को देखकर फिल्म पास किया करें। इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि जहां हम ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करना चाहते हैं वहां कभी कभी ऐसी फिल्में जोकि गन्दी और खराब समझी जाती हैं उनको जाकर देखें और अगर उनको वाकई खराब समझते हैं तो कम से कम मिनिस्टर साहब की और फिल्म सेंसर बोर्ड की तवज्जह उस ओर दिलायें। हमने देखा कि कुछ गन्दे फिल्म जोकि सेंसर से पास हो चुके थे उनको जब लोगों ने देखा और उनके मुताल्लिक अपना कड़ा विरोध मिनिस्टर साहब को भेजा तो उन पिक्चर्स को रैव्यू किया गया और उन फिल्मों का दिखाना बन्द कर दिया गया। जहां हम गवर्नमेंट से और सेंसर बोर्ड से यह उम्मीद करते हैं कि वह इस तरह के भद्दे चित्रों पर रोक लगाये और उनको दिखाने की इजाजत न दे वहां हमें जनता को भी इस बात के लिये तैयार करना चाहिये कि अगर इस किस्म की कोई बुरी चीज हमारी आंखों के सामने आती है तो उस पर हम कड़ा विरोध करें और अपनी सरकार का ध्यान उस तरफ दिलायें और सरकार को इस बात के लिये मजबूर कर दें कि वह ऐसे गन्दे चित्रों को दिखाने की इजाजत न दे।

मैं इसी के साथ आल इंडिया रेडियो के बारे में भी दो बातें कहना चाहता हूं। यह बात सही है कि इसने इधर पिछले दिनों में काफी अच्छा काम किया है और मैं मंत्री महोदय को और जो प्रचार और प्रसार विभाग के अधिकारी हैं उनको उस प्रगति के लिये बधाई देना चाहता हूं जोकि उन्होंने आल इंडिया रेडियो के कामों में पिछले दिनों करके दिखाई है।

[श्री राधा रयण]

इम्मोशनल इंटीग्रेशन के सिलसिले में जो एक प्रोग्राम कुछ वर्षों से चलता है मैंने देखा है कि वह काफी तरक्की पर है और उसको जनता काफी खुशी से और काफी दिलचस्पी से देखती है। इसी तरह से आल इंडिया रेडियो का जो नेशनल प्रोग्राम होता है वह भी बहुत अच्छा है और लोगों ने उसको पसन्द किया है। इसी तरह विविध भारती का प्रोग्राम है जिसमें कि लाइट म्यूजिक और दूसरी अन्य मनोरंजक चीजें होती हैं और मुझे यह कहते हुये बड़ी खुशी हो रही है कि विविध भारती का प्रोग्राम हमारी जनता बड़े चाव से सुनती है और वह दिन पर दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। इसी प्रकार से देश के जो हमारे नेता हैं बड़े बड़े नेता, गांधी जी, टैगोर आदि उनके संबंध में काफी प्रचार और प्रसार आल इंडिया रेडियो की माफत किया जाता है। मुझे आशा यही है कि इस तरफ हमारा कदम आगे बढ़ता ही जायेगा और आल इंडिया रेडियो सफलता की ओर बढ़ता ही जायेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आल इंडिया रेडियो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा जरिया है जिससे कि हम सब से ज्यादा प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी उन मामलों की कर सकते हैं जिनको कि हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और जो जिन्हें कि हम जनता से करवाना चाहते हैं। आल इंडिया रेडियो एक ऐसा जरिया है या एक ऐसा माध्यम है जिसका कि हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिये और आज जितना उसका उपयोग हो रहा है और फायदा उठाया जा रहा है उससे ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारे आल इंडिया रेडियो के मातहत एक टेलीविजन का प्रोग्राम भी चलता है। आल इंडिया रेडियो पहले शहरों के अन्दर जाया करता था वह हलके हलके छोटे छोटे ट्रांसमीटरों की शक्ल में गांवों में जा रहा है। हिन्दुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और इसमें इतने अधिक गांव हैं कि अगर आल इंडिया रेडियो जिस रफ्तार से चल रहा है उसी रफ्तार से अपने कामों को गांव के अन्दर ले जायेगा तो लाजिमी तौर पर काफी अर्सी लगेगा और इसलिये मैं चाहूंगा कि वह जितनी जल्दी इस तरफ कदम बढ़ा सके, बढ़ाये।

एक और बात इस सिलसिले में यह है कि आल इंडिया रेडियो के मातहत एक सेंट्रल इनफोरमेशन सर्विस कायम की गई थी। उसके अन्दर जो भरती की गई और मुलाजमीन रखे गये उसमें यह भेद भाव देखा गया कि अंग्रेजी जानने वाले जो एडिटर्स या सब एडिटर्स हैं उनकी तनख्वाहें और एलाउंसेज लैंग्वेज एडिटर्स और सब एडिटर्स के मुकाबले में अधिक है। देशी भाषाओं के एडिटर्स और सब एडिटर्स के साथ वह व्यवहार नहीं किया जाता जो कि इंग्लिश के एडिटर्स और सब एडिटर्स के साथ होता है। मेरी समझ में लैंग्वेज एडिटर्स और सब एडिटर्स को अंग्रेजी वालों के मुकाबले कम तनख्वाह व भत्ता देना अनुचित है। यह बात उस समय और भी अनुचित मालूम पड़ती है जब हम नौग आये दिन इस बात का प्रचार करते फिरते हैं कि हम देश में राष्ट्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और चाहते हैं कि हिन्दी भाषा उन्नति करे। हम चाहते हैं कि ऐसी जवानों जो कि हमारे मुल्क से ताल्लुक रखती हैं उनका और अधिक विकास हो। यह बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज के दिन भी जबकि हमें अपनी प्रादेशिक भाषाओं और हिन्दी को हर तरह से प्रोत्साहन देना चाहिये हम देखते हैं कि उस जवान को जो कि एक विदेशी भाषा समझी जाती है और जिसे कि हम अपने मुल्क की भाषा नहीं कहते उसको देशी भाषाओं के मुकाबले कुछ न कुछ अधिक प्रधानता अवश्य मिलती है। इसी सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जो अंग्रेजी के एडिटर्स और देशी भाषाओं के एडिटर्स में और अंग्रेजी के ट्रांसलेटर्स में और हिन्दी और देशी भाषाओं के ट्रांसलेटर्स में आपने असमानता रख छोड़ी है वह समय के अनुसार कदापि उचित नहीं है और इस भेदभाव को आपको जल्दी से जल्दी दूर कर देना चाहिये। आल इंडिया रेडियो के मातहत और खास तौर पर सेंट्रल इनफोरमेशन सर्विस के मातहत जो

कर्मचारी काम करते हैं उनमें कोई भेद भाव आपको नहीं रखना चाहिये और जो तनखाह व भत्ता अंग्रेजी जवान में काम करने वाले को मिलता है वही देशी जवान बोलने वाले को भी मिलना चाहिये। मैं तो अगर मुमकिन हो सकता तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि वे कर्मचारी जो कि यहां की देशी भाषाओं में और हिन्दी में काम करने वाले हैं उनको अंग्रेजी में काम करने वालों की अपेक्षा अधिक तनखाह आदि मिलनी चाहिये ताकि हमारी देशी भाषाओं को अधिक प्रोत्साहन मिले और वे उन्नति कर सकें। जो आप हिन्दी के एडिटर्स और सब एडिटर्स रखते हैं उनका रिक्तमेंट भी यू० पी० एस० सी० से करते हैं। उनसे काम भी ज्यादा लिया जाता है, वे अंग्रेजी का भी काम करते हैं और हिन्दी का भी काम करते हैं लेकिन तनखाहों के मामले में आप उनके साथ भेदभाव करते हैं और उनको अंग्रेजी वालों की अपेक्षा कम देते हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसके ऊपर गौर करें और ऐसी व्यवस्था करें ताकि तमाम एडिटर्स और सब एडिटर्स चाहे वह अंग्रेजी के हों अथवा किसी प्रादेशिक जवान के अथवा हिन्दी के उन सबका पे स्केल और ग्रेड एक हो।

मैं यह कहना चाहूंगा कि क्लासिकल म्यूजिक और लाइट म्यूजिक के क्षेत्र में भी आल इंडिया रेडियो प्रगतिशील काम कर रहा है, नृत्य कला के क्षेत्र में भी वह प्रगति पथ पर चल रहा है भले ही वह धीरे धीरे चल रहा हो। जब से हमारे देश से रजवाड़े गये तब से ऐसे कलाकारों की उपेक्षा होने लगी थी और उनकी खराब अवस्था हो गई थी। यह बड़े संतोष का विषय है कि इस काम को हमारा आल इंडिया रेडियो का सॉंग ऐंड ड्रामा डिवीजन सफलतापूर्वक चला रहा है और मैं समझता हूं कि हमारे देश में जहां कि फिल्मों ने आज इतनी अधिक उन्नति कर ली है और प्रधानता हासिल कर ली है वहां अपने पुराने जमाने के जो स्वांग होते थे गांव गोठों के अन्दर ओपेन ऐयर थियेटर्स में कला का प्रदर्शन होता था और जिनसे कि नरनारियों का मनोरंजन होता था वह बदकिस्मती से लोप होती जा रही है और गांव गोठों में इस प्रकार के प्रदर्शन देखने को नहीं मिलते हैं, परन्तु सॉंग ऐंड ड्रामा डिवीजन द्वारा रिवाइव करने का प्रयत्न हो रहा है और वह सराहनीय है और उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

अभी प्रेम इनफॉर्मेशन सर्विस के बारे में यह जिक्र किया गया था कि पी० टी० आई की अवस्था बहुत अच्छी नहीं है जब कि दूसरी तरफ से कहा गया कि उसकी अवस्था अच्छी है बहरहाल जो भी हो यह हकीकत है कि आज हमारे देश के अन्दर न्यूज सर्विस जितनी बढ़िया और विकसित होनी चाहिये उतनी अभी नहीं है। पी० टी० आई० एक ऐसी सर्विस है जिसने कि देश की आजादी से पहले और उसके बाद भी काफी सेवा की है। लेकिन मैं सोचता हूं कि आज हमारे देश के अन्दर इस तरह की सर्विसेज की और ज्यादा जरूरत है। पी० टी० आई० अकेले तमाम हिन्दुस्तान के लोगों को जितनी खुराक उनको मिलनी चाहिय वह नहीं दे सकता है। इसलिये ऐसी सर्विसेज की हिन्दी में और दूसरी देशी जवानों में कायम होने की जरूरत है। इस वास्ते मैं मंत्री महोदय को कहूंगा कि उसके लिये वह कोई उचित कदम उठाये।

मुझे अखबार में यह खबर पढ़ कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि यूनाइटेड सर्विस आफ इंडिया नामक एक नई सर्विस हिन्दुस्तान के अन्दर कायम हुई और वह तमाम अखबारों के अन्दर जो बाहर की खबरें देंगी। यह बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी सर्विस की स्थापना हो गई है लेकिन अभी उसका कोई दफ्तर या सब आफिसेज या प्रसार, प्रचार अथवा डिस्ट्रिब्यूशन का कोई उचित इंतजाम नहीं है। उन्होंने इसी बेसिस पर यह एनाउन्समेंट भी कर दिया है कि हमारे जो बहुत सारे इम्बैसीज हैं उन इम्बैसीज के अन्दर आपने यह इजाजत दे रखी है कि टेलीप्रिंटर से और बहुत सारी खबरें जो आती हैं उनको इम्बैसीज से ले लें और यह एजेंसी उन खबरों को तमाम हिन्दुस्तान के अखबारों को दे दे। मैं समझता हूं कि वह खबरें जो कि इस प्रकार से

[श्री राधा रमण]

फोरेन इम्बैसीज से मिलेंगी, इसप्रकार से जो खबरें छन कर आयेंगी उन खबरों को हमारे हिन्दुस्तान के अखबार लेंगे और यह शायद मुनासिब नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस पर जरा रोगनी डालें और बतलायें कि कहां तक यह बात सही है और अगर यह बात सही है तो इसका क्या असर हमारे देश के अखबारों पर पड़ेगा? जैसे कि मैंने कहा प्रेस इनफोरमेशन सर्विस हमारे मुल्क में होना लाजिम है क्योंकि हम चाहते हैं कि तमाम जनता को जो प्रगति हो जिस तरह से देश में तरक्की हो रही हो उन सब का आइडिया सब तक पहुंचायें तो यह जरूरी है कि हम एक ऐसी प्रेस एजेंसी कायम करें जो कि काफी तजुर्बा रखती हो और जो कि सफलतापूर्वक इस काम को अंजाम दे सके। हमारे मुल्क में अलग अलग ऐसे दफ्तर या डिस्ट्रिक्टिंग सेंटर्ज नहीं हैं, जहां मुस्तलिफ़ शहरों और गावों से सही किस्म की खबरें हासिल हो सकें और उन का प्रचार और प्रसार हो सके। ऐसी अवस्था में ऐसे लोगों को, जिन के पीछे कुछ कंट्रीज हैं, या कुछ ताकतवर असरात हैं, जिस की वजह से अपने मुल्क में सही खबरें नहीं दी जा सकती हैं, इस तरह की इजाजत देना और खबरों के प्रचार और प्रसार की आज्ञा मिलना एक सोचने की बात है और उससे बजाये फ़ायदे के नुकसान भी हो सकता है।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम में जो क्लासिकल, आरकैस्ट्रल और लाइट म्यूजिक है, उस में पैदा होने वाली स्टीरियो-टाइप्ड चीजों को रोकने की आवश्यकता है। जैसा कि श्री त्यागी ने जिक्र किया, बहुत सारी पब्लिकेशनज वेस्ट होती हैं और मेरा ख्याल है कि अगर हम उन को काट दें और उन की जगह पर छोटे छोटे पैम्फ्लैट्स शायद करें, तो ज्यादा फ़ायदा होगा और जो बहुत सारा रुपया उधर से बचेगा, उसको और जरूरी कामों में लगाया जा सकता है।

आल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम में बहुत सारे आइटम्ज ऐसे हैं—चाहे वे क्लासिकल म्यूजिक के हों और चाहे नान-क्लासिकल म्यूजिक के—जो स्टीरियो-टाइप्ड हो गये हैं और उन में कोई जान नहीं रह गई है। इस वजह से जनता पर उनका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। मेरा सुझाव है कि इस कार्यक्रम को इस तरह से तरतीब दी जाये और इकट्ठा किया जाये कि उस में कुछ जिन्दगी नज़र आये और वह लोगों के दिलो-दिमाग में घुसता चला जाये। अगर हमारे मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देंगे, तो अच्छा होगा।

चूंकि ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिये मैं इन मांगों का अनुमोदन करता हूँ और मंत्री महोदय को उन सब कार्यवाहियों के लिये, जो उनके मंत्रालय ने देश में प्रचार और प्रसार के सम्बन्ध में की हैं, पुनः बधाई देता हूँ।

श्री आसुर (रत्नागिरि) : सभापति महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो कुछ कार्य देश में किया है, उसके लिये मंत्री महोदय को धन्यवाद देना आवश्यक है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : किस को और क्यों?

श्री आसुर : आल इंडिया रेडियो ने विशेष तौर पर क्लासिकल म्यूजिक के बारे में जो कुछ कार्य किया है और वह जो सुन्दर और अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त उस की ओर से जो अच्छी अच्छी डाक्यूमेंटरीज तैयार करके देश भर में दिखाई जाती हैं, उन की भी प्रशंसा की जानी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : वे अंग्रेजी में होती हैं ।

श्री आसुर : इस विषय में कहा गया है कि वे अंग्रेजी में होती हैं और ऐसा नहीं होना चाहिये । अच्छी अच्छी डाक्युमेंटरीज का जीवन भाषा में निर्माण करना आवश्यक है ।

इस मंत्रालय ने जो अच्छे कार्य किये हैं, उनकी प्रशंसा करने के साथ साथ कुछ दोष बताना भी आवश्यक है । जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया है, सरकार की ओर से जो विज्ञापन दिये जाते हैं, वे केवल कांग्रेस के पेपर्स, या हमेशा सरकार की प्रशंसा करने वाला पेपर्स को ही दिये जाते हैं । मैं समझता हूँ कि यह नीति किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है । यह मंत्रालय एक प्रकार के पत्रों को ही विज्ञापन दे और दूसरे लोगों की तरफ ध्यान न दे, यह ठीक नहीं है । जो भी पेपर्स ठीक तरह से चलते हैं और सर्कुलेशन की दृष्टि से जिनकी स्थिति ठीक है, उन सब को विज्ञापन दिये जाने चाहिए । इस विषय में बहुत से प्रश्नों के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह बताने का प्रयत्न किया कि उनके मंत्रालय के सामने विज्ञापन देने के सम्बन्ध में एक क्राइटेरियन है । लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पेपर्स हैं, जिन पर कोई भी क्राइटेरियन लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको सरकारी विज्ञापन दिये जाते हैं, केवल इसलिये कि वे कांग्रेस के पेपर्स हैं और कांग्रेस का प्रचार करते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : कांग्रेस का कोई पेपर नहीं है । खासकर दिल्ली में कांग्रेस का कोई पेपर नहीं है ।

श्री नाथ पाई : सारे देश में भरे पड़े हैं ।

श्री आसुर : हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो डिस्ट्रिक्ट्स में पेपर्स हैं, वे उन्नति करें । उनको आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उन मुश्किलों को दूर करने का एक साधन यह है कि उनको सरकारी विज्ञापन दिये जायें । इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वह डेली पेपर्स और अन्य बड़े-बड़े पेपर्स के साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट पेपर्स को भी सरकारी विज्ञापन देने की कोशिश करें ।

त्यागी जी ने फिल्मों के बारे में बहुत बहस की । आज हमारे देश में जिस प्रकार की फिल्मों का निर्माण हो रहा है, उनकी बहुत चर्चा हुई है । आज अपने देश के लोगों में चरित्र-निर्माण, सचाई और देशभक्ति की भावनाएँ पैदा करना अत्यन्त आवश्यक है और यह काम आकाशवाणी और देश में बनाई जाने वाली फिल्में बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं । लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि हमारे देश में फिल्मों का निर्माण केवल पैसा कमाने के लिये किया जाता है और उनको पैसा कमाने का साधन मात्र समझा जाता है । उनको देश के लोगों में शिक्षा का प्रसार करने, उनमें देशभक्ति की भावना भरने और उनके चरित्र-निर्माण करने का साधन और माध्यम नहीं समझा जाता है । आज स्थिति यह है कि इन फिल्मों के द्वारा लोगों के चरित्र को उठाने नहीं, बल्कि गिराने का प्रयत्न किया जाता है । आज हमारे देश की फिल्में हाऊ टू लव एंड चाट आर इट्स टैक्नीक्स, यह बताने का साधन हो गई हैं । इस प्रकार की फिल्में दिखाने का नतीजा यह है कि अगर हम स्कूलों में जाकर लड़कों से बात-चीत करते हुए पूछते हैं कि हमारे देश में पंडित नेहरू कौन हैं, तो कोई विद्यार्थी नहीं बता सकता कि पंडित नेहरू कौन हैं, लेकिन वे यह बता सकते हैं कि नरगिस

[श्री आसर्]

कौन है। आज-कल की फिल्म इस प्रकार की भावनायें हमारे देश के लोगों और युवकों में पैदा कर रही हैं।

त्यागी जी ने बहुत से गीतों का जिक्र किया। उन गीतों का प्रति-दिन परिपाठ होता रहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के गीतों पर रोक लगाना आवश्यक है। मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि सेंसर बोर्ड इस बारे में क्या कर रहा है। वह इस बात का विचार नहीं करता है कि देश और समाज के हित के लिये किस प्रकार की फिल्में आवश्यक हैं। प्रश्न यह है कि वह क्यों इस प्रकार की फिल्मों का निर्माण होने देता है, जिनसे देश के युवकों के चरित्र को हानि पहुंचती है। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए देश के लोगों में चरित्र-निर्माण की आवश्यकता है, देशभक्ति का निर्माण करने की आवश्यकता है, भावी नागरिक का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से हमारे देश में फिल्मों का निर्माण होना चाहिए। हमारी महान् इतिहासिक परम्पराओं और आदर्शों को दृष्टि में रख कर पिक्चर्स का निर्माण करने की आवश्यकता है। मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना आवश्यक है।

मैं एक और गम्भीर और बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। मुझे पता लगा है कि फिल्म "मुगले आजम" में, जिसको प्रेजिडेंट्स एवार्ड दिया गया है, भारत का नक्शा दो बार दिखाया गया है, लेकिन वह नक्शा चीन के द्वारा बनाए गए नक्शे के समान है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारा सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था और क्या उस के ध्यान में यह बात नहीं आई कि "मुगले आजम" में दिखाया गया नक्शा वैसा ही है, जैसा कि चीन ने बनाया है। अगर यह बात ठीक है, तो इस बारे में ध्यान दिया जाये। इस विषय में मंत्रालय स्पष्टीकरण करे और आवश्यक कार्यवाही करे।

सूचना मंत्रालय में इकानोमिक दृष्टि से कुछ बातें करने की आवश्यकता है। वहां पर ड्राफ्ट्समैन और ट्रेसर्स की संख्या आवश्यकता से अधिक है। ऐसा होते हुए भी वहां पर प्रमोशन की पद्धति से बहुत असन्तोष फैला हुआ है। मुझे पता लगा है कि अनक्वालिफाइड ड्राफ्ट्समैन को अच्छे ट्रेसर्स से ज्यादा प्रमोशन मिलते हैं। समझ में नहीं आता कि यह क्या क्राइटेरियन है और क्या पद्धति है। इस नीति का परिणाम यह है कि वहां बहुत असन्तोष है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह कौन सी पद्धति प्रमोशन देने की है, किस तरीके से प्रमोशन दिए जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने ही आदमियों को प्रमोशन दे दिये जाते हैं और दूसरे लोगों के साथ, जिनकी वारी होती है या जो डिजर्व करते हैं, अन्याय किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि इस ओर भी माननीय मंत्री जी ध्यान दें।

पिछले पांच वर्षों से बड़ी संख्या में वाल्व और ट्रांसमिटर्स हमारे स्टोर्ज में पड़े हुए हैं। वे इसी तरह से पड़े हुए हैं और किसी काम नहीं आ रहे हैं। इसका कुछ जिक्र आडिट रिपोर्ट में भी किया गया है। मैं चाहता हूँ कि इसका भी कुछ स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी की ओर से किया जाए ताकि हमारी जो शंकाये हैं, वे दूर हो सकें।

अब मैं इंटेग्रल फोटो यूनिट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत से फोटो प्रिंट्स निकाले जाते हैं। हजारों की संख्या में इनको निकाला जाता है। बहुत कम का उपयोग होता है और बाकी जो बचते हैं इनको मुफ्त या वेस्ट के तौर पर बेच दिया जाता है। यह क्या इकोनोमी है? जितने प्रिंट्स की आपको आवश्यकता हो, उतने आप निकालें। जो वेस्ट

जाते हैं या वेस्ट के तौर पर जिनको आप बेचते हैं, उनको तैयार ही न करें। मैं समझता हूँ कि इस पर भी रोक लगाने की आवश्यकता थी। जितने प्रिंट्स की आपको आवश्यकता है, उतने ही आप तैयार करें तो काफी इकोनामी इसमें हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाएगा।

हमारे देश में सस्ते रेडियो सेट आने वाले हैं। महाराष्ट्र में इन सस्ते रेडियो सेट्स का उपयोग हो सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि वहाँ एक मीडियम वेव स्टेशन हो। औरंगाबाद में जो रेडियो स्टेशन था, उसके वहाँ से निकल जाने के बाद दूसरा कोई मीडियम वेव स्टेशन आज महाराष्ट्र में नहीं है। मुझे बताया गया है कि इस बारे में कुछ चर्चा हो रही है कि वहाँ एक मीडियम वेव स्टेशन खोला जाए और इसके लिए दो-तीन जगह आपके विचाराधीन हैं। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि इस स्टेशन के लिए धुलिया से अधिक उपयुक्त और कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती है। यह जगह भी आपके विचाराधीन है। मैं चाहता हूँ कि इसको स्वीकार कर लिया जाए और कोई दूसरा स्थान ढूँढने की कोशिश न की जाए।

बड़ौदा के लोगों की एक शिकायत है जिस को मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि उस को आप दूर कर देंगे। लोगों की यह शिकायत है कि वहाँ एक बहुत अच्छा हाई पावर्ड स्टेशन था जिस को और जिस की मशीनरी को बाद में वहाँ से हटा लिया गया और वहाँ एक लो पावर्ड स्टेशन चला दिया गया। अब मैं ने सुना है कि इस लो पावर्ड स्टेशन को भी वहाँ से हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम यह कहाँ तक सत्य है और सत्य है भी या नहीं है लेकिन अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि एक तरह से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट बड़ौदा के साथ किया जा रहा है। इस को रोका जाना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि बड़ौदा को फिर से एक हाई पावर्ड स्टेशन देने की कृपा की जाये।

एक बात मैं आर्टिस्ट्स के सिलेक्शन के बारे में कहना चाहता हूँ। गोरे साहब ने कहा है कि देश में अच्छे अच्छे आर्टिस्ट्स होते हुए भी उन को चांस नहीं दिया जाता है। जब हम आर्टिस्ट्स को रेडियो स्टेशन पर सुनते हैं तो पता नहीं चलता है कि आर्टिस्ट्स के लिये एक सिलेक्शन बोर्ड होते हुए भी कैसे इस तरह के आर्टिस्ट्स को चुन लिया जाता है जिन को सुन कर हमें परेशानी होती है, हमें मायूसी होती है। यह जो स्थिति है, इस को बदलना होगा। देश में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट्स हैं और उन के होते हुए इस तरह के आर्टिस्ट्स को कैसे चुन लिया जाता है? ऐसा मालूम होता है कि इस में कुछ गड़बड़ी है, कुछ दाल में काला काला है। यह जो स्थिति है, इस को हमें बदलना होगा। अच्छे अच्छे गाने गाने वालों को न चुन कर, उन को चुन लिया जाता है जो अच्छी तरह से गा भी नहीं सकते हैं। हमें चाहिये कि हम आर्टिस्ट्स के चुनाव में बहुत होशियारी से काम लें। आज तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बहुत अच्छा और प्रशंसनीय कार्य किया है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो दोष हैं, इन को भी दूर करने का प्रयत्न किया जाये।

वितरण संस्थाओं के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में वितरण संस्थाएँ बहुत ही कम हैं और विशेष कर हिन्दी के क्षेत्र में कार्य करने वाली वितरण संस्थाएँ तो हैं ही नहीं। केवल एक संस्था है, हिन्दुस्तान समाचार। गोरे साहब ने इस का जिक्र किया है और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की है कि इस की शिकायतों को दूर किया जाना चाहिये। यह संस्था हिन्दुस्तान के छोटे छोटे गांवों में जाती है, रूरल इंडिया में जाती है जहाँ पर कि पी० टी० आई० नहीं जा सकती और वहाँ जा कर और न्यूज़ इकट्ठा कर के यह संस्था प्रशंसनीय कार्य कर रही है। मैं चाहता हूँ कि इस संस्था को अच्छी तरह से सहायता देने का

[श्री आसार]

प्रयत्न आप की तरफ से हो। इस संस्था को बढ़ाना आवश्यक है। इस दृष्टि से इस की जो शिकायतें हैं, उन को दूर करने का प्रयत्न आप की तरफ से किया जाना चाहिये और इस संस्था को एक आदर्श वितरण संस्था बनाया जाना चाहिये।

†श्री आसार हरबानी : संसदीय लोकतंत्र शासन में मंत्रिमण्डल का गठन भी कुछ स्वस्थ परम्पराओं के आधार पर किया जाना चाहिये, परन्तु मुझे खेद है कि भारत में ऐसा नहीं किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के स्थान को ऊंचा कर के उसे मंत्रिमण्डल के स्टेटस तक ले आना चाहिये, ताकि उस का सुधार किया जा सके।

जहां तक प्रकाशन का सम्बन्ध है, प्रकाशन का सारा काम इस मंत्रालय को सौंपने की अपेक्षा सभी मंत्रालयों ने अपने अलग अलग प्रकाशन विभाग बना रखे हैं और अपनी पुस्तिकाओं का प्रकाशन अपने विभागों में ही करते हैं जिस से बड़ी अव्यवस्था सी पैदा हो गई है। होना तो यह चाहिये कि सभी मंत्रालयों से सम्बन्ध रखने वाले प्रकाशनों का काम सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंप दिया जाये। हमें ऐसी विधि बनानी चाहिये जिस के द्वारा इन दोनों सभाओं के बीच घृणा की भावना फैलाने वाले समाचार पत्रों को बन्द करने तथा उन का लाइसेंस वापिस लेने का अधिक प्रेस रजिस्ट्रार के पास हो।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न साधनों को राष्ट्रीय एकता के हालात पैदा करने के लिये अधिक सतर्क रहना चाहिये। ईद के अवसर पर आयोजित समारोह में रेलवे मंत्री तथा राष्ट्रपति ने भाग लिया, जिस का संसार के देशों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है कि भारत में मुसलमानों के प्रति कितना अच्छा बर्ताव किया जाता है। परन्तु सूचना और प्रसारण मंत्री ने उस का तनिक भी प्रचार नहीं किया। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में वे ऐसे अवसरों का लाभ उठा कर उन का खूब प्रचार किया करेंगे।

पहले मैं आकाशवाणी का आलोचक था, परन्तु अब पिछले एक दो वर्षों में इस में काफी सुधार हुआ है। शास्त्रीय संगीत पर पहले आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता था। अब विश्व भारती लोकप्रिय कार्यक्रम देता है। उर्दू की भी अब अवहेलना नहीं की जाती। मैं आशा करता हूं कि उर्दू मजलिस को अधिक लोकप्रिय बनाया जायेगा और इस का विस्तार किया जायेगा, ताकि इस सुन्दर भाषा का रसास्वादन लोग कर सकें।

पंचवर्षीय योजनाओं के प्रचार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, परन्तु अभी तक लोगों में इन योजनाओं के महत्व का ज्ञान पैदा नहीं हुआ है। हमारे लोगों को रूस और चीन की योजनाओं का ज्ञान हमारी अपनी योजनाओं की अपेक्षा अधिक है। अब मैं आशा करता हूं कि अपनी योजनाओं के प्रति लोगों की रुचि पैदा करने की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

मैं यह नहीं मानता कि विज्ञापन देने के बारे में हमारा मंत्रालय दलबन्दी के आधार पर पक्षपात करता है। परन्तु इतनी बात अवश्य है कि जिस ढंग से हमारे विशाल विज्ञापन विभाग को काम करना चाहिये यह उस ढंग से काम नहीं करता। हमारे पास विज्ञापन के सब साधन होते हुए भी हम बाहरी विज्ञापन अभिकरणों पर अधिक निर्भर रहते हैं और उन पर खूब धन खर्च करते हैं। यह दुख की बात है। वे हमारे द्वारा तैयार किया गया विज्ञापन दे कर सरकार से और प्रेस से मुफ्त में

कमीशन कमाते हैं। अतः मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे सीधे विज्ञापन दिलवाने की पद्धति को अपनायें और विदेशी अभिकरणों का सहारा न लें।

फिल्म डिवीजन की हम सराहना करते हैं कि उन्होंने कई अच्छे प्रलेख चित्र तैयार किये हैं। किन्तु इस के काम का विस्तार होना चाहिये और इसे पूरी फिल्मों भी तैयार करनी चाहिये।

चलचित्र, वित्त निगम फिल्म उत्पादकों की सहायता के लिये बनाया गया है और मैं समझता हूँ कि इस से हमारी फिल्मों का स्तर ऊँचा उठाने में सहायता मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि सरकार और अन्य संगठन इस निगम को अधिक आर्थिक सहायता देते रहेंगे।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया तथा समाचार अभिकरणों के एकाधिकार के बारे में बहुत कहा गया है। हमें इस समय अनुभव करना चाहिये कि समाचार अभिकरणों का एकाधिकार समाप्त होना चाहिये। यह बात गलत है कि पी० टी० आई०, जिस पर कुछ समाचार पत्रों के मालिकों का कब्जा है, हानि उठा रहा है। कई वर्ष पूर्व एक प्रेस आयोग बनाया गया था, जिसने सुन्दर प्रतिवेदन दिया था। यदि इस की अधिकांश सिफारिश मान कर उन्हें कार्यरूप में परिणत किया जाता तो प्रेस का एकाधिकार कम किया जा सकता था। मैकमिलन की सरकार भी प्रेस के एकाधिकार की ओर ध्यान दे रही है। या तो हम अपने आप को विवश अनुभव करते हैं, अथवा हम एकाधिकारवादी प्रेस मालिकों के प्रभाव में इतने अधिक हैं कि हम एकाधिकार को कम करने की कार्यवाई करने का साहस नहीं कर सकते। मैं विश्वास करता हूँ कि माननीय मंत्री, जैसा कि उन्होंने पहले श्रमजीवी पत्रकारों की सहायता करके हमारी पत्रकारिता के स्तर को ऊँचा उठाया है, अब ऐसी कार्यवाई करेंगे जिस से एकाधिकार समाप्त हो और छोटे समाचार पत्र पनप सकें क्योंकि जब ऐसा होगा तभी संसदीय प्रजातंत्र का भविष्य उज्ज्वल हो सकेगा।

हमारा प्रकाशन विभाग निस्सन्देह कुछ अच्छा साहित्य तैयार कर रहा है। किन्तु इसमें और सुधार किया जा सकता है और पढ़ने योग्य, लोकप्रिय तथा छोटा साहित्य पैदा किया जा सकता है जो लोगों तक पहुँच सके और जिस से उन में स्वतंत्रता की भावना जागृत हो।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूँ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६१	३८६	श्री मो० ब० ठाकुर	भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि सब संवाददाताओं को समाचार पत्रों को समाचारों के पूर्व संकेत दिये जाने और सम्मेलनों में बुलाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	६७६	श्री तंगामणि	संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के बिना उत्पादन प्दालि में मनमानी नियुक्तियां	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६१	६८०	श्री तंगामणि	कार्यक्रम अफसरों के स्थानांतरण एवं पदोन्नतियों का तरीका	१०० रुपये
६१	६८१	श्री तंगामणि	तामिल और तेलगु में फीचर फिल्मों को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	६८२	श्री तंगामणि	तीसरी योजना अवधि में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में टेलीविजन यूनिट लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	६८३	श्री तंगामणि	मदुरै में प्रसारण स्टेशन खोलने में विलम्ब	१०० रुपये
६१	६८४	श्री तंगामणि	'मार्च आफ इंडिया' में लेखों को सुधारने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	६८५	श्री तंगामणि	'मार्च आफ इंडिया' में लेख भेजने के लिये योग्य व्यक्तियों के उपयोग की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	६८६	श्री तंगामणि	आकाशवाणी के मान्य सब-एडिटों के वेतन क्रम बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुप
६१	६८७	श्री तंगामणि	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को, संविदा आकार समाप्त कर के, विभाग के साथ मिलाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	६८८	श्री तंगामणि	आकाशवाणी के सब अनाउंसों को विभागीय पदालि में मिलाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	६८९	श्री तंगामणि	समाचारपत्रों को विज्ञापन देने के मामले में भेद भाव	१०० रुपये
६१	६९०	श्री तंगामणि	सब मान्य तामिल दैनिक पत्रों को विज्ञापनों का न दिया जाना	१०० रुपये

भाग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६१	१०२२	श्री खुशवक्त राय	आगामी निर्वाचनके समय सब मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आकाशवाणी के द्वारा प्रसारण की सुविधा देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६२	३६०	श्री मो० ब० ठाकुर	सरकार की सफलताओं और लक्ष्यों के बढ़ा चढ़ा कर किये जाने वाले प्रचार को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
६२	३६१	श्री मो० ब० ठाकुर	सब राजनीतिक दलों सम्बन्धी समाचारों के प्रसारण की आवश्यकता	१०० रुपये
६२	३६२	श्री मो० ब० ठाकुर	विदेशी सेवाओं पर विशेषकर यूरोप के लिये फिल्मों के गीतों के प्रसारण की आवश्यकता	१०० रुपये
६२	३६३	श्री मो० ब० ठाकुर	विभिन्न प्रकार के संगीत और नाटक के प्रसारण की आवश्यकता	१०० रुपये
६२	३६४	श्री मो० ब० ठाकुर	विभिन्न कार्यक्रमों में सब भारतीय भाषाओं विशेषकर सिन्धी को उचित महत्व देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६२	३६५	श्री मो० ब० ठाकुर	लोगों को धीरे धीरे राष्ट्र भाषा समझाने के लिये आकाशवाणी के सब केन्द्रों से हिन्दी के कार्यक्रम देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६२	३६६	श्री मो० ब० ठाकुर	राज्य स्तर पर सब राजनीतिक दलों के परामर्श से प्रति वर्ष २६ जनवरी के लिये सर्वोत्तम कार्यक्रम चुनने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६२	६६१	श्री तंगामणि	संसद् तथा राज्य विधान मंडलों के विरोधी दलों की कार्य-वाहियों को आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में उचित महत्व देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६२	६६२	श्री तंगामणि	कलकत्ता रेडियो स्टेशन द्वारा होली से पहले एक महत्वपूर्ण दिन 'घोली यात्रा' को उचित महत्व न दिया जाना	१०० रुपये
६२	६६३	श्री तंगामणि	सामूहिक गान के लिये प्रत्येक प्रादेशिक भाषा के कम से कम एक गीत को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६२	६६४	श्री तंगामणि	१९४० और १९५० के बीच भर्ती किये गये कर्मचारी वृन्द को आकाशवाणी के विकास में उनके द्वारा किये गये आधार-भूत काम के लिये प्रोत्साहन देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६२	६६६	श्री म० क० कुमारन	विरोधी दलों के सदस्यों को आकाशवाणी पर वार्ता देने के लिये अवसर देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६२	१०००	श्री म० का कुमारन	आकाशवाणी के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	१०० रुपये
६२	१००१	श्री म० क० कुमारन	प्रादेशिक समाचार जुटाने के लिये अधिक संवाददाता भर्ती करने की जरूरत	१०० रुपये
६२	१००२	श्री म० क० कुमारन	आकाशवाणी द्वारा किये जाने वाले प्रचार का स्वरूप	१०० रुपये
६३	६६५	श्री तंगामणि	पूना में हाल में खोली गई चलचित्र अनुसंधान संस्था में अनावश्यक व्यय	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६३	१००३	श्री म० क० कुमारन	समाचार पत्रों को विज्ञापन देने की प्रक्रिया	१०० रुपये
६३	१००४	श्री म० क० कुमारन	समाचार पत्रों से पूंजीपतियों का नियंत्रण हटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६३	१००५	श्री म० क० कुमारन	मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का गुण प्रकार बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६३	१००६	श्री म० क० कुमारन	चिल्ड्रन्ज हिस्टरी आफ इंडिया में ऐतिहासिक तथ्यों को छपाना	१०० रुपये
६३	१००७	श्री म० क० कुमारन	समाचार पत्रों का नियंत्रण करने वाले बहु पत्र इकाइयों के वर्गों और शृंखलाओं की संख्या में वृद्धि को रोकने की जरूरत	१०० रुपये
६३	१००८	श्री म० क० कुमारन	प्रेस आयोग की सिफारिश के अनुसार अखिल भारतीय प्रेस परिषद् का स्थापित न किया जाना	१०० रुपये
६३	१००९	श्री म० क० कुमारन	समाचार पत्रों में ज्योतिष सम्बन्धी भविष्यवाणियों के प्रकाशन के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६३	१०१०	श्री म० क० कुमारन	राष्ट्रीय परियोजनाओं पर प्रेस दौरे आयोजित करने की व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

सभापति महोदय : ये सब कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

श्री बजरज सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति जी, इस मंत्रालय को आसानी से मंत्रियों का प्रचार मंत्रालय कहा जा सकता है । मुझे दुःख है कि मुझ से पूर्व के वक्ताओं ने इस मंत्रालय को बधाई दी । मैं उनके साथ नहीं हो सकता । इसलिये नहीं कि इस मंत्रालय की कार्रवाइयों से मुझे असन्तोष मात्र होता है, बल्कि मैं यह इसलिये कह रहा हूँ कि यह मंत्रालय अपने किसी भी काम को पूरा करने में

[श्री ब्रजराज सिंह]

असफल रहा है। मुझे ताज्जुब होता है जब मंत्री महोदय इस सदन में इस तरह की बात कहते हैं कि उनका काम यह नहीं है कि जो संविधान के अन्दर व्यवस्थाएं दी हैं। अंग्रेजी को हटा कर भारतीय भाषाओं का प्रसार करने के संबंध में, उनको लागू करने की आवश्यकता का प्रचार करें। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि सूचना और प्रसार मंत्रालय इस काम के लिये नहीं है तो देश के संविधान के अन्दर की जो व्यवस्थाएँ हैं उनका वे आदर कर रहे हैं या निरादर कर रहे हैं। जब यह बात कही जाती है तो मुझे याद आता है वह दिन जब सूचना तथा प्रसार मंत्री ने आज से दो साल पहले १६ दिसम्बर, १९५८ के दिन एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि हम राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और संसद् सदस्यों के जो हिन्दी भाषण हैं उनको मूल रूप में ही सम्पादित करके ब्राडकास्ट करने का प्रयत्न आल इंडिया रेडियो द्वारा कर रहे हैं। इस बात को आज दो साल से ऊपर होने को आते हैं। मैं यहां संसद् में आल इंडिया रेडियो से दो तीन फरलांग की दूरी पर बोलता हूं, लेकिन मेरे भाषण का पहले अंग्रेजी में अनुवाद होता है और उसका फिर हिन्दी में अनुवाद करके उसको देश को सुनाया जाता है, लोगों को मेरा भाषण मूल रूप में नहीं सुनाया जाता। मैं कहता हूं कि यह इस सरकार की कैसी नीति है कि संसद् में आल इंडिया रेडियो स्टेशन से तीन फरलांग की दूरी पर जो भाषण होता है उसको मूल रूप में प्रसारित नहीं किया जाता। इसके बारे में कहा गया कि अभी हमारे पास आर्थिक साधन नहीं हैं इसलिये हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते, आर्थिक साधन विकसित हो जाने पर हम ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे। यह १६ दिसम्बर सन् १९५८ की बात है। क्या अभी तक सरकार के आर्थिक साधन इतने अच्छे नहीं हो पाये हैं कि इस काम के लिये धन निकाल पाय और इस छोटी सी चीज को कर सकें।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की यह नीति मालूम होती है कि वह इस सुविधा को कुछ लोगों तक ही सीमित रखने का विचार रखता है। न सिर्फ आल इंडिया रेडियो बल्कि पी० आई० बी० जिसका बहुत बड़ा संगठन है, वह भी यही काम करता है। प्रैस इनफार्मेशन ब्यूरो केवल मंत्रियों के भाषणों को लेकर अखबारों को देता है। और अखबारों को यह सूचना देता है कि मंत्री महोदय आज यहां से वहां जा रहे हैं और फिर वहां जा रहे हैं। यह काम एक जनतंत्र में शोभाजनक नहीं मालूम होता। मंत्री लोग जो कि महात्मा गांधी के पदचिह्नों पर चलने का दावा करते हैं वे इतने नीचे चले गये हैं कि वे भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी की तरफ लोग देखते थे प्रेरणा पाने के लिये और आज मंत्रियों की हालत यह है कि यह चाहते हैं कि हमारे लिये हमारा प्रचार करने पर करोड़ों रुपया खर्च हो जाय और जनता को यह सूचना दी जाये कि आज यहां जा रहे हैं कल वहां जा रहे हैं।

मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि पिछले दिनों हमारे प्रधान मंत्री जी जो राष्ट्रसंघ गये थे और उन्होंने वहां अपना भाषण दिया था उसको उसी वक्त हिन्दुस्तान में प्रसारण करने के लिये विशेष व्यवस्था की गयी थी। शायद यह व्यवस्था उन्होंने इसलिये की कि उनको इसके लिये प्रशंसा मिले। मैं जानना चाहूंगा कि यह व्यवस्था करने पर कितना खर्चा हुआ। हिन्दुस्तान एक गरीब मुल्क है। वह इस प्रकार की फिजूलखर्ची बरबास्त नहीं कर सकता। अगर इतना रुपया खर्च करके यह व्यवस्था करने के बजाय दूसरे दिन ही लोग इस भाषण को सुन लेते तो क्या कोई नुकसान हो जाता। यह सही है कि उस अवस्था में इतनी अच्छी तरह से प्रचार न हो पाता।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यह लम्बा भाषण था और मुझे प्रसन्नता है कि यह प्रसारित किया गया।

श्री ब्रजराज सिंह : आपको टिकट जरूर मिलेगा।

मूल अंग्रेजी में

श्री अन्सार हरवानी (फतेहपुर) : शायद आपकी सीट ही के लिये मिल जाये।

श्री बजरज सिंह : अपनी सीट के लिये तो मैं सबको नियंत्रण देता हूँ।

तो मैं यह उदाहरण दे रहा था कि यह सिद्ध करने के लिये कि आल इंडिया रेडियो, पी० आई० बी०, फिल्म डिवीजन और इस विभाग की जो दूसरी शाखाएँ हैं उन सबका केवल यही काम रह गया है कि सरकार के कुछ लोगों का प्रचार हो जाये और इस प्रकार जनता पर यह विचार थोपा जाये कि इनके सिवा देश में और कोई नहीं है। मैं पूछता हूँ कि आल इंडिया रेडियो की जो प्रसारण नीति है उसमें कौनसा आधार है। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल या कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहते हैं। उनकी कोई सभा हो, कोई मीटिंग हो कोई कमेटी हो उसका आल इंडिया रेडियो पर जिक्र नहीं होता।

कहा जा सकता है कि प्रसारण करते समय यह देखा जाता है कि किसका कितना महत्व है उसको उतना महत्व दिया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपही जज हैं और आपही मुलजिम हैं तो सही न्याय किस प्रकार हो सकता है। आप चाहे जो कह सकते हैं। अगर न्याय करना है तो इसकी जांच करने के लिये कोई दूसरा आदमी होना चाहिये जो कि यह देखे कि किस दल का कितना महत्व है। अगर इस चीज को बिना देखे आप प्रसारण करें तो यह मुनासिब नहीं हो सकता।

मैं अब कुछ विशेष बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आपके रजिस्ट्रार ऑफ प्रेस की रिपोर्ट छपी है। उससे साफ जाहिर है कि कुछ अखबारों के ग्रुप और चेंस बन रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर यह चीज देश के लिये हानिकारक है तो आप इसको रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं करते। यह कहा जा सकता है कि ऐसा करने का हमें अधिकार नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके पास यह अधिकार है। टाइम्स आफ इंडिया की एक चेन है और इंडियन एक्सप्रेस की एक चेन है। इन दोनों श्रृंखलाओं ने अभी हाल में दो आर्थिक दैनिक पत्र निकाले हैं, एक इकॉनॉमिक टाइम्स है और दूसरा फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े अखबारों के लिये आपने न्यूजप्रिंट की व्यवस्था कैसे कर दी और अभी से आप इनको विज्ञापन भी देने लगे। दूसरे अखबारों का यह हाल है कि अगर कोई छोटा अखबार जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर हिन्दी में निकालना चाहता है तो आप उसके सामने यह शर्त रखते हैं कि तुम यह सरटिफिकेट दो कि तुम ने ६ महीने तक यह अखबार निकाला है तब तुम्हारे लिये न्यूजप्रिंट की व्यवस्था की जायेगी। लेकिन इकॉनॉमिक टाइम्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिये इतनी बड़ी तादाद में न्यूजप्रिंट कहाँ से आ रहा है यह मैं जानना चाहता हूँ। एक तरफ तो हम देखते हैं कि ग्रुप बन रहे हैं, चेंस बन रही हैं और दूसरी तरफ आप उनको सारी सुविधायें दे रहे हैं। इससे तो यह नतीजा निकाला जा सकता है कि आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में ऐसे पेपर्स की चेंस बनें। जो कि देश के लोगों के विचार पर कब्जा रखना चाहते हैं।

दूसरे आपकी यह नीति है कि आप चार ६ पेपर्स को चुन लेते हैं और उनको ही प्रोत्साहन देते हैं। उन्हीं के लोगों को पी० आई० बी० भी समाचार आदि देता है। जब योजना के संबंध में डाक्यूमेंट प्रकाशित होने को होते हैं तो उनको ही दिये जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिस भाषा के हटाने के लिये संविधान में व्यवस्था है, सरकार का नीति है कि अंग्रेजी को हिन्दुस्तान से जाना है और जब देश के चार्लस लाख से ज्यादा लोग हाई स्कूल जितनी अंग्रेजी नहीं जानते तो फिर आप अंग्रेजी पत्रों को इतनी बड़ी रकमों के विज्ञापन क्यों देते हैं। हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं के

[श्री ब्रजराज सिंह]

अखबारों को आप ये विज्ञापन क्यों नहीं देते जो कि भखों मर रहे हैं। अब समय आ गया है जब अंग्रेजी पत्रों को विज्ञापन देना बिल्कुल बन्द कर दिया जाये। मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप वास्तव में संविधान की व्यवस्थाओं का आदर करते हैं तो आपको अंग्रेजी प्रेस को प्रोत्साहन न देकर हिन्दी या दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के पत्रों को प्रोत्साहन देना चाहिये और जिन चीजों का आम जनता से संबंध हो उनको उन पत्रों में छापना चाहिये। आप चाहते हैं कि ज्यादा अन्न उगाया जाये और इस चीज को छापते हैं अंग्रेजी पत्रों में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके बाबू जो अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं वे अन्न उगायेंगे देश में अंग्रेजी पढ़े लिखे तो अन्न उगाने का काम ही नहीं करते। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको अपनी नीति को बदलना चाहिये ताकि जो आप लाखों रुपया खर्च करते हैं वह व्यर्थ न जाये जैसा कि इस समय हो रहा है और उससे देश के लोगों को लाभ पहुंचेगा।

आज पी० आई० बी० की यह शक्ल हो गयी है कि उसका कोई विशेष उपयोग नहीं रह गया है। इस पर लाखों रुपया खर्च होता है। क्यों न आप इसको खत्म कर दें और यह रुपया बचा लें जिसको कि उस काम पर खर्च किया जाये जिसके लिये आप सन् १९५८ से कह रहे हैं कि हमारे पास रुपया नहीं है। इससे आप यह व्यवस्था कर सकते हैं कि जो स्पीचेज हिन्दी में होती हैं उनको मूल रूप से प्रसारित किया जा सके।

इसी के साथ साथ मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी फिल्मों के बारे में क्या नीति है। बड़ी बात कही जाती है कि आपका फिल्म डिवीजन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं यह दलील के लिये मान भी लेता हूँ। लेकिन इस फिल्म डिवीजन के अतिरिक्त एक चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी है उसको आप अनुदान देते हैं। इसको आपने सन् १९६०-६१ में ६ लाख २५ हजार रुपया दिया। सन् १९५९-६० में उसको आपने ६ लाख ५ हजार २६ रुपया दिया और इस साल यात्री सन् १९६१-६२ में उसके लिये दस लाख ५० हजार पया रखा है। यह एक प्राइ ट सोसाइटी है बल्कि वह एक इंडीवीजुअल है। इसके लिये इतना रुपया देने की क्या जरूरत है जबकि आपके पास अपना फिल्म डिवीजन मौजूद है। आप कहते हैं कि यह फिल्म सोसाइटी बच्चों के लिये फिल्म बनाती है और इसलिये हम इसको रुपया देते हैं। इस के अतिरिक्त आप कहते हैं कि यह दस नये पैसे से २५ नये पैसे तक लेकर बच्चों को फिल्में दिखाती है। मेरी सूचना है कि यह जो सोसाइटी है यह ६२ नये पैसे प्रति बच्चे के लेकर फिल्म दिखाती है।

मेरे पास इस चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी द्वारा प्रकाशित फिल्मों के सम्बन्ध में एक पुस्तिका है जिसमें कि प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की फोटू छपी हुई है। इस चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी के प्रोड्यूसर श्री महेन्द्र नाथ हैं जिनकी कि इस सोसाइटी को सरकार ने काफी धनराशि स्वीकृत की हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आखिर इस सोसाइटी के कामकाज के बारे में कोई जांच पड़ताल भी की जाती है कि नहीं कि उसका क्या हिसाब किताब है इस सोसाइटी के हिसाब किताब की खर्च आदि की ससद् में कोई रिपोर्ट भी आती है या नहीं? हमारा भारतवर्ष एक गरीब देश है और उसके पास इतना रुपया फालतू नहीं है कि वह १०, १० लाख रुपया इस तरह की प्राइवेट सोसाइटियों को जिन्दा रखने के लिये दे सके। मैं इस चीज से इंकार नहीं करता कि हिन्दुस्तान में बच्चों के फिल्मों की जरूरत है और हमारे देश में बालकोपयोगी चित्रों का निर्माण अधिकाधिक होना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि खुद सरकार का फिल्म डिवीजन बालचित्र बनाता रहता है और उसके काम की प्रशंसा भी की गई है कि वह अच्छा काम कर रहा है, उसके ही जरिए यह बच्चों के फिल्म

बनाने का काम क्यों नहीं कराया जाता? मेरा तो निश्चित मत है कि इस तरह की प्राइवेट संस्थाओं को इतना अधिक रुपया देने की जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय जरा इस पर प्रकाश डालें कि यह सोसाइटी क्या है उसका हिसाब किताब क्या है और उसको जो रुपया दिया गया है वह किस तरीके से खर्च हुआ है और सरकार का उस सोसाइटी पर क्या कंट्रोल अथवा अंकुश है।

फ्रीडम आफ प्रेस का जहां तक सवाल मैं फ्रीडम आफ प्रेस की बहुत इज्जत करता हूं और चाहता हूं कि उनकी यह फ्रीडम हमेशा कायम रहे और उसमें कोई दखल न दे लेकिन जिस तरीके से हम चल रहे हैं क्या इससे वाकई फ्रीडम आफ प्रेस सुरक्षित होती है? जहां तक भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों का सम्बन्ध है उनकी दशा बड़ी शोचनीय है। मैं जानना चाहता हूं कि टेलीप्रिंटर की व्यवस्था करने की तरफ यह मंत्रालय क्या ध्यान दे रहा है और क्या कोशिश कर रहा है जिससे कि भारतीय भाषाओं में टेलीप्रिंटर अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी बन सकें और समाचारों का प्रसारण शीघ्रता से हो सके? इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि भारतीय भाषाओं का उद्धान और विकास हो तो फिर भारतीय भाषाओं की कोई न्यूज सर्विस अथवा समाचार समिति बनाने की ओर या उसका विकास करने की ओर क्या ध्यान दिया जा रहा है?

हिन्दुस्तान समाचार समिति की तरफ कई सदस्यों ने मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है। मैं चाहूंगा कि हिन्दुस्तान समाचार समिति को मदद तो मिले ही लेकिन उसी के साथ किसी अन्य बड़ी समाचार समिति बनाने की भी आवश्यकता है जिससे कि सभी भारतीय भाषाओं के विकास में और उनके समाचार प्रसारण में और उनके वितरण की कार्यवाही सलतापूर्वक की जा सके। लेकिन जब भी यह प्रश्न मंत्री महोदय के सामने आयेगा तो उनकी तरफ से इसके लिए यह जवाब दे दिया जायेगा कि हमारे पास इसके लिए पैसा नहीं है। आपके पास चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी को साढ़े दस लाख रुपया देने को मौजूद हैं और इसी तरह की अन्य बीसियों फिजूलखर्चियों को करने के वास्ते आपके पास रुपया मौजूद है लेकिन इस तरह के एक उपयोगी कार्य को करने के लिए आपके पास रुपया नहीं रहता है। अगर मेरे पास समय होता तो मैं साबित कर के दिखला देता कि आपके पास इसको करने के लिए यथेष्ट रुपया मौजूद है। मैं यह साबित करने को तैयार हूं कि आज इस मंत्रालय के द्वारा करोड़ों रुपया बेकार में खर्चा किया जाता है जिससे कि देश की जनता को कोई लाभ नहीं होता है लेकिन आप के पास इस तरह की समाचार समिति की स्थापना के लिए रुपया नहीं है।

कुछ सदस्यों की तरफ से यह कहा गया है कि पी० टी० आई० में फाइनेशिएल ब्रेकडाउन है। मैं उसका विरोध करता हूं। उसकी रिपोर्ट ने यह दिखा दिया है कि उसमें लाभ है वह सर्विस लाभ में चल रही है मैं कदना चाहूंगा और चेतावनी देना चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि आखिर इस तरह की गलत बात पी० टी० आई० के बारे में कुछ लोगों ने क्यों फैलायी है। क्या आप चाहते हैं कि वह पी० आई० बी० और आल इंडिया रेडियो की तरह आपके प्रचार का साधन मात्र बन कर रह जाये? हम देखते हैं कि पी० आई० बी० और आल इंडिया रेडियो जिस तरह से सरकारी प्रचार का साधन बने हुए हैं। अगर कहीं मंत्री महोदय तशरीफ ले जाते हैं और उनकी बात सुनने के लिए कहीं से दो, चार लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका वह प्रचार करते हैं लेकिन अगर कोई विरोधी दल का नेता हजारों आदिमियों की मीटिंग भी एड्रेस करे तो उसका प्रचार नहीं किया जाता है।

[श्री ब्रजराज सिंह]

इस मंत्रालय में एक फोटो फिल्म सैंक्शन भी काम कर रहा है । वह भी पूरी तरह से और मैं कहूंगा कि भोंडे तरीके से गवर्नमेंट की प्रचार एजेंसी की तरह से काम कर रहा है । उसमें हमारे मंत्रिगणों के कहीं नाचते हुए फोटू निकलते हैं तो कहीं उनके हंसते हुए फोटू निकलते हैं एक भांडपन सा उनमें दिखता है इस तरह के तरह-तरह के अपनी विभिन्न मुद्राओं के फोटू छाप कर मंत्री लोग पत्रों के लिए देते हैं तो मेरा उनसे कहना है कि अपने प्रचार और पब्लिसिटी के लिए इतना नीचे मत गिरिये और इस तरह के भांडपन पर मत उतरिये । यह आपको कदापि शोभा नहीं देता है ।

अब समय आ गया है जब इस मंत्रालय की गतिविधियों पर अच्छी तरह से अंकुश लगाना चाहिए और इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वह सही मायनों में अपने कर्तव्य का पालन कर सके । मेरा सुझाव है कि ऐसा अंकुश रखने के हेतु संसद् के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाये जोकि इन गतिविधियों पर निगाह रखे ।

आल इंडिया रेडियो द्वारा ब्रजभाषा का प्रचार करने के लिए आप ने एक ऐसे व्यक्ति को रक्खा हुआ है जिसका कि गांवों से कोई सम्बन्ध नहीं है । वह एक शहरी आदमी है और वह जानते नहीं कि ब्रजभाषा क्या है । जो वाकई वहां के लोग हैं और जोकि लोकगीत गा सकते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है ।

इस मंत्रालय के खर्च की मांगों को देखने से पता चलता है कि इस मंत्रालय में कलाकारों के भत्ते पर कीब करीब एक करोड़ रुपया खर्च होगा लेकिन यह नहीं देखा जा रहा है कि वह रुपया किस तरीके से खर्च किया जाता है और उसका सही उपयोग भी हो रहा है कि नहीं आज इस मंत्रालय में जो फिजूलखर्ची चल रही है यह देश को बनाने का तरीका नहीं है ।

मैं इसी सम्बन्ध में आपको बतलाऊं कि हिन्दी फिल्म मुगले आजम के निर्माता श्री आसिफ को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ओर से इस फिल्म का अंग्रेजी संस्करण निकालने के लिये पया दिया जा रहा है ताकि मुगले आजम फिल्म अंग्रेजी भाषा में महारानी एलिजाबेथ को दिखाया जा सके । उसके लिये लाखों रुपया हमारा खर्च किया जायेगा । जब महारानी यहां भारत में थीं तब वह अंग्रेजी का प्रिंट तैयार नहीं हो सका था इसलिये अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय अंग्रेजी में इस मुगले आजम को तैयार करवा कर इंग्लैंड भेजेंगे जहां कि यह महारानी एलिजाबेथ को दिखाया जायेगा । इस तरह से देश की गाढ़ी कमाई का पैसा मुगले आजम का अंग्रेजी में प्रिंट बनाने के लिए जो खर्च किया जा रहा है वह कदापि उचित नहीं है ।

आवश्यकता इस बात की है कि आल इंडिया रेडियो के प्रबन्ध में परिवर्तन हो । इसी के साथ जिन लोगों को आपने कई कई साल से अस्थाई बना रक्खा है उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है उनको स्थाई किया जाये । मैं यहां पर फिर एक बार कहना चाहूंगा कि आप अंग्रेजी के कर्मचारियों को हिन्दी और देशी भाषा के कर्मचारियों के मुकाबले जो अधिक वेतन और भत्ता आदि देते हैं वह उचित नहीं है और आपको यह भेदभाव समाप्त कर देना चाहिए ।

चूंकि मेरे पास समय नहीं है हालांकि मुझे कहना तो बहुत कुछ था लेकिन फिर भी मैं अन्त में अपना आसन ग्रहण करते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस मंत्रालय की नीति में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए । अगर इस मंत्रालय में आमूलचूल परिवर्तन नहीं

हो सकता है तो मैं चाहूंगा कि मंत्रालय को भंग ही कर दिया जाये। ऐसी बात नहीं है कि इसके खत्म कर देने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। इसके बगैर भी हमारे जो अन्य मंत्रालय हैं उनके जरिए हम अपने देश का काम भली प्रकार चला सकते हैं। यह मंत्रालय अगर रहना है तो यह बड़ा जरूरी है कि वह सही तौर से काम करे इस तरह से भांडई के साथ चलने की जरूरत नहीं है जैसे कि आज यह चल रहा है। यह मंत्रालय खाली मंत्रियों की पबलिसिटी करता रहे और उनकी भांडई करता रहे तो इससे देश बनने वाला नहीं है।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू और काश्मीर) : मुझे समझ में नहीं आता कि श्री हरवानी क्यों सूचना और प्रसारण मंत्री को मंत्रीमंडल का सदस्य बनाने का सुझाव दे रहे हैं, जब कि पिछले वर्ष वे उनकी आलोचना कर रहे थे (अन्तर्बाधा)

[श्री हेडा पीठासीन हुए]

और मंत्री मंडल का सदस्य बनने से मंत्रालय का कार्य कैसे उन्नत हो सकता है यह तर्क समझ में नहीं आता। (अन्तर्बाधा) मैं यह मानता हूं कि इस मंत्रालय का काम महत्वपूर्ण है क्यों कि इसके द्वारा मनुष्यों तक विचार प्रसारित किये जाते हैं। इस का काम केवल सरकार की नीतियों और योजनाओं से लोगों को अवगत कराया ही नहीं है, अपितु उन नीतियों, योजनाओं आदि के बारे में लोगों के क्या विचार और प्रतिक्रियाएँ हैं, इस की सूचना भी सरकार को देना है ताकि वह लोगों की भावनाओं को समझ सके।

जनमत बनाने में प्रेस का बड़ा हाथ है। हमने समाजवादी ढंग का समाज का आदर्श अपने सामने रखा है। इसके लिये लोगों को समझाने के लिये प्रेस की जरूरत है। रुख यह है कि बड़े बड़े व्यापारी अंग्रेजी, हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं की समाचारपत्रों की ऋंखलाओं के मालिक हैं। उन लोगों के समाचारपत्रों के द्वारा समाजवाद का प्रचार कैसे हो सकता है? मैं पूछता हूं कि सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की है? पिछले वर्ष भी यह बात उठाई गई थी किन्तु इस दिशा में सरकार की ओर से कुछ भी तो नहीं किया गया है कि समाचारपत्रों का एकाधिकार समाप्त किया जाए।

मैं इस बात से सहमत हूं कि अपने समाचार अभिकरण बनाए जाए। सरकार को उनकी स्थापना के हेतु वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता के लिये ठोस सुझाव पेश करना चाहिए।

आकाशवाणी की समाचार सेवा में पिछले वर्ष में अवश्य सुधार हुआ है। पंडित षंत संबधी समाचार प्रलेखीय बहुत अच्छा था, जिसके लिये मैं उनको मुबारिकबाद देता हूं।

अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन में मंत्रालय की विज्ञापन नीति की कड़ी आलोचना हुई थी। उस सम्मेलन में अन्य मंत्री तो उपस्थित हुए थे परन्तु आश्चर्य की बात है कि सूचना और प्रसारण मंत्री उपस्थित नहीं हुए।

†श्री अन्सार हरवानी : वह सामान्य दौरे पर गये हुये होंगे।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : हमारे देश में बहुत से पत्रों के संपादक-मालिक एक ही हैं। यदि ऐसे लोग छोटे जिला समाचारपत्रों के प्रतिनिधि हैं तो उनकी बात समझी जा सकती है। परन्तु मैं संपादक सम्मेलन को यह कहूंगा "कि उन्हें विज्ञापनों की आय तथा

[श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा]

सरकार की विज्ञापन नीति के बारे में इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनका मुख्य कर्तव्य तो यह देखना है कि संपादक टिप्पणियों का स्तर कैसा है और इस में कैसे सुधार किया जा सकता है तथा संपादकों को कैसे उत्तम प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

†श्री च० का० भट्टाचार्य : संपादकों को चिंता इस कारण है कि उनके पत्र में अभिव्यक्त संपादकीय विचारों के कारण सरकार उन्हें विज्ञापन नहीं देती है।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : एक आध उदाहरण भलें ही हो। किन्तु सामान्यतया राजनीतिक विचारों के व्यक्त किये जाने के आधार पर किसी पत्र को विज्ञापन नहीं रोके जाते। मैं छोटे पत्रों या प्रादेशिक भाषाओं के पत्रों की यह शिकायत मान सकता हूं कि उन्हें प्रक्रिया संबंधी बातों के कारण विज्ञापन न मिलते हों।

विज्ञापन तथा दार्ष्टिक प्रचार निदेशालय ने पिछले एक या दो वर्षों में प्रविधिक ढंग से अपनी विज्ञापन नीति में कुछ उन्नति की है। इस निदेशालय का प्रमुख काम विज्ञापन देने की अपेक्षा उसके प्रविधिक पक्ष की ओर अधिक ध्यान देना है। यह विभाग का विज्ञापन अधिकरणों संबंधी काम से कोई संबंध नहीं है। इस की इमारत सभरण तथा उत्सर्जन विभाग जैसी दिखाई देती है। इस में तो कुशल और योग्य कलाकारों की जरूरत है और उनका पूर्ण लाभ उठाया जाना चाहिये। अतः मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह ऐसा प्रभाव पैदा करें कि इस विभाग का विज्ञापन पैदा करने के मौलिक काम से संबंध है।

इस मंत्रालय को पत्रकारिता के प्रशिक्षण और अनुसंधान की ओर ध्यान देना चाहिये। इसके लिये मंत्रालय विभिन्न विश्वविद्यालयों को उन्नति और सुधार के सुझाव दे सकता है ताकि पत्रकारिता के उत्तम प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके।

माननीय मंत्री को टेलीविजन की ओर भी ध्यान देना चाहिये जिसकी प्रगति बहुत कम है। आकाशवाणी के सब ऐडिटर्स के बारे में श्री राधा रमण ने जो कुछ कहा है सब ठीक है। मा० मंत्री को चाहिये कि वह वित्त मंत्री से मिलकर उनके प्रति न्याय करें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : माननीय सभापति जी, जितने धन्यवाद माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री जी को अब तक दिए जा चुके हैं, उनका भार वह उठा सकेंगे या नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए मैं उनके भार को और अधिक नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं केवल उन के सामने कुछ आवश्यक सुझाव और परामर्श ही रखना चाहता हूँ।

पहली बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने विषयों की चर्चा माननीय सदस्यों की ओर से यहां की जाती है, उन सब का उत्तर देना किसी भी मंत्री के लिए सम्भव नहीं हो सकता। इसलिये मैं चाहता हूँ कि सूचना और प्रसारण मंत्री तो कम से कम अपने मंत्रालय के सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था करें कि माननीय मंत्री जी अपने सीमित समय में जिन बातों का उत्तर न दे सकें, और जो यहां पर उठाई गई हों, सम्बद्ध सदस्यों को जानकारी उनके सम्बन्ध में भिजवायें ताकि हमें यह पता लग सके कि वस्तु-स्थिति क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

अभी कुछ समय हुआ राज्य सभा में इस मंत्रालय के सम्बन्ध में एक छोटी सी बहस हुई थी और उसमें कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग की थी कि आकाशवाणी को कारपोरेशन का रूप दे दिया जाए पर उस समय कारपोरेशन के सुझाव को अस्वीकार करते हुए माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि यदि आकाशवाणी को कारपोरेशन बना दिया जायगा तो इसकी सब से बड़ी हानि यह होगी कि संसद का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रह जायगा। परन्तु, सभापति, महोदय, आप मुझे इन शब्दों को कहने की आज्ञा दीजिये कि जो चर्चा आज आकाशवाणी अथवा इस मंत्रालय के सम्बन्ध में यहां हो रही है और जो आलोचना पीछे की गई है, उसकी ओर कहां तक ध्यान दिया गया है इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी गम्भीरतापूर्वक एकत्र करना अपेक्षित है। मैं चाहता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्री ने अब तक समय समय पर जो इस संसद को आश्वासन दिए हैं इन पिछले दो तीन वर्षों में उन आश्वासनों को यदि मंत्री जी स्वयं पढ़ेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि संसद में दिए गए वक्तव्यों के प्रति वह स्वयं कहां तक जागरूक और सावधान हैं।

अब से कुछ समय पूर्व की बात है कि आकाशवाणी के हिन्दी समाचार विभाग को आत्म-निर्भर बनाने की योजना के सम्बन्ध में आपने एक बात कही थी कि और हम इसको कुछ दिन तक परीक्षण की स्थिति में रखेंगे और यदि वह सफल हुआ तो इसको व्यावहारिक रूप देंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, परीक्षण की स्थिति में यह चीज सफल रही है। जब ऐसी बात है तो क्यों इसको व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

गत वर्ष इस मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुये मंत्री जी ने इस बात को कहा था कि हिन्दी का प्रचार करना इस विभाग का दायित्व नहीं है, यह विषय गृह मंत्रालय से सम्बन्धित है जिस हद तक उधर से हमको संकेत मिलता है उसी हद तक हम अपने हाथ पैर हिलाते हैं। लेकिन मेरा अपना अनुमान यह है कि गृह मंत्रालय की ओर से अथवा संविधान की मान्यताओं के अनुसार भी जितना आपको कार्य करने की सुविधा और छुट है, उसका भी आप उपयोग कर रहे हैं, इसमें भी सन्देह है। सचाई तो यह है कि जैसे अभी हमारे माननीय मित्र राधा रमण जी ने कहा कि प्रादेशिक भाषाओं के और हिन्दी में कार्य करने वाले जो सम्पादक और उप-सम्पादक हैं, उनमें और अंग्रेजी के सम्पादकों और उप-सम्पादकों में भी आपकी जो नीति है, वह भेदभावपूर्ण है। इसका स्वयं आपको पता होगा क्योंकि आप अपने हाथों से उसके सम्बन्ध में निर्णय लेते हैं। मेरा कहना यह है कि पहले तो आप यह देखें कि दोनों के वेतन क्रमों में कितना अन्तर है। आठ आठ और दस दस वर्ष जिन पत्रकारों को कार्य करते हुए हो गए हैं अभी तक भी वे सब से निचले स्तर पर हैं, चतुर्थ श्रेणी में हैं जबकि अंग्रेजी का पत्रकार कोई इस प्रकार का नहीं है जो इस निचले ग्रेड में हो। मैं चाहता हूं कि इस ओर मंत्री महोदय ध्यान दें।

एक बात मैं पद वृद्धि के बारे में भी कहना चाहता हूं। जब पद-वृद्धि का सवाल पैदा होता है तो उसके बारे में भी हिन्दी के पत्रकारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है और वे भी इनको नहीं मिलती हैं। यह आपकी नीति इस प्रकार की है कि जो परिवर्तन की अपेक्षा रखती है।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हमारे देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या एक प्रतिशत या अधिक से अधिक डेढ़ प्रतिशत है। ज्यों ज्यों हमारा स्वाधीन राष्ट्र आगे बढ़ता चला जाएगा त्यों त्यों अंग्रेजी जानने वालों की संख्या या अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या घटती चली जाएगी और देशी भाषाओं को जानने वालों की संख्या घटती ही चली जाएगी। ऐसी स्थिति में मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके मंत्रालय की ओर से जितनी भी फिल्में बनाई जाती हैं, क्या उनके सम्बन्ध में आप हिम्मत के साथ यह कह सकते हैं कि उसी अनुपात से अंग्रेजी की तैयार की जाती है, जिस अनुपात से कि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या है और उसी अनुपात से भारतीय भाषाओं में और हिन्दी में बनाई जाती है, जिस अनुपात में उनकी संख्या है ? मैं चाहता हूँ कि यह जो स्थिति है, इसको भी बदला जाए।

अभी श्री ब्रजराज सिंह जी ने संकेत दिया है कि दो वर्ष पूर्व आपने इस सदन को आश्वासन दिया था कि जो भाषण यहां पर हिन्दी में होते हैं, विशेष कर राष्ट्रपति जी के भाषण, या प्रधान मंत्री जी के भाषण या दूसरे माननीय सदस्य के भाषण, उनके सम्बन्ध में हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि उनकी मूल प्रतियां आकाशवाणी तक पहुंचें। लेकिन दो वर्ष के पश्चात् भी ऐसा नहीं हो पाया है। मैं चाहता हूँ कि जब आप उत्तर दें तो इस पर भी प्रकाश डालें कि कौन सी रुकावटें हैं जो आपके माग में आती हैं और किन्तु कारणों से आप इसको व्यावहारिक रूप नहीं दे सके हैं।

हमारे देश में सात प्रान्त इस प्रकार के हैं जिन्होंने कि अपनी भाषाओं के अन्दर कार्य करना आरम्भ कर दिया है। उनमें से चार प्रान्त इस प्रकार के हैं कि जिनके विधान सभाओं में हिन्दी द्वारा विशेष रूप से कार्य किया जाता है। आपके पास तो टेलीप्रिन्टर सर्विस है और वह सर्विस भी इस प्रकार की है कि बनारस, पटना, लखनऊ, जयपुर और नई दिल्ली से इसका सम्बन्ध है, तो क्यों नहीं आप इस प्रकार की व्यवस्था करते कि जिन विधान सभाओं में और जिन प्रान्तों की राजधानियों में आज हिन्दी भाषा द्वारा कार्य किया जा रहा है वहां से उन की भाषा के अन्दर ही समाचार दिये जा सकें ताकि आज जो अनुवाद की कठिनाई उपस्थित होती है, वह न हो और समाचार भी मूल रूप में जा सकें। इस प्रकार की व्यवस्था करने के मार्ग में मंत्री जी के मार्ग में कौन सी कठिनाई है, यह भी वह हमें बतायें।

अब मैं एक बात पत्र-सूचना विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। इस विभाग पर कितना पैसा व्यय किया जाता है और उसके द्वारा अंग्रेजी के समाचार पत्रों के कितने समाचार दिए जाते हैं और उस अनुपात से आपका विभाग कितना पैसा कितना व्यय करता है, इसको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उस विभाग के ऊपर भी आप थोड़ा व्यय नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनुपात से बहुत अधिक है।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के सम्बन्ध में अब मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। गत वर्ष आपने बजट अधिवेशन में अपने मंत्रालय के अनुदानों के सम्बन्ध में चर्चा के समय इस सदन को आश्वासन दिया था कि स्टाफ आर्टिस्टों के लिये सुख सुविधायें बढ़ाने के बारे में आप विचार कर रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक न तो नियमित रूप से सालाना तरक्की के सम्बन्ध में उनके बारे में कोई निर्णय लिये गये हैं और न ही इस प्रकार की स्थिति आई है कि दो तीन वर्ष के बाद जब उनका कांट्रैक्ट समाप्त होने को आता है तो सिवाय इसके कि जिन लोगों से वह सम्बन्धित होते हैं, उनकी इच्छा पर यह छोड़ दिया जाता है कि उनके कांट्रैक्ट को वे बढ़ाये और कुछ भी नहीं

होता है। उन बेचारों को कांट्रेक्ट की अवधि समाप्त होने के बाद निराशा का मुंह देखना पड़ता है। इस स्थिति में भी सुधार होना चाहिये।

इसी के सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से दूसरे सरकारी अफसरों को या काम करने वालों को गजिटेड छुट्टियों के दिन छुट्टियाँ मिलती हैं, इसी तरह से उनको भी इन दिनों की छुट्टियाँ मिलनी चाहियें। अगर उनको इन छुट्टियों के दिनों में काम करने के लिये कहा जाता है तो या तो इसके बदले में उनको दूसरी छुट्टियाँ दी जानी चाहिये और अगर दूसरी छुट्टियाँ नहीं दी जाती हैं तो उन दिनों का उनको विशेष भत्ता मिलना चाहिये या कुछ और इस प्रकार की चीज मिलनी चाहिये जिससे कि वे सोत्साह कार्य करने की ओर प्रेरित हो सकें।

दूसरी चीज यह है कि जैसे केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये रेलवे के पी० टी० ओ० वगैरह मिलते हैं वैसे ही आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं है? जिस तरह केन्द्रीय कर्मचारियों के आवास भत्ते आदि के सम्बन्ध में कई बातें हैं उसी प्रकार स्टाफ आर्टिस्टों के लिये भी होनी चाहिये। गत वर्ष इस सदन में आप ने इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि आकाशवाणी पर काम करने वाले स्टाफ आर्टिस्टों के बारे में आप न्याय बरतेंगे तो अभी तक एक वर्ष होने के पश्चात् भी इस सम्बन्ध में कोई उचित निर्णय क्यों नहीं लिया जा सका?

इसी प्रकार उन के वेतनों के सम्बन्ध में जो निम्नतम और उच्चतम सीमा है, उस के बारे में कुछ वृद्धि होनी चाहिये।

एक विशेष बात और है। जैसा कि मुझ से पूर्व बोलने वाले कई सदस्यों ने भी पी० टी० आई० के सम्बन्ध में कहा है, इस सम्बन्ध में मैं भी कहना चाहता हूँ कि जब प्रेस कमिशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा था कि पी० टी० आई० को एक पब्लिक कारपोरेशन बना दिया जाय। कारण कुछ भी हो किन्तु सरकार इस के सम्बन्ध में अपनी कठिनाई का दिग्दर्शन कराके हाथ खेंच लेती है। वह यह चाहती है कि पी० टी० आई० को पब्लिक कारपोरेशन बनाने की जिम्मेदारी उस के शेअर होल्डरों पर आती है, सरकार उस में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि पी० टी० आई० को कारपोरेशन का रूप न देने के कारण कितनी कठिनाई हो गई है। एक विशेष वर्ग है जिस ने उस पर आधिपत्य किया हुआ है। परिणामस्वरूप जहां पी० टी० आई० के क्षेत्र में और गंभीर मामले हैं, मुझे मालूम हुआ है कि जो कई न्यूज एजेंसीज हाल में स्थापित हुई हैं, उन में पी० टी० आई० के अच्छे २ कर्मचारी भी चले जा रहे हैं। कारण यह है कि वे जानते हैं कि पब्लिक कारपोरेशन न होने के कारण उन की प्रगति के लिये वहां पर कोई क्षेत्र नहीं है। इस लिये मैं चाहता हूँ कि इस पी० टी० आई० को तुरन्त पब्लिक कारपोरेशन के रूप में परिणत कर दिया जाय। आप का यह कहना ठीक नहीं है कि शेअर होल्डर यह व्यवस्था नहीं चाहते तो सरकार क्या कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती। आप आकाशवाणी से एक वर्ष में ७ १/४ लाख रु० पी० टी० आई० को देते हैं। जब उसे इतना रुपया देते हैं तो क्यों नहीं पी० टी० आई० से कह सकते कि वह अपनी नीति में परिवर्तन करे?

तीसरी बात यह है कि भारतवर्ष में जितने भी ऐसे संगठन हैं उनकी स्थिति इस प्रकार है कि जहां जहां पर कर्मचारियों का सम्बन्ध किसी प्रकार से आता है वहां कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व अवश्य रहता है। लेकिन पी० टी० आई० ने अभी तक बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में या दूसरे अपने संगठनों में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। परिणाम यह होता है कि जब जब बोर्ड ओफ डाइरेक्टर्स की बैठक होती है तो कर्मचारियों के सम्बन्ध में सही स्थिति उन तक नहीं पहुंच पाती है। अगर वहां पर कर्मचारियों का प्रतिनिधि हो, जैसा कि हमारे मित्र ने कहा, तो वहां

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

उन का पक्ष ठीक से पहुंच जाय। फिर पी० टी० आई० में काम करने वाले कर्मचारी लोगों का स्तर इतना छोटा तो नहीं है कि वे वहां पर बैठ कर जो सम्मति देंगे वह इस प्रकार की होगी जो कि संगठन को हानि पहुंचाने वाली होगी। अगर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व वहां होगा तो सबसे बड़ा लाभ उस से यह होगा कि अगर वहां पर संगठन के सम्बन्ध में कोई नया निर्णय लिया जाता है तो निर्णय करने वालों को यह पता होगा उन के बीच में वह व्यक्ति भी बैठा हुआ है जो उस क्षेत्र में काम करने वालों का प्रतिनिधित्व करता है। इस लिये मैं चाहता हूं कि शासन की ओर से पी० टी० आई० पर इस प्रकार का दबाव डाला जाय जिससे पी० टी० आई० को पब्लिक कारपोरेशन का रूप दिया जा सके। और कर्मचारियों का उस में प्रतिनिधित्व भी हो सके। साथ ही साथ पी० टी० आई० समाचार एजेंसी में अंग्रेजी को जो प्रमुखता मिली हुई है उस के कारण देशी भाषाओं के समाचारपत्रों विशेषकर हिन्दी समाचार पत्रों की जो उपेक्षा आज की जाती है उससे जो हिन्दी के समाचारपत्र हैं, खास कर जो छोटे समाचारपत्र हैं, उनको समाचार लेने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वे उन्हें उतना पैसा नहीं दे सकते। तीसरी श्रेणी की सर्विस के सम्बन्ध में, जिसे शायद सी क्लास सर्विस कहा जाता है, अगर आप पी० टी० आई० को अपनी ओर से आदेश दें कि दूसरी भारतीय भाषाओं के समाचारों को प्रमुखता दी जाय और छोटे छोटे हिन्दी के समाचारपत्रों के समाचारों को भी उनको प्रकाशित करना चाहिये, तो बहुत अच्छी चीज होगी।

इस के अतिरिक्त जो एक और विशेष चीज मैं कहना चाहता हूं वह यह कि देश में पौने दो सौ वर्षों के ब्रिटिश शासन के कारण हमारे मस्तिष्क में विदेशी समाचारों का मोह पैदा हो गया है। हम दूसरे देशों की चीजों को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। यह हीनता की भावना अभी तक हमारे मस्तिष्क से गई नहीं है। इस का परिणाम यह देखने में आया है कि भारत के समाचारपत्रों में विदेशी समाचारों की प्रमुखता होती है। अगर दूसरे देशों के समाचारपत्रों से इस की तुलना की जाय तो विदेशी समाचार पत्रों में यह हीनता नहीं दिखलाई पड़ेगी। जो कि भारतीय समाचारपत्रों में दिखलाई पड़ती है। विदेशी समाचारपत्रों में बहुत कम विदेशी समाचारों के अतिरिक्त अपने सार्वजनिक हित की बातें होती हैं। मैं आप के आकाशवाणी के समाचारों की चर्चा भी कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करें। आकाशवाणी से जो समाचार प्रसारित किये जाते हैं उन में राजनीतिक समाचार अधिक होते हैं या विदेशी समाचार होते हैं, दूसरे प्रकार के समाचारों को उचित स्थान नहीं दिया जाता। इस में कोई सन्देह नहीं है कि देश में आज इस प्रकार का वातावरण ही चल रहा है। लेकिन आप सारे भारतीय जीवन को राजनीतिमय न बना दीजिये। हमारे देश का एक सामाजिक जीवन भी है, इसलिये मैं चाहता हूं कि आकाशवाणी से जो समाचार प्रसारित किये जाते हैं उन में आप विदेशी समाचारों की मात्रा कुछ कम करें और उन के स्थान पर भारतीय समाचारों को प्रोत्साहन दें, विशेषकर सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में जो समाचार हों, जिस से कि हमारी सामाजिक व्यवस्था मजबूत हो, उन को आप आकाशवाणी से प्रसारित कर प्रोत्साहित करें।

एक और बात को मैं विशेष रूप से यहां कहना चाहता हूं जिस के सम्बन्ध में अभी श्री महावीर त्यागी ने अपने विचार इस सदन में प्रस्तुत किये। आज आप का फिल्म सेन्सर बोर्ड इस प्रकार के गन्दे गन्दे गीतों के लिये सहमति दे देता है जिन से छोटे छोटे बच्चों के जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और उन का मानसिक सन्तुलन भी बिगड़ता है। हमारे समाज में आज तक जो परम्परा रही है उस को दूषित बनाता है। उस के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह बच्चों तक ही सीमित नहीं है। कुछ चलचित्रों में जो दृश्य आते हैं वे इतने अश्लील और घृणित होते हैं कि आप मुझे यह कहने की आज्ञा दें कि कोई भला

आदमी अपने बच्चों के साथ बैठ कर उन दृश्यों को आसानी से नहीं देख सकता। इसका परिणाम यह हुआ है कि लोगों में इस के प्रति एक असन्तोष है। अभी एक मित्र ने कहा कि जनता क्यों नहीं इसके लिये जागृत होती और क्यों कुछ नहीं करती। आचार्य विनोबा भावे ने, जो कि जनता की भावना को व्यक्त करते हैं, एक अभियान आरम्भ किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो आन्दोलन आचार्य विनोबा भावे ने आरम्भ किया है वह सरकार के लिये एक चेतावनी है। मुझे आशा है कि उस की ओर आप ध्यान देंगे और सिनेमाओं में जो इस प्रकार के दृश्य आते हैं जिन से चारित्रिक स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है उन से इस देश को बचायेंगे। मैं चाहता हूँ कि बोर्ड आफ फिल्म सेन्सर्स का पुनर्गठन किया जाय और इस प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रारम्भ किया जाय जिन से इस प्रकार के अश्लील चित्र जो नित्यप्रति प्रदर्शित होते हैं, या जो इस प्रकार के दृश्य आते हैं उन को रोका जा सके। इसका परिणाम यह होगा कि आज जो इस तरह के अश्लील पोस्टर आदि छपते हैं जिन में उन दृश्यों को दिखाया जाता है, वे आप से आप बन्द हो जायेंगे और इस प्रकार के अभियानों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि गवर्नमेंट उन को रोके।

अन्त में एक बात कह कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूँ। आकाशवाणी की वार्षिक रिपोर्ट में जहां और बहुत सी बातें दी हैं, उनमें संस्कृत कार्यक्रमों के संबंध में भी कुछ लिखा हुआ है। संस्कृत कार्यक्रमों में ऐसा लिखा हुआ है कि सरकार ने अधिकारी विद्वानों की देखरेख में मद्रास और बम्बई में ऋग्वेद के रेकार्ड तैयार करवाये हैं और यह प्रयत्न करती है कि आकाशवाणी प्रसारित करे। दूसरे विश्वविद्यालयों ने भी इस प्रकार के रेकार्डों की मांग की है। लेकिन मेरा अपना कथन इस प्रकार का है, जैसाकि थोड़ी देर पहले भी निवेदन किया था, कि वेद एक इस प्रकार का ग्रन्थ है जो किसी जाति विशेष का नहीं है, सम्प्रदाय विशेष का नहीं है, मनुष्य मात्र की निधि है। यह इस प्रकार का ग्रन्थ है जिसको भारत के ही नहीं, विश्व के बड़े बड़े विद्वानों ने यह कहा है कि अगर कोई विश्व के पुस्तकालयों में सबसे पुरानी पुस्तक है तो ऋग्वेद है। आकाशवाणी का कार्यक्रम जब नित्य आरम्भ होता है तो वह एक विशेष प्रकार की ध्वनि से प्रारम्भ होता है, जिसे आप अपनी भाषा में "मंगल ध्वनि" कह कर पुकारते हैं। यह केवल एक ध्वनि ही है। बहुत संभव है कि इस देश के अन्दर विदेशी प्रभाव से प्रभावित हुये लोगों का कोई १ प्रतिशत या उससे भी कम भाग इस प्रकार का हो जो ईश्वर को न मानता हो, या ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करता हो। लेकिन प्रातःकाल जब कोई आदमी अपना रेडियो खोलता है तो उसको केवल यह ध्वनि सुनाई पड़ती है। प्रातःकाल का समय ऐसा होता है जब कोई वेद मंत्रों पर आधारित प्रोग्राम होना चाहिये। मैं यह ही नहीं कहता कि आप वेद मंत्रों की भाषा में कहें, नहीं मैं यह कहता हूँ कि आप कुरान की भाषा में कहें, नहीं मैं यह कहता हूँ कि आप बाइबिल की भाषा में कहें, वह किसी भी प्रकार की आस्था और धर्म की पद्धति हो सकती है जिसमें आप प्रातःकाल इस कार्य को प्रारम्भ कर सकते हैं। आप और कुछ नहीं तो प्रातः किन्हीं सन्तों और महात्माओं के पद दे सकते हैं। लेकिन प्रातःकाल जब हम रेडियो खोलें तो आज कल जो मंगल ध्वनि आती है उसके बजाय इस प्रकार के शब्द कानों में आयें जो कि मनुष्य को सन्तोष देने वाले हों और जिन पर हमें जो भी कार्य दिन में करने हैं उनकी दिशा हमें निर्धारित करने में सहायता मिले।

इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।

मुश्री मणिबेन पटेल (आनन्द) : चेन्नई साहब, विविध भारती को जो प्रोग्राम चल रहा है वह बहुत पापुलर हो रहा है। परन्तु आज अगर उसको सब लोग अच्छा कहते हैं तो इसका यह मतलब

[सुश्री मणिबेन पटेल]

नहीं है कि उसको और अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये। उसमें आगे चल कर जितना भी सुधार हो सके, उतनी तब्दीली करनी जरूरी है। हिन्दी का प्रचार रेडियो के द्वारा काफी हो रहा है परन्तु इसमें और वृद्धि करने की गुंजाइश है। जैसे कि टेक्निकल शब्द हैं जो कि अंग्रेजी के हैं उनका हिन्दी क्या हो सकता है, साइंस की भाषा में भी क्या हिन्दी शब्द हो सकते हैं, रेलवे में, डाकखाने में क्या शब्द प्रचलित हैं, ऐसे शब्दों की रेडियो से प्रचार करके लोगों को जानकारी दी जाये।

एक बात यह है कि प्रादेशिक समाचारों के लिये आपने करीब करीब हर प्रांत में व्यवस्था की है। यह अच्छी चीज है। परन्तु इसमें सब जगह चाहिये इतना पावरफुल ट्रांसमिटर नहीं है और इसलिये प्रांत के कोने कोने में समाचार साफ तरीके से नहीं सुनायी पड़ते हैं। तो अच्छे ट्रांसमिटर्स के बारे में जल्दी बन्दोबस्त करना चाहिये जिससे कि प्रादेशिक समाचार उस प्रदेश के कोने कोने तक बहुत अच्छी तरह से साफ सुने जायें।

सिनेमा के बारे में मेरी समझ में नहीं आता कि आप कुछ क्यों नहीं कर सकते हो। कुछ साल पहले तो यहां इस संसद में आपने काफी कुछ करने का हमको आश्वासन दिया था, परन्तु यह बात क्यों छोड़ दी गयी। यह मेरी समझ में नहीं आता। क्या इसमें विधान की कुछ बाधा होती है। यह काम होना चाहिये। विधान में यह चीज तो है कि हम लोगों का नैतिक स्तर न गिरे। यह व्यवस्था है। क्या सिनेमा के चित्र और पोस्टर इतने भद्दे नहीं होते कि जिनका हमारे नैतिक स्तर पर बुरा असर पड़े? क्या इनमें कोई कोई गाने और कोई कोई किस्से ऐसे नहीं हैं जिनसे हमारे बच्चों और युवकों पर भद्दा असर पड़ता है? आपके सेंसर बोर्ड को क्या कोई ऐसा आदेश है, कोई आपने उनको ऐसा नियम दिया है, कोई उनका मार्गदर्शन किया है कि सेंसर करने में इन इन बातों को आपको देखना चाहिये। जब सेंसर बोर्ड से पास होने पर भी ऐसे गाने चलते हों जैसे कि त्यागी जी ने सुनाये तो मेरी समझ में नहीं आता कि सेंसर बोर्ड क्या काम करता है। सेंसर बोर्ड में मात्र बड़ी बड़ी डिग्री वाले और समाज में प्रतिष्ठा वाले लोगों को रखना ही काफी नहीं है। परन्तु समाज के नैतिक स्तर के बारे में उनका कितना ऊंचा विचार है यह सोचने की बात है। मैंने अनुभव किया है कि जो लोग समाज में आम तौर से बहुत अच्छे माने जाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा होती है, सिनेमा के बारे में और गाने के बारे में उनके ख्यालात मेरे ख्याल से चाहिये उतने ऊंचे नहीं होते।

पश्चिम की संस्कृति में और हमारी संस्कृति में फर्क है यह हमें नहीं भूलना चाहिये। हमारी संस्कृति और रीति रिवाज अच्छे हैं। जो चीज उनके यहां अच्छी मानी जाती हैं वे हमारे यहां अच्छी नहीं हो सकतीं। जैसे उनके यहां का महिलाओं को ईर्विंग ड्रेस है। नंगे पैर फिरना उनके यहां बुरा माना जाता ऐसा मैंने सुना है लेकिन हमारे यहां नंगे पैर फिरना कोई बुरी बात नहीं है। पश्चिम की महिलाओं की जो ईर्विंग ड्रेस है उसको तो मैं यहां देखती हूं। मुझ को वह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमारी संस्कृति का स्तर अलग है और उनकी संस्कृति का स्तर अलग है। इसलिये सेंसर बोर्ड में समाज में प्रतिष्ठित या बड़े पढ़े लिखे या ओहदे वाले आदमी हों यह काफी नहीं है। सेंसर बोर्ड में जिन लोगों को नियुक्त किया जाये उनके बारे में यह पहले जान लेना चाहिये कि समाज के नैतिक स्तर के बारे में उनके ऊंचे विचार हैं या नहीं। यदि ऐसा किया जायेगा तो जो फिल्मों के पास करेंगे उनमें ऐसे भद्दे गाने और ऐसे दृश्य नहीं होंगे।

सिनेमा के जो विज्ञापन स्टेशनों पर, सड़कों पर या जहां म्युनिसिपैलटियां जगह देती हैं वहां होते हैं, क्या उनका भी आप कोई नियमन नहीं कर सकते, खास कर दिल्ली में जो कि सेंटर के

नीचे है। यह ठीक है कि यह काम होम मिनिस्ट्री का है और कारपोरेशन का है लेकिन क्या आप उनसे ऐसा करने के लिये भी नहीं कह सकते क्योंकि आखिर प्रचार का काम आपका है। तो इसके बारे में कुछ रास्ता निकालना चाहिये यह मेरी विनती है।

अभी अभी आपने गांधी जी की आवाज को सुनाना शुरू किया है। वह बहुत अच्छी बात है। उनकी आवाज सुनने से और उनके विचारों को सुनने से लोगों को जरूर लाभ होगा। मात्र उनकी प्रार्थना का पाठ करना या कोई लॉग बापू जी के बारे में कहें इतना काफी नहीं है, उनकी बात सुनने में आवे, चाहे वह कहीं कहीं कम भी सुनने में आवे, फिर भी उसका अपना असर अलग ही होगा।

संगीत का आप काफी अलग अलग प्रकार का प्रचार कर रहे हो। अलग अलग प्रदेशों की भाषा का शास्त्रीय और साधारण संगीत का प्रचार होने से हमारे देश में एकता लाने में काफी लाभ होगा।

एक बात मुझे समझ नहीं आती। आप जो एडवर्टाइजमेंट देते हो उसमें अंग्रेजी पत्रों को काफी ज्यादा दिया जाता है ऐसा मुझे लगता है। सरकुलेशन के आधार पर यह चीज दी जाती है लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आपको यह सोचना चाहिये कि प्रादेशिक भाषा के पत्रों का सरकुलेशन वर्तमान अंग्रेजी पत्रों जितना हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रादेशिक भाषाओं के पढ़ने वालों की जनसंख्या कम है। तो आपको यह सोचना होगा कि इस प्रकार की तुलना करना ठीक नहीं है।

एक बात और भी है। आपके रेडियो पर जो एनाउन्सर हैं वह जब अंग्रेजी में एनाउंस करते हैं तो हमारे गांवों के और शहरों के नाम या हमारे लोगों के नाम अंग्रेजी एक्सेंट और अंग्रेजी ढंग से करता बिल्कुल भद्दा लगता है। हमारे नामों का सही तरीके से उच्चारण होना चाहिये इसके बारे में ध्यान देना बहुत ही जरूरी है।

प्रकाशन के बारे में कहा गया है कि हर एक मिनिस्ट्री अपना अपना अलग अलग प्रकाशन चाहती है। मैं ऐसा मानती हूं कि कई कई मिनिस्ट्रियों का प्रकाशन एक में हो सकता है। और यह बात तो मुझे समझ में नहीं आती कि जो समाचार हमारी आम जनता के लिये हैं जो प्रकाशन हमारी जनता को कुछ सिखाने के लिये होते हैं उनको अंग्रेजी में क्यों छपा जाता है। बहुत अच्छा कागज है और बहुत अच्छा छपा है यह काफी नहीं है। लेकिन देखना यह चाहिये कि वह जिन लोगों के लिये छपा है, जिन देहात के लोगों के लिये छपा है उनके पास किस तरह से पहुंच सकता है। वे अंग्रेजी में क्या समझ सकेंगे? कभी कभी उनमें जो चित्र दिये जाते हैं वे भी पश्चिम के ढंग के होते हैं। यह कब तक ठीक चलेगा यह मुझे नहीं मालूम। परन्तु चल सकता हो तो आपको इसमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हमारे पास काफी समाचार पहुंच सकता है और जो हम चाहते हैं वह कारन हों तो लोगों की भाषा में लोगों को चीज पहुंचनी चाहिए। आपको विदेश में प्रचार के लिये एम्बेसी के लिये थोड़ा सा छापना हो तो अंग्रेजी में छापिये। लेकिन यह आपको देखना चाहिये कि नमैं जो चित्र हों वे हमारे देश के से मालूम हों। अभी हम देखते हैं कि इनमें जो चित्र होते हैं वह हमारे देश के से लगते ही नहीं। इस और काफी ध्यान देना चाहिये।

एक बात और है कि जिसको येलो प्रेस कहते हैं उसके बारे में आप क्या कर रहे हो। जो प्रकाशन या जो पेपर हमारी सरकार की नीति से मतभेद होने के कारण अपने मत का प्रचार करते हैं वह तो मेरी समझ में आता है, उसमें मुझे कोई झगड़ा नहीं है। परन्तु जो केवल बदनामी करते हैं, ब्लैक-मेलिंग करते हैं ऐसे अखबारों को आप विज्ञापन क्यों देते हो। चाहे उनका सरकुलेशन कितना भी ज्यादा हो उनको विज्ञापन नहीं देने चाहिये। मैं मानती हूं कि ऐसे पत्रों का सरकुलेशन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि यह आदमी का स्वभाव है कि उसमें एक सहज इनक्विजिटिवनेस हो ी है। और अगर किसी पत्र में किसी के बारे में गलत बात आ ी हो तो लोग उस चीज को पढ़ना चाहते और ऐसी चीज के लिये पैसा खर्च करते हैं। जो येलो प्रेस है, जो ऐसे अखबार हैं, जो इस प्रकार ब्लैक

[सुश्री मणिबेन पटेल]

मेलिंग करते हैं कि किसी को कहते हैं कि हमने आप के बारे में यह बात सुनी है, हम उसको छाप देंगे, या टेढ़ी, मेढ़ी िति से कहें कि इतना रुपया दो, नहीं तो हम उसको छाप देंगे, या जो गलत तरीके से सरकार के यहां से खबर ले जाते हैं, या जो युवकों और युवतियों के बारे में गलत खबर छापते हैं, उनकी सर्वप्रवेशन कितनी भी हो, उन को सरकारी विज्ञापन नहीं दिये जाने चाहियें।

अन्त में मैं पी० टी० आई० के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। आपको मालूम होगा—और कितने लोगों को यह मालूम है, यह मुझे मालूम नहीं—कि पी० टी० आई० को बनाने में हमारे देश के नेताओं ने काफी दिलचस्पी ली है और काफी मदद भी की है—मैं पैसे की मदद की बात नहीं कहती, क्योंकि पैसे की मदद सरकार ही कर सकती है—लेकिन उन्होंने उसको सहानुभूति और मार्ग-दर्शन दिया है। विदेशी कनसर्न के पास यह चीज थी। इसको रायटर से अलग करने में उन्होंने बहुत सहानुभूति और मार्ग-दर्शन दिया था और काफी कोशिश की थी, तब पी० टी० आई बना था। अब उसमें जो भी झगड़े हों, मैं मानती हूं कि उसको ठीक रास्ते पर लाना और उसको ठीक ढंग से चलाना सरकार का कर्तव्य है और अगर सरकार ठीक से कोशिश करेगी, तो वह उसको रास्ते पर ला सकेगी। और भी नयी एजेंसीज बनी हैं, जिनको सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। अगर वे ज्यादा हों, तो अच्छा है। परन्तु पी० टी० आई० का नाश न हो, वह देखना चाहिये। उसकी स्थिति अच्छी है, उसकी आर्थिक हालत अच्छी है, ऐसा कई लोगों ने कहा है। लेकिन मैं मानती हूं कि हालत अच्छी है, यह एक कम्पैरेटिव चीज है और मेरा ख्याल है कि उसकी हालत जितनी अच्छी और मजबूत होनी चाहिये, उतनी वह नहीं है। हो सकता है कि उसमें बड़े बड़े लोग झगड़े करते हों। लेकिन इसको किसी तरह से रास्ते पर लाने के लिये सरकार को कोशिश करनी चाहिये, क्योंकि हम लोगों की मीठी नजर से हमारे सिचन से यह चीज बनी है। हमारे लोगों ने पहली कोशिश की थी और विदेशियों के हाथ से इसको छड़ा कर यह चीज बनाई थी। अब वह बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसको आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है।

श्रीमती इलापाल चौधरी (नवद्वीप): इस मंत्रालय ने, जो लोक सम्पर्क का सर्वश्रेष्ठ साधन है, अच्छा काम किया है। १९४७ में आकाशवाणी ने २६,००० घंटे और १९६० में १,८०,००० घंटे प्रसारण किया अर्थात् चार गुना कार्यक्रम किया है पहले ८ मुख्य भाषाओं और चार बोलियों में कार्यक्रम होता था अब १५ बोलियों और १४ भाषाओं में होता है। इस बात का भी विचार करना पड़ता है कि कितना दिया जाये और कौसा दिया जाये।

श्री गोरे का यह आरोप कि कांग्रेस के दृष्टिकोण से प्रसारण किया जाता है, सर्वथा निराधार है। जो कुछ भी प्रसारित किया जाता है उसका समाचार संबंधी मूल्य होता है। कांग्रेस सत्र के लिये, किन्तु राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व तथा प्रधान मंत्री के भाषण की दृष्टि से उसका प्रसारण किया जाता है। यह बात अन्य राजनीतिक दलों के बारे में ठीक नहीं उतरती। समाचारों के लिये केवल भारत का ही नहीं अपितु संसार का भी ध्यान रखना पड़ता है।

यह प्रसन्नता की बात है कि सुभाष चन्द्र बोस के भाषण प्रकाशित किये जाने वाले हैं। मैं चाहती हूं कि आई० एन० ए० के गीतों की छोटी पुस्तक भी प्रकाशित की जाये जिससे लोगों में जोश पैदा हो।

कदम कदम बढ़ाये जा
खुशी के गीत गाये जा
यह जिन्दगी है कौम की
कौम पर लुटाये जा।

ये गीत आकाशवाणी पर भी प्रसारित किये जाने चाहियें।

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की जीवनियों का भी संकलन किया जाना चाहिये। शिक्षा या सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इसे करना चाहिये ताकि भावी सन्तानों को अपने पूर्वजों के कारनामों का ज्ञान हो। अन्दमान जेल में जो लोग गये हैं उनकी पूरी सूची भी तैयार की जानी चाहिये। मैं माननीय मंत्री से पूछती हूँ कि क्या स्वतंत्रता संग्राम में कष्ट उठाने वाले ज्ञात और अज्ञात लोगों का व्योरा देने वाली पुस्तक तैयार की जा चुकी है?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के संबंध में यह कार्य कर रहा है। अभी तक ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। मैं इस की ओर ध्यान दूंगा।

†अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक है श्रीमती इलापाल चौधरी कल अपना भाषण जारी रखेंगी। मैं श्री पद्म देव, श्री आचार, श्री तारिक और अन्य सदस्यों को कल बोलने का अवसर देने का प्रयत्न करूंगा।

*उड़ीसा में प्राथमिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं के अध्यापक

श्री चित्तामणि पाणिग्रही (पुरी) : माननीय मंत्री ने बताया कि १९५७-५८ में प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन बढ़ाने की खातिर उड़ीसा सरकार को ५.७६ लाख रुपये की सहायता दी गयी थी। परन्तु अब भी सारे देश में उन्हीं को कम वेतन मिलता है। ४० रुपये वेतन और २/३ रुपया मकान का किराया यही उनको मिलता है।

अब तो करीब करीब तीसरी योजना को भी अन्तिम रूप दिया ही जा चुका है इस कारण यह बताया जाय कि उनकी स्थिति सुधारने के लिये क्या हो रहा है। १९६१-६२ के बजट में ५६ लाख रुपया रखा गया है। पर यह तो बताया जाय कि इससे उनके वेतन बढ़ाये जायेंगे या फिर भत्ता ही बढ़ाया जायगा।

मैंने अध्यापकों के वेतन तथा भत्तों आदिके बारे में एक प्रश्न पूछा था। जिसके उत्तर में मुझे बताया गया था कि आंध्र प्रदेश में ३० से ३८ रुपये तक भत्ता मिलता है और बिहार में भी २५ रुपये तक भत्ता है। इसी प्रकार गुजरात में ५० रुपये तक और महाराष्ट्र में भी ४५ से ५० रुपये के बीच महंगाई भत्ता मिलता है। इसलिये सरकार को उड़ीसा के अध्यापकों के बारे में भी कुछ न कुछ करना चाहिये।

उड़ीसा के गैर सरकारी स्कूलों में तो किसी प्रकार का भत्ता मिलता ही नहीं। वहां पर कुल पांच रुपये मिलते हैं। आप खुद देखिये कि कटक जैसे नगर में एक कमरा भी १५ रुपये से कम में नहीं मिलता। इस कारण यह भत्ता केवल हास्यास्पद ही है। मकान का किराया तो पूरा मिलना चाहिये।

मद्रास में प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों के लिये बीमे, भविष्य निधि तथा पेंशन के लाभ हैं पर उड़ीसा में कुछ भी नहीं। इतना ही नहीं वहां बच्चों को भी किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जहां तक अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा दिलाने का सवाल है उस बारे में भी उड़ीसा में कुछ नहीं किया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

३२३८ उड़ीसा में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं के अध्यापकों १ चैत्र, १८८२ (शक)
के बारे में आधे घंटे की चर्चा—

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री स्वयं ध्यान देकर अध्यापकों की हालत सुधारें।

†श्री सूपकार (सम्बलपुर): मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एक तो यह कि सरकार माध्यमिक पाठशालाओं के शिक्षकों के वेतन क्रम निर्धारित करने में किस नीति का अनुसरण कर रही है और दूसरे यह कि उड़ीसा में माध्यमिक शिक्षा देने वाले अध्यापकों के वेतन में सुधार करने के लिये क्या सहायता दी गयी थी?

†शिक्षा मंत्री(डा० का० ला० श्रीमाली): जहाँ तक उड़ीसा में प्रारम्भिक अनिवार्य शिक्षा लागू करने का सवाल है, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारा विचार उस बारे में तत्संबंधी एक कानून लागू करने का है। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का संबंध है मैं मानता हूँ कि उड़ीसा में अध्यापकों का वेतन कम ही है।

मैं समझता हूँ कि इस दलील में भी जोर है कि महंगाई भत्ते के बारे में मतभेद किस कारण से किया जाय। वह समान रूप से मिलना चाहिये। किन्तु उड़ीसा सरकार के रास्ते में कठिनाइयाँ आई हैं। पहले उन्हें ५ रुपये महंगाई भत्ता मिलता था जबकि सरकारी कर्मचारियों का भत्ता २७ से ३५ रुपये तक था। यह ठीक है कि उड़ीसा सरकार के सामने वित्तीय उलझनें थीं पर अध्यापकों की शिकायतें भी उचित हैं। १९६१-६२ के बजट में जो व्यवस्था की गयी है वह अध्यापकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के भत्तों को बराबर करने के लिये ही दी गयी है। हमने इस संबंध में नीति संबंधी निर्णय कर लिया है। मुझे तो खुद ही यह लगन थी कि अध्यापकों का वेतन भी बढ़ाया जाय। किन्तु बजट पास होने के बाद अभी तो महंगाई भत्ता कर्मचारियों के बराबर कर दिया जायगा। इस समय अध्यापकों को ५ रुपये भत्ता मिलता है, अब २७ $\frac{1}{2}$ रुपया मिलेगा। इससे उन्हें काफी फायदा होगा। इस तरह से न्यूनतम वेतन ६७ $\frac{1}{2}$ रुपये हो जायगी। इससे उन्हें कुछ तो सन्तोष मिलेगा ही। हमने इस बात की भी सिफारिश की है कि प्रशिक्षित अध्यापक के लिये ४० रुपये और अप्रशिक्षित अध्यापक के लिये ५० रुपये का भत्ता निश्चित किया जाय। उड़ीसा सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया। कठिनाई महंगाई भत्ते के ही बारे में थी। उसे भी हम अब बराबर करने जा रहे हैं।

मकान के किरायों की बात पर भी विचार किया जा रहा है। त्रिपक्षीय योजना भी विचाराधीन है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात पर भी विचार किया जा रहा है।

निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा लागू करने के लिये तो हम जल्दी ही एक विधेयक लागू करने वाले हैं। इसके अलावा महंगाई भत्ता बराबर कर ही दिया जायगा। आशा है कि यह श्री पाणिग्रही की मांगों को पूरा करने वाली बातें हैं।

मुझे खेद है कि माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन के बारे में इस समय मैं सूचना नहीं दे सकता। पर इतना तो कह ही सकता हूँ कि इस मामले पर भी हम अत्यधिक विचार कर रहे हैं। हम राज्यों को सदा ही सहायता प्रदान करते रहे हैं और तीसरी योजना में हम आवश्यक सुधार कर पायेंगे ऐसी हमें आशा है।

इसके बाद लोक-सभा गुरुवार, २३ मार्च, १९६१/२ चैत्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, २२ मार्च, १९६१]
[१ चैत्र, १८८३ (शक)]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३११७—४२
तारांकित प्रश्न संख्या	
१०१७ चाय बागानों के लिये उर्वरक	३११७—१६
१०१८ भू-संरक्षण	३११६—२०
१०२० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	३१२०—२३
१०२१ लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	३१२३
१०२२ उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनायें	३१२४—२६
१०२३ एयर इंडिया इन्टरनशनल के लिये बोइंग—७०७ विमान	३१२६—२८
१०२४ दक्षिण भारत को जीरा की बुर्किंग का बन्द किया जाना	३१२८—२९
१०२५ हीराकुद नियंत्रण बोर्ड	३१२९—३०
१०२६ इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारी	३१३०—३३
१०२७ हृल्लिया में पत्तन का विकास	३१३३—३४
१०२८ अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	३१३४—३५
१०२९ कलकत्ता—दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग	३१३६—३७
१०३० चिकित्सा कार्यों के लिये रेडियो आइसोटोप	३१३७—३८
१०३१ दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् की विद्युत उप समिति	३१३८—३९
१०३२ डमडम हवाई अड्डे पर रडार उपकरण	३१३९—४०
१०३३ कांगो में सहायता कार्य	३१४०
१०३४ दिल्ली दूध योजना	३१४०—४१
१०३५ हिमाचल प्रदेश की सड़कें	३१४१—४२
प्रश्नों के लिखत उत्तर	३१४२—७६

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०१९ गांवों में बिजली लगाना	३१४२
१०३६ यंत्रीकृत फार्म	३१४२—४३

प्रश्नों के लिखत उत्तर—कमशः

विषय

पृष्ठ

तारांकित

प्रश्न संख्या

१०३७	ब्रह्मपुत्र में नौका सेवा के लिये नौकाओं की खरीद	३१४३
१०३८	मसालों के विकास संबंधी पण्य समिति	३१४३-४४
१०३९	तार और दूर-संचार उपकरणों की कमी	३१४४
१०४०	रेलों में यात्रियों की भीड़-भाड़	३१४४
१०४१	कुरुनूल-गूती राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७	३१४४-४५
१०४२	लेडी हाडिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल, नई दिल्ली	३१४५
१९४३	पश्चिम जर्मनी से कृषि उपकरण	३१४५

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२०५६	महाराष्ट्र में मेडिकल कालिज	३१४६
२०५७	महाराष्ट्र में परिवार नियोजन	३१४६
२०५८	रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था कर्मचारी	३१४६
२०५९	अरकोनम्-इरोड रेल सम्पर्क	३१४७
२०६०	आसाम में विभागातिरिक्त शाखा डाक घर तथा बचत बैंक सम्बन्धी सुविधायें	३१४७
२०६१	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ९	३१४७-४८
२०६२	डाक और तार विभाग की इमारतें	३१४८
२०६३	उड़ीसा के बारपाली और पटनागढ़ नगरों में बिजली लगाना	३१४८
२०६४	उत्तर रेलवे पर रेलवे सुरक्षा बल	३१४८-४९
२०६५	भाखड़ा जलाशय में मिट्टी का जमाव	३१४९
२०६६	खाद्यान्नों का रक्षित स्टॉक	३१४९
२०६७	हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के छोटे काम	३१४९-५०
२०६८	कैंसर के इलाज के हस्पताल	३१५०
२०६९	मध्य रेलवे के कानपुर-झांसी सेक्शन पर रेलवे स्टेशन पर धवा	३१५०-५१
२०७०	पंजाब में सड़कें	३१५१
२०७१	शिमला-कालका राजमार्ग	३१५१
२०७२	राष्ट्रीय आहार सलाहकार समिति	३१५२
२०७३	दिल्ली-भटिण्डा लाइन पर रुकावट	३१५२
२०७४	रेलवे ठेकेदारों को अधिक भुगतान	३१५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—कमला:

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२०७५	मत्स्यपालन उद्योग	३१५३
२०७६	भूमि का कटाव	३१५३-५५
२०७७	सन्धौल (हिमाचल प्रदेश) में सिचाई की सुविधायें	३१५५
२०७८	मनमाद स्टेशन पर ऊपरी पुल	३१५६
२०७९	मनमाद रेलवे स्टेशन पर का नवनिर्माण	३१५६
२०८०	विल्किंगडन हस्पताल, नई दिल्ली में कर्मचारियों की कमी	३१५६-५७
२०८१	बम्बई-दिल्ली राजपथ	३१५७
२०८२	राष्ट्र मेल सर्विस हेडक्वार्टर, सिलचर	३१५७
२०८३	अस्पतालों में क्षय रोगियों के लिये पलंग	३१५७-५८
२०८४	गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली	३१५८
२०८५	हीराकुड परियोजना नहर क्षेत्र में रिहायशी इमारतें	३१५८-५९
२०८६	बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में चीनी की 'रिकवरी'	३१५९
२०८७	पंजाब में बागवानी	३१५९
२०८८	सेमरखेड़ी स्टेशन पर रेलगाड़ी का हॉल्ट	३१६०
२०८९	रेलवे लाइन को दोहरी बनाना	३१६०
२०९०	रेडियो लाइसेंस फीस	३१६०
२०९१	अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ	३१६१
२०९२	दिल्ली में पुलों का पुनर्निर्माण	३१६१-६२
२०९३	कृषि पंडित	३१६२
२०९४	मद्रास राज्य में रेलवे लाइनों	३१६२
२०९५	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली में विदेशी अतिथियों का आगमन	३१६३
२०९६	कृषि अनुसंधान पद	३१६३
२०९७	दिल्ली विद्युत उपक्रम	३१६३-६४
२०९८	असैनिक उड्डयन विभाग में विनियम तथा सूचना निदेशक	३१६४
२०९९	उड़ीसा में भूमि के कृषि योग्य बनाने के लिये ट्रैक्टर	३१६४-६५
२१००	इम्फाल तारघर में सिग्नलर इन्चार्ज	३१६५
२१०१	इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र में सड़कों पर रोशनी	३१६५
२१०२	सहकारी फार्म	३१६५-६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारंकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२१०३	होटल उद्योग	३१६६
२१०४	पूर्व रेलवे के वाणिज्य विभाग में विधि सहायक और निरीक्षक .	३१६६
२१०५	मध्य प्रदेश में चीनी की मिलें	३१६७
२१०६	छिन्दवाडा-परासिया और छिन्दवाडा-नागपुर सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलना	३१६७
२१०७	खोपरा और सुपारी के लिये अनुसन्धान केन्द्र	३१६८
२१०८	हैदराबाद और सिकन्दराबाद के लिये जल संभरण	३१६८
२१०९	हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोग	३१६८-६९
२११०	हिमाचल प्रदेश में परिवार नियोजन	३१६९
२१११	हिमाचल प्रदेश में दाई प्रशिक्षणार्थी	३१६९
२११२	दिल्ली दूध योजना	३१६९-७०
२११३	त्रिपुरा में चीनी की मिल	३१७०
२११४	त्रिपुरा में बछड़ों का मरना	३१७०
२११५	महानदी में बाढ़	३१७०
२११७	तिरुन्नामलै में डाक तथा तार भवन	३१७१
२११८	मद्रास में सहकारी चीनी मिल	१
२११९	खाई जाने वाली गर्भ निरोधक औषधियों सम्बन्धी अनुसन्धान	३१७१-७२
२१२०	उत्तर प्रदेश में तिलहन का विकास	३१७२
२१२१	उत्तर प्रदेश में तम्बाकू की खेती	३१७२
२१२२	राय बरेली में ऊपरी पुल	३१७२-७३
२१२३	हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क	३१७३
२१२४	हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क पर लगे मजदूर	३१७३
२१२५	हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क को सभी मौसमों में काम आने वाली सड़क बनाना	३१७३-७४
२१२६	शाहदरा के निकट रेल की टक्कर	३१७४
२१२७	बिहार में चीनी के कारखाने	३१७४
२१२८	ब्यास बान्ध परियोजना	३१७४-७५
२१२९	सैलून	३१७५
२१३०	गया के निकट माल गाड़ी की टक्कर	३१७५-७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२१३१	संघ राज्य-क्षेत्रों में वैद्यों द्वारा बीमारी का प्रमाण-पत्र .	३१७६
२१३२	हिमाचल प्रदेश में सुंगरी-रोड सड़क . . .	३१७६
२१३३	हिमाचल प्रदेश में पक्कर नदी पर पुल .	३१७७
२१३४	राष्ट्रीय बचत टिकट	३१७७
२१३५	चीनी का निर्यात	३१७७-७८
२१३६	मध्य प्रदेश में मेडिकल कालेज	३१७८
२१३७	मध्य प्रदेश में कृषि कालेज	३१७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३१७९-८०

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने राजस्थान के पाली जिले में स्थित बाली दुर्ग में ६ मार्च, १९६१ को हुये विस्फोट की ओर निर्माण, आवास और संभरण मंत्री का ध्यान दिलाया । निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री श्री अनिल कुं चंदा ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३१८०-८१

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(२) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६९ में प्रकाशित खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(३) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन

करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

- (क) दिनांक २६ दिसम्बर, १९६० के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/७६/६०-परिवहन
- (ख) दिनांक ५ जनवरी, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना एफ० १२/२५१/५८-परिवहन ।
- (४) कोकण तटवर्ती नौवहन सेवा समिति के प्रतिवेदन १९५६-६० की एक प्रति ।
- (५) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३६ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५६-६० के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन—

उपस्थापित ३१८१

अस्सीवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अनुदानों की मांगें ३१८२—३२३७

- (१) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी की पूरी स्वीकृत हो गई ।
- (२) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घंटे की चर्चा ३२३७—३८

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने उड़ीसा के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापकों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या ८१२ के २ मार्च, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठाई ।

शिक्षा मंत्री (डा० श्रीमाली) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

मंगलवार, २३ मार्च, १९६१ / २ चक्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और उन्हें पारित करना, विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान ।